खण्ड २ — अंक २७
२८ मार्च, १९५६, (बुधवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १ — प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha
(XII Session)

(खण्ड २ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

चार आने (देश में) एक शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६१२, ६१५, ६१६, ६२१, ६२३ से ६२५, ६२८, ६२६, ६३१, ६४० से ६४३, ६४६ से ६४६, ६१६, ६१७, ६२६, ६२७, ६३३, ६३४, ६३८ और ६४४ ८७६–६०१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ ६०१–०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६१३, ६१४, ६१८, ६२०, ६२२, ६३०, ६३२, ६३५ से ६३७, ६३६ और ६४५ ... ६०४–०७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२३ से ५४६ ६०७–१८

दैनिक संक्षेपिका ६१६–२०

लोक-सभा

बुधवार, २८ मार्च, १९५६

लोक सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

जर्मनी में भारतीय राष्ट्रजनों के दावे

†*९१२. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय राष्ट्रजनों की संख्या जिन्होंने युद्ध के दौरान जर्मनी में जर्मनों द्वारा उनकी सम्पत्ति के प्रति किये गये विभेदात्मक व्यवहार के सम्बन्ध में जर्मन सरकार के विरुद्ध दावे करते हुये आवेदन पत्र प्रस्तुत किये हैं; और

(ख) उक्त आवेदनपत्रों में कुल कितनी राशि के लिये दावे किये गये हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) और (ख). एक पत्र विज्ञप्ति जारी की गई थी जिस के द्वारा उन भारतीय राष्ट्रजनों को, जिनके ऐसे दावे थे, अपने आवेदनपत्र शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक, बंबई को प्रस्तुत करने का परामर्श दिया गया था । अब तक यह सूचित किया गया है कि अभिरक्षक को अभी तक कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या मैं जान सकता हूं कि किस प्राधिकार के अनुसार यह दावे आमंत्रित किये गये थे और कहां से यह दावे प्रस्तुत किये गये हैं ?

†**श्री करमरकर** : जर्मनी के संघानीय गणतंत्र के साथ हुये पुनर्वास समझौते के उपबन्धों के अन्तर्गत राष्ट्रसंघ के उन राष्ट्रजनों को, जिनके दावे जर्मन के विरुद्ध हैं । अपने दावे जर्मन अधिकारियों के पास ५ मई, १९५६ को या इससे पूर्व प्रस्तुत करने हैं ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या यह समय सीमा बढ़ाई जायेगी ?

†**श्री करमरकर** : पहले राष्ट्रजनों को अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत करने दीजिये और यदि बाद में उन्हें कोई कठिनाई हुई तो आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । मौजूदा अवस्था में उक्त समय सीमा के बढ़ाये जाने का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि यह पुनर्वास समझौते के परिणामों का एक भाग है ।

†मूल अंग्रेजी में

गोआ

†*९१५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या परीक्षाओं के प्रयोजनार्थ गोआ की शिक्षा संस्थाओं को पाकिस्तान विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता दी गई है और सम्बद्ध किया गया है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : जहां तक हमें जानकारी है गोआ के स्कूलों को पाकिस्तान की संस्थाओं से संबद्ध नहीं किया गया है ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि बम्बई सरकार ने गोआ के छात्रों को सुविधायें देने को कहा था, और यदि हां, तो कितने छात्र परीक्षाओं में बैठे ?

†**श्री सादत अली खां** : जी, हां । राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने माध्यमिक स्कूल परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को सम्बन्धित स्कूलों के प्रधान अध्यापकों को यह सूचित करने के लिये कहा था कि जिन छात्रों के पास मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रधान अध्यापकों द्वारा ज़ारी किये गये उपाधि पत्र होंगे उन्हें सुविधायें प्रदान की जायेंगी । यद्यपि गोआ के छात्रों को इस प्रकार की सुविधायें दी गईं थी, तथापि परीक्षा में बैठने वाले ३५० छात्रों में से कोई १२५ छात्र पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा रोक लिये गये ऐसा ज्ञात हुआ है ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें प्राप्त करने के उद्देश्य से पाकिस्तान गया था, और यदि हां, तो उसे किस हद तक सफलता प्राप्त हुई ?

†**श्री सादत अली खां** : मेरा ख्याल है कि गोआनी स्कूलों के पाँच प्रिंसपिलों का एक प्रतिनिधि-मंडल पाकिस्तान के किसी एक विश्वविद्यालय के साथ गोआनी स्कूलों के सम्बद्ध किये जाने के प्रश्न पर पाकिस्तानी शिक्षा अधिकारियों के साथ चर्चा करने के लिये १८ नवम्बर, १९५५ को कराची गया था । हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार पाकिस्तान के अधिकारियों ने उनकी प्रार्थना को ठुकरा दिया है ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार को कोई पत्र भेजा गया है, और यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में उससे कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ?

†**श्री सादत अली खां** : मुझे इस बात की जानकारी नहीं है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी: मैं जानना चाहता हूं कि जिन विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में मान्यता प्राप्त है क्या उनमें कराची भी एक है, और यदि हाँ, तो क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि ऐसे मुल्कों के विश्वविद्यालयों को, जो ऐसे देश के लोगों के साथ संधि करते हैं या परीक्षायें लेते हैं जिनके हम विरुद्ध हैं, जो मान्यता प्रदान की गई है वह बन्द कर दी जाये ?

†**श्री सादत अली खां** : यह एक बड़े प्रश्न का एक भाग है ।

अम्बर चरखा

†*९१९. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बेरोजगारी को दूर करने के उद्देश्य से विभिन्न शरणार्थी बस्तियों और कैम्पों में अम्बर चरखा को प्रचलित करने के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार किया गया है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : मामला विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गिडवानी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या शरणार्थी बस्तियों में अम्बर चरखा प्रचलित करने के अतिरिक्त छोटे अथवा कुटीरोद्योग प्रारम्भ करने की प्रस्थापना है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : हम कई बस्तियों में बहुत बड़ी संख्या में छोटे उद्योग स्थापित कर रहे हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि अम्बर चर्खे को कैम्पस् में चलाने पर विचार किया जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस काम के लिये कितनी धन-राशि मुकर्रर की है और कब तक इस चर्खे का इस्तेमाल (प्रयोग) शुरू हो जाने की आशा है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : जहाँ तक धनराशि का प्रश्न है मुझे १२-१४ करोड़ रुपये अगली पंच वर्षीय योजना के लिये मिले हैं । रुपये की तो कमी नहीं है । जहाँ तक इस काम का ताल्लुक है हम ने अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को लिखा है इस सम्बन्ध में और हम उनसे खतोकिताबत (पत्र व्यवहार) कर रहे हैं । हमारी बड़ी भारी इच्छा है कि जो हमारी बस्तियाँ हैं जहाँ पर कि शरणार्थी भाई बसे हुये हैं अगर उनको कोई अम्बर चर्खे से रोजगार मिल सकता है तो देने का यथा संभव यत्न किया जाये ।

†**श्री केशव अय्यंगार** : क्या मैं जान सकता हूं कि यह मामला कितने समय से विचाराधीन है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम ने अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को लिखा है और मैं आप को यकीन (विश्वास) दिलाना चाहता हूं कि मुझे भी उतनी ही जल्दी है जितनी कि आप को है और मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी मामला साफ हो जाये ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : अब चूंकि शरणार्थी बस्तियों में काफी अम्बर चरखे वितरित किये जाने वाले हैं, तो क्या अम्बर चरखे की मरम्मत के लिये कोई केंद्र होंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक करने के केंद्र ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : यह प्रश्न ब्यौरे का है और निस्संदेह इस पर हम विचार करेंगे । यदि मैं अम्बर चरखा चलाना चाहता हूं तो उसके ठीक तरह काम करने का प्रबन्ध करूंगा ।

सीमा घटनायें

†*९२१. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत जनवरी में पाकिस्तान सीमा से चार मील की दूरी पर स्थित काश्मीर के एक छोटे ग्राम मिथाला में पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा चार सदस्यों वाले एक काश्मीरी परिवार की हत्या कर दी गई थी ;

(ख) क्या अन्य सम्पत्ति और पशु भी लूटे गये थे; और

(ग) इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)**: (क) और (ख). ११ जनवरी, १९५६ की रात को पाकिस्तानी राष्ट्रजनों ने अखनूर तहसील के मिथाला ग्राम से जरा हट कर बने एक अकेले घर पर आक्रमण किया था और एक भारतीय परिवार के चार सदस्यों की हत्या कर दी थी । वह ४० बकरियां

†मूल अंग्रेजी में

६ पशु और कुछ घरेलू चीजें भी अपने साथ ले गये । इस दुर्घटना के बाद उक्त पाकिस्तानी पाकिस्तान द्वारा कब्जा किये गये जम्मू और काश्मीर के प्रदेश को वापस लौट गये थे ।

(ग) सीमा पर सैन्य और पुलिस की गश्त को बढ़ा दिया गया है ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : माननीय मंत्री ने कहा है कि उक्त घटना रात्रि के समय हुई थी । क्या मैं जान सकता हूं कि इस बात की संपुष्टि किस प्रकार की गई कि हत्या और लूटमार पाकिस्तानियों द्वारा की गई थी ?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : हमारा पुलिस दल तत्काल ही उस क्षेत्र में गया था और स्थानीय रूप से की गई जाँच और हत्यारों के पदचिन्हों से यह बिल्कुल स्पष्ट था कि वह व्यक्ति पाकिस्तान के क्षेत्र को वापस चले गये थे ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : माननीय मंत्री जी ने कल के और परसों के अखबारों में पढ़ा होगा कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने अपने वक्तव्य द्वारा भारत पर, उन तमाम बोर्डर रेड्स (सीमान्त आक्रमणों) के बारे में जो हाल ही में हुये हैं, तमाम दोषोरोपण किया है । मैं जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने इसके बारे में क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : हमने देखा है कि पाकिस्तान के इंस्लामी गणतंत्र के राष्ट्रपति और वहां के उत्तरदायी मंत्रियों द्वारा हाल ही में दियें गये वक्तव्यों में हमीं पर सारा दोष लादा गया है ।

†**श्री केशव अय्यंगार** : क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सरकार ने कौन से प्रतिबन्धात्मक उपाय किये हैं ?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : मैं केवल उसी बात को दुहरा सकता हूँ जो प्रधान मंत्री ने कुछ दिन पूर्व सदन में कही थी । मेरा ख्याल है कि पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में लगभग ४,५०० मील तक सीमा मिलती चली गई है । वास्तव में यह प्रत्याभूति नहीं दी जा सकती है कि भूमि के प्रत्येक इंच पर पूर्णरूप से पहरा किया जायेगा, किन्तु हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

नमक

†*९२३. **श्री शिवमूर्त्ति स्वामी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नमक उपकर अधिनियम के अर्न्तगत गठित त्रावनकोर-कोचीन प्रादेशिक बोर्ड ने वर्ष १९५६-५७ में राजाकमंगलम् नमक कारखाना और मानकौड़ी झील के निकट स्थित कारखानों के समूह को लवणाम्बु का अधिक सम्भरण किये जाने के लिये केंद्रीय सरकार से सिफारिश की है ;

(ख) क्या सिफारिश पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हाँ तो प्रस्तावित सुधार कार्यों की कुल लागत क्या है ?

†**उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे)** : (क) हाँ ।

(ख) केंद्रीय बोर्ड ने इस प्रस्थापना पर २१ मार्च, १९५६ को हुई अपनी बैठक में विचार किया तथा उसकी सिफारिश की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) ३४,०५० रुपये ।

अम्बर चरखा

†*९२४. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस दश में सूत के उत्पादन के लक्ष्य से सहमत होते समय क्या योजना आयोग ने अम्बर चरखे को ध्यान में रखा था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : जी नहीं । १९६१ तक सूत की अनुमानित माँग और उसकी उत्पादन वृद्धि की प्रत्याशित संभावनाओं को दृष्टि में रखते हुये उक्त लक्ष्य निर्धारित किया गया था ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या मैं जान सकती हूँ कि इस बात को देखते हुये कि अम्बर चरखे को अब एक प्रमाप चरखा मान लिया गया है, क्या सरकार छोटे रेशे की कपास के उत्पादन के प्रश्न पर विचार करेगी ? छोटे रेशे के कपास से सामान्य चरखों द्वारा सूत काता जाना कठिन था ।

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : छोटे रेशे के कपास से अम्बर चरखा और सामान्य चरखों द्वारा सूत काता जा सकता है ।

†**श्री टी० एन० सिंह** : माननीय मंत्री कृपया अपने उत्तर को और स्पष्ट करें । ऐसा बताया गया है कि जिन मिलों को छोटे रेशे की रुई अपेक्षित होती है उन के अनुमानित उत्पादन का कुछ भाग आंशिक रूप से अम्बर चरखे द्वारा तैयार किया जायेगा । इसलिये उत्पादन की इस प्रस्तावित नई विधि को देखते हुये, क्या छोटे रेशे की रुई का उत्पादन बढ़ाने का कोई विचार है, अथवा क्या सरकार का यह विचार है कि इस समय छोटे रेशे की कपास की जितनी मात्रा उपलब्ध है वह अम्बर चरखे के लिये पर्याप्त है ?

†**श्री कानूनगो** : कपास की जितनी मात्रा का अनुमान लगाया है वह अभी तो पर्याप्त होगी ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार के पास इस बात का कोई अनुमान है कि निकट भविष्य में कितने व्यक्ति अम्बर चरखे का प्रयोग करने लगेंगे ?

†**श्री कानूनगो** : इस बात का अनुमान लगाना असंभव है ।

विदेश विनिमय बैंक

†*९२५. **श्री बंसल** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि किसी विदेशी विनिमय बैंक ने भारतीय वाणिज्य मंडल द्वारा जारी किये गये उद्भव प्रमाणपत्रों को स्वीकार करने से इनकार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में की गई कार्यवाही ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) और (ख). इस आशय की एक शिकायत सरकार से की गई थी किन्तु जांच से यह ज्ञात हुआ है कि वह किसी गलतफहमी के कारण हुआ था और भारतीय वाणिज्य मंडल द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्रों को अस्वीकार करने का जान बूझ कर कोई प्रयास नहीं किया गया था ।

प्रधान मंत्री की जापान यात्रा

†*९२८. **श्री वोडयार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें जापान जाने के लिये निमंत्रण प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्होंने उक्त निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). जापान के प्रधान मंत्री ने प्रधान मंत्री को निमंत्रित करने की अपनी इच्छा की अनौपचारिक रूप से सूचना दी है । प्रधान मंत्री ने उत्तर में कहा है कि वह जापान की यात्रा करना पसन्द करेंगे और वास्तव में वह बहुत दिनों से ऐसा करना चाह रहे हैं, किन्तु देश में अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण उनके लिये यह कहना संभव नहीं है कि वह जापान जा सकेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तान के आदिमजाति क्षेत्रों से हिन्दुओं और सिखों का प्रव्रजन

†*९२९. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान के आदिमजाति क्षेत्रों के कोई चार हजार हिन्दु और सिख भारत में प्रव्रजन करना चाहते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उनके प्रव्रजन के लिये की गई व्यवस्थायें क्या हैं ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)** : (क) जानकारी प्राप्त हुई है कि पाकिस्तान के आदिमजाति क्षेत्रों से कोई २,५०० गैर-मुसलमान व्यक्ति भारत में प्रव्रजन करना चाहते हैं ।

(ख) पिछले कई वर्षों से प्रथा यह है कि जो गैर-मुसलमान पश्चिमी पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं वह लाहौर स्थित हमारे उप-उच्चायुक्त को सूचित करते हैं। उनके भारत स्थानान्तरित किये जाने की व्यवस्था की अन्तिम रूप दिये जाने तक इन संभाव्य प्रव्रजकों को डी० ए० वी० कालिज निष्क्रमणार्थी कैम्प में रखा जाता है ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या मैं जान सकता हूँ कि पाकिस्तान के आदिमजाति क्षेत्रों में कितने हिन्दू और सिख इस समय रह रहे हैं इस बात का पता लगाने का कोई प्रयत्न किया गया है ?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार पाकिस्तान के आदिम-जाति क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के लगभग दस हजार हिन्दू रहते हैं ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या यह सच नहीं है कि उक्त व्यक्तियों के वागाह सीमा के अत्यधिक निकट पहुँच जाने के बाद भी उनसे लौट जाने के लिये कहा गया था, और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण थे ?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : वास्तव में इसी विषय पर आज एक अल्प सूचना प्रश्न भी है जिसका उत्तर प्रधान मंत्री विस्तारपूर्वक दे रहे हैं । मेरा ख्याल है कि हम तब तक रुक सकते हैं ।

†**श्री टी० एन० सिंह** : क्या यह सच है कि कुछ मामलों में पाकिस्तान के अधिकारियों ने, हमारे उप-उच्चायुक्त द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्रों को स्वीकार नहीं किया है ?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : जहाँ तक अनुसूचित आदिमजाति के लोगों का सम्बन्ध है यह सही है ।

†**श्री टी० एन० सिंह** : क्या यह सच नहीं है कि यद्यपि हमारे उप-उच्चायुक्त द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्रों को, जो विधि और निश्चित की गई व्यवस्थाओं के अन्तर्गत वैध हैं, मान्यता नहीं दी जा रही है ?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : जैसा कि मैंने कहा है इसी विषय पर एक अल्प सूचना प्रश्न भी है।

†**अध्यक्ष महोदय** : उक्त अल्प सूचना प्रश्न का उत्तर दिये जाने तक अभी अनुपूरक प्रश्न स्थगित किये जायेंगे ।

बाढ़ की रोकथाम

†*९३१. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सर क्लाड इंगलिस के शिष्टमंडल की, जो भारत की बाढ़ समस्या के सम्बन्ध में कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारत में आ रहा था, सिफारिशें प्राप्त हो गयी हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) भारत में बाढ़ की रोकथाम के सम्बन्ध में उनके सुझाव क्या हैं; और

(ग) इन सुझावों के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). सर क्लाड इंगलिस का प्रतिवेदन सरकार को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है । प्रतिवेदन प्राप्त होते ही इस पर विचार किया जायेगा और जहाँ भी आवश्यक होगा समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

†**ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : इस प्रतिवेदन के सरकार के पास पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा और अब तक इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

†**श्री हाथी** : यह तो उस विशेषज्ञ पर निर्भर करता है जिस को प्रतिवेदन लिखना है ।

†**श्री टी० एन० सिंह** : क्या बाढ़ नियंत्रण की समस्याओं में विभिन्न नदियों और उस भूतल के अनुसार, जिस पर से होकर वह नदियाँ बहती हैं, विभिन्नता होती हैं, या यह एक ऐसी सामान्य समस्या है जो समस्त भारत पर लागू होती है और जो प्रत्येक मामले में एक समान होगी ?

†**श्री हाथी** : जी नहीं, अलग-अलग स्थानों में इस समस्या में विभिन्नता है, जो उस नदी के भूतल, नदी के प्रवाह, जल की निकासी और नदी के विशेष व्यवहार पर निर्भर है ।

†**श्री टी० एन० सिंह** : क्या इस विशेषज्ञ को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व भारत के विभिन्न भागों में जाकर प्रत्येक क्षेत्र की व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ था ?

†**श्री हाथी** : जी हां । वह द्रवचालन गवेषणा केंद्र के प्रभारी निदेशक के रूप में १९४७ के पूर्व किसी समय भारत आया था । वह द्रवचालन गवेषणा केंद्र का प्रभारी था और इस प्रकार उसको भारतीय नदियों का अनुभव था ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या यह प्रतिवेदन कम से कम आगामी बाढ़ों से पूर्व प्राप्त हो जायेगा ?

†**श्री हाथी** : मैं समझता हूं कि यह तत्काल आ जायेगा । यह इस पर निर्भर है कि वह इस प्रतिवेदन को लिखने में कितना समय लेते हैं ।

आकाशवाणी

†*९४०. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० विधान चन्द्र राय ने पश्चिम बंगाल बिहार विलय के प्रश्न पर रविवार, ४ मार्च को आकाशवाणी के कलकत्ता केंद्र से कोई वार्ता प्रसारित की थी;

(ख) क्या इस वार्ता को प्रसारित करने के लिये मंत्रालय से कोई अनुमति प्राप्त की गई थी; और

(ग) यदि कोई अन्य व्यक्ति भी इस विषय पर बोलना चाहे तो क्या उसको इस प्रकार की अनुमति भी प्रदान की जायेगी ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने इस प्रश्न पर बोलने की अनुमति मांगी थी और अनुमति दे दी गयी थी ।

(ग) उन अवसरों को छोड़कर जब सरकारी नीतियों का स्पष्टीकरण किया जाना हो, आकाशवाणी द्वारा साधारणतया विवादग्रस्त राजनीतिक प्रश्नों पर चर्चा करने की अनुमति नहीं प्रदान की

†मूल अंग्रेजी में

जाती है । पश्चिम बंगाल विधान सभा में किये गये प्रश्नोत्तरों से यह प्रतीत होता है कि इस मामले के सम्बन्ध में कुछ गलतफहमी रही है । जिन दलों ने अनुमति मांगी थी, उनको यह सूचना दी जा चुकी है कि यद्यपि हम साधारणतया इस प्रकार के प्रसारणों की अनुमति नहीं देते हैं, परन्तु जो कुछ हुआ है उसे ध्यान में रखते हुये और एक अत्यन्त असाधारण मामला होने के कारण आकाशवाणी पश्चिम बंगाल विधान सभा के उन दलों द्वारा जो विपरीत विचारों वाले हैं, नामोदिष्ट एक व्यक्ति को अपने तर्क प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिये तैयार रहेगा । इसकी घोषणा समाचार पत्रों में भी की जा चुकी है ।

†**श्री एच० एन० मुकर्जी** : डा० राय के भाषण की सरकारी प्रतिलिपि में, पश्चिम बंगाल सरकार के माप्ताहिक में जिस रूप में उसे प्रतिवेदित किया गया है, और जो अध्ययन के लिये हमारे पास भेजी गयी थी, मैंने ऐसे कुछ खंड देखे हैं जिनमें निश्चित रूप से यह आरोप लगाया गया है कि जो लोग विलय योजना का विरोध कर रहे हैं वह आगामी चुनावों में अपने लिये अनुकूल परिस्थितियां बनाने का प्रयास कर रहे थे । क्या आकाशवाणी ने डा० राय द्वारा प्रसारित किये जाने से पूर्व उनके वक्तव्य की मूल प्रति देखी थी, और यदि हां, तो इस प्रकार का विवादास्पद मत प्रगट किये जाने के सम्बन्ध में जब कि दूसरे पक्ष को उसका खंडन करने का अवसर नहीं दिया जाता है ? आकाशवाणी का क्या दृष्टिकोण है ।

†**डा० केसकर** : जैसा कि मैंने कहा, हम सामयिक राजनीतिक प्रश्नों पर विवादास्पद प्रसारण करने की अनुमति नहीं देते हैं । जहां तक उसमें प्रगट किये गये विचारों का सम्बन्ध है, यह समझा जाना चाहिये कि वह प्रसारण करने वाले व्यक्ति के विचार हैं, आवश्यक रूप से आकाशवाणी के विचार नहीं हैं ।

†**श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से, जिन के इस समस्या के सम्बन्ध में अपने अलग विचार हैं, इस प्रकार के आवेदनपत्र प्राप्त हुये थे, और क्या पश्चिम बंगाल विधान सभा में इस प्रश्न के उठाये जाने से पूर्व उनको भी एक अवसर प्रदान किया जाने वाला है, क्योंकि इस रेडियो वार्ता में पश्चिम बंगाल विधान सभा में हुई चर्चा का कोई उल्लेख नहीं किया गया था ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: किसी गलती को दोहराने की जिद नहीं की जानी चाहिये ।

†**डा० केसकर** : मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मेरा उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है । यह बात किसी गलतफहमी के कारण ही हुई है, और इस गलतफहमी के ही कारण ऐसे विचारों के, जिन को विवादास्पद माना जा सकता है, प्रगट किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी । यद्यपि हम इस प्रकार के प्रसारणों की अनुमति देते हैं, फिर भी, अपवाद के रूप में, हम उन लोगों को जो विरोधी विचार रखते हैं अपने विचार प्रगट करने की अनुमति प्रदान करने जा रहे हैं । जहां तक प्रत्येक राजनैतिक दल को अनुमति देने का प्रश्न है, ऐसा करना संभव नहीं है । जैसा मैंने कहा, हम विरोध पक्ष के एक व्यक्ति को अपने विरोधी विचार प्रगट करने की अनुमति देंगे ।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या आकाशवाणी से प्रसारित की जाने वाली वार्ताओं की मूल प्रतियों की पहले ही जांच कर ली जाती है, और यदि हो, तो उसमें निर्वाचन का उल्लेख क्यों करने दिया गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह पूर्ण रूप से उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जो बोलने जा रहा है । प्रधान मंत्री की मूल प्रतियां उनके सिवा अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं देखी जाती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री साधन गुप्त** : क्या यह सच है कि एक बार संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की मूल प्रति तक की जांच की गयी थी और उनको अपनी वार्ता में कुछ बातों का उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी गयी थी ।

†**डा० केसकर** : मुझे इस बात की जानकारी नहीं है।

†**श्री ए० एम० थामस** : माननीय सूचना मंत्री ने जिस नीति वक्तव्य का उल्लेख किया,क्या वह सरकारी व्यक्तियों पर लागू किया जाता है ?

†**डा० केसकर** : जी, हां । वह सरकारी व्यक्तियों पर लागू होता है।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : क्या यह भाषण आकाशवाणी के कलकत्ता केंद्र के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी पर प्रसारित किया गया था अथवा दिल्ली को कोई निर्देश किया गया था और उस प्रसारण की अनुमति यहां से दी गयी थी ।

†**डा० केसकर** : अनुमति यहां से दी गयी थी ।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : क्या डा० राय को पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री की हैसियत से बोलने की अनुमति दी गयी थी अथवा व्यक्तिगत रूप से ?

†**डा० केसकर** : यहीं तो सारी गलतफहमी है । इसीलिये तो हम विरोधी पक्ष के भी एक व्यक्ति को बोलने की अनुमति प्रदान करने की प्रस्थापना करते हैं ।

छोटे पैमाने के उद्योग

†*९४१. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे पैमाने के उद्योगों का अध्ययन करने के लिये १९५५ में कितने विदेशी विशेषज्ञ बुलाये गये थे; और

(ख) उनके परामर्श पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) नौ ।

(ख) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४८**]

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : इन विशेषज्ञों ने जिन छोटे पैमाने के उद्योगों का अध्ययन किया था उनके नाम क्या हैं ?

†**श्री कानूनगो** : जूता, ड्राइंग के औजार, मानचित्र बनाने के औजार, बाजार सर्वेक्षण, कलई, बिजली से कलई आदि ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या किसी विदेशी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत इन विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त की गयीं थीं ?

†**श्री कानूनगो** : जी नहीं; इनकी सेवायें फोर्ड फाउन्डेशन के साथ व्यवस्था करके प्राप्त की गयीं थीं और हमारे छोटे पैमाने के उद्योगों के निदेशक ने उनका चुनाव किया था ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : छोटे पैमाने के उद्योगों का अध्ययन करने के लिये कुछ व्यक्ति भारत से जापान भेजे गये थे । क्या उनकी किसी भी सिफारिश को कार्यान्वित किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : भारत सरकार ने तो किसी को नहीं भेजा था।

†**श्री वेलायुधन** : यह नौ विशेषज्ञ किन देशों से आये हैं और क्या वह यहां छोटे पैमाने के उद्योगों को यहीं काम में लाये जाने के लिये परामर्श देने के हेतु आये हैं अथवा उनको अपने देशों में ले जायेंगे ?

†**श्री कानूनगो** : वह विभिन्न देशों से, मुख्यतया स्कैण्डिनेवियन देशों से आये हैं। वह यहां के स्थानीय औद्योगिक दस्तकारों को अपनी प्रणालियों में सुधार करने के सम्बन्ध में सलाह देते हैं। इस समय निर्यात करने का कोई विचार नहीं है।

†**श्री टी० एन० सिंह** : यह महानुभाव जो प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं क्या वह इस सभा को उपलब्ध कराया जायेगा, अथवा लोक-सभा पटल पर रखा जायेगा ?

†**श्री कानूनगो** : इन में से अधिकांश प्रतिवेदन नहीं देंगे। इन में से अधिकांश इस अर्थ में परामर्शदाता हैं कि वह मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार औद्योगिक इकाइयों को परामर्श देते हैं। परन्तु कुछ प्रतिवेदन, जिन का सम्बन्ध अर्थशास्त्र और बाजार इत्यादि से सम्बन्धित मोटे सिद्धांतों से है, उपलब्ध किये जा सकते हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन छोटे-छोटे घरेलू उद्योगों के सुधार के लिये जो मुख्य-मुख्य सुझाव इन विशेषज्ञों ने दिये हैं वे कौन-कौन से हैं ?

श्री कानूनगो : वह तो एक लम्बी फ़ेहरिस्त होगी और बताना मुश्किल होगा। अब एक जूते का ही सवाल ले लीजिये, वह आगरे से मद्रास तक चलता है।

नेपाल को सहायता

†*९४२. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेत्र सहायता योजना के लिये नेपाल को धनराशि के रूप में कितनी सहायता दी गयी है;

(ख) अब तक खोले जा चुके शिविरों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या चिकित्सा विशेषज्ञों के रूप में कुछ और सहायता भी मांगी गयी है; और

(घ) यदि हाँ, तो कुल कितने चिकित्सक भेजे गये हैं ?

†**वैदेशिक कार्य-उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)** : (क) ५,००० रुपये।

(ख) चार शिविर पुरे किये जा चुके हैं और पांचवां शीघ्र ही खोला जाने वाला है।

(ग) जी हाँ, भारतीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत।

(घ) संवरण विचाराधीन हैं।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : क्या यह सच है कि एक भारतीय नेत्र विशेषज्ञ ने अपनी सेवायें अर्पित की हैं और इसके लिये एक विस्तृत कार्यक्रम प्रस्तुत किया है ?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : मैं समझता हूं कि वह सीतापुर नेत्र चिकित्सालय के डा० मेहरे हैं जो इन शिविरों को चला रहे हैं।

प्रशुल्क वार्ता सम्मेलन

†९४३. **श्री राधा रमण** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत जेनेवा में हो रहे प्रशुल्क वार्ता सम्मेलन में भाग नहीं ले रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अँग्रेज़ी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हाँ ।

(ख) भारत १९४७, १९४९ और १९५०-५१ में हुये शुरू के तीन सम्मेलनों में पहले ही कई प्रशुल्क वाक्बद्धतायें कर चुका है और उसके वर्त्तमान निर्यात प्रशुलकों में आयात शुल्कों में कमी किये जाने की बहुत थोड़ी गुंजाइश है।

क्योंकि "गैट" (व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौता) के तत्वावधान में की जाने वाली वार्तायें पारस्परिक लाभ के आधार पर की जाती हैं इसलिये, भारत को, अन्य देशों से मांगी गयी प्रत्येक रियायत के बदले में, उन वस्तुओं के सम्बन्ध में, जिन को अन्य भागीदार भारत को निर्यात करते हैं, अपने आयात प्रशुल्कों में भी रियायत करनी पड़ती है । राजस्व तथा अपने शिशु उद्योगों के विकास के विचार से इस अवसर पर कोई नई वाक् बद्धता करना सम्भव नहीं है ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या भारत ने हाल में जेनेवा में हुये "गैट" के पिछले सम्मेलन में भाग लिया था ?

†**श्री करमरकर** : पिछले से आशय अन्तिम से है अथवा अन्तिम से पहले वाले से है ?

†**श्री वेलायुधन** : मैं भारत के भाग न लेने के कारण जानना चाहता हूं ।

†**श्री करमरकर** : अन्तिम के सम्बन्ध में अथवा अन्तिम से पहले वाले के सम्बन्ध में ? अन्तिम से पहले वाले में हमने भाग लिया था ।

†**श्री वेलायुधन** : मैं समझ नहीं सका । मैंने पूछा था कि क्या भारत ने "गैट" के नवीनतम सम्मेलन या अन्तिम "गैट" सम्मेलन में भाग लिया था और यदि भाग नहीं लिया था, तो क्यों भाग नहीं लिया ?

†**श्री करमरकर** : मैं असहाय हूँ । अन्तिम का अर्थ अन्तिम से पूर्व है या अन्तिम है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय यह तो बता ही चुके हैं कि अन्तिम सम्मेलन में इस देश ने भाग लिया था।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : क्या इस सम्मेलन में भारत द्वारा भाग न लिये जाने के कारण उनको सूचित कर दिये गये हैं ?

†**श्री करमरकर** : जी हाँ, निश्चित रूप से । आवश्यक रूप से सभी कारण नहीं; परन्तु हमने अपने निश्चय की सूचना दे दी है ।

†**श्री टी० एन० सिंह** : क्या हमारे प्रतिनिधियों के लिये वहाँ जाकर केवल कमी करने के प्रश्न पर समझौता करने के लिये नहीं अपितु प्रशुल्क में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में बातचीत करना सम्भव नहीं है । क्या देश की कुछ आवश्यकताओं और कुछ परिस्थितियों में कुछ वस्तुओं के प्रशुल्क दरों में कुछ वृद्धि किये जाने के लिये आग्रह करना सम्भव नहीं है ?

†**श्री करमरकर** : जी हाँ । हम इसके लिये स्वतन्त्र हैं । यदि हम किसी ऐसी वस्तु के सम्बन्ध में जिस के लिये हम प्रशुल्क रियायतें दे चुके हों, पुनः विचार कराना चाहें, तो "गैट" की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार ऐसा करना हमारे लिये सम्भव है । हम ऐसा पहले कर भी चुके हैं ।

†**श्री टी० एन० सिंह** : दिये गये उत्तर के अनुसार, सरकार ने इसलिये भाग नहीं लिया क्योंकि उन्होंने पहले ही कुछ कमी करना स्वीकार कर लिया था और प्रशुल्कों में अधिक कमी करने की गुंजायश नहीं थी । यदि एक मात्र यही कारण हो तो इस उत्तर का उसके साथ मेल कैसे होता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री करमरकर** : कारण और उसका प्रभाव पारस्परिक रूप से सुसंगत हैं। यह सम्मेलन इस दृष्टि से किया गया था कि यदि उससे किसी देश को लाभ होता हो तो जहाँ भी सम्भव हो प्रशुल्क में कमी की जाये। इस समय भारत के लिये अपने प्रशुल्क में कुछ भी कमी करना हितकर नहीं है। इसलिये किसी ऐसे सम्मेलन में, जिसमें हमारी कोई अभिरुचि नहीं है, जाने से क्या लाभ है; पूर्णरूप में "गैट" में नहीं वरन् इस सम्मेलन विशेष में, जो प्रशुल्कों में कमी करने की वार्ता करने के लिये है। हम जो रियायतें दे चुके हैं, उनसे अधिक रियायतें देना देशहित में हमारे लिये सम्भव नहीं है।

†**श्री वेलायुधन** : क्या भारत की "गैट" से सम्बन्ध तोड़ लेने की कोई प्रस्थापना है ?

†**श्री करमरकर** : जब तक कि माननीय सदस्य के पास ऐसी कोई प्रस्थापना न हो, हमारी ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसे उत्तरों से अनावश्यक वाद प्रतिवाद शुरू हो जाता है।

†**श्री करमरकर** : मैं आप की मंत्रणा को स्वीकार करता हूँ।

†**श्री वेलायुधन** : वह आवश्यकता से अधिक उत्साह दिखा रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय में भारतीय कर्मचारी

†*९४६. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय में ३१ दिसम्बर, १९५५ को और ३१ दिसम्बर, १९५४ की तुलना में कुल कितने भारतीय कर्मचारी थे; और

(ख) वे किन-किन पदों पर नियुक्त थे ?

†**प्रधान वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होने पर लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट का ३.५ प्रतिशत अंश भारत देता है, संयुक्त राष्ट्र-संघ सचिवालय में भारतीय कर्मचारियों की प्रतिशतता क्या है ?

†**श्री सादत अली खां** : यह एक पृथक् प्रश्न है। मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये। मैं तत्काल कोई जानकारी नहीं दे सकता।

†**श्री कामत** : सदन इस जानकारी के सभा-पटल पर रखे जाने की उत्सुकता से प्रतीक्षा करेगा किन्तु क्या सरकार को संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में भारतीय कर्मचारियों की संख्या बढ़वाने के प्रयत्नों में सफलता मिली है, और यदि हाँ, तो किस हद तक ?

†**श्री सादत अली खां** : हमारे प्रयत्न जारी हैं।

†**श्री कामत** : क्या अब तक कोई ठोस परिणाम निकले हैं ?

†**श्री सादत अली खां** : हम परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं।

†**श्री शिवनंजप्पा** : इन पदाधिकारियों के चुनाव की व्यवस्था क्या है ?

†**श्री सादत अली खां** : यह सब जानकारी इकट्ठी कर के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री एम० एल० द्विवेदी: मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में यू० एन० ओ० से कोई लिखा पढ़ी की है, यदि हाँ, तो क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

श्री सादत अली खां : लिखा-पढ़ी तो बहुत दिनों से जारी है और जारी रहेगी ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या उत्तर मिला है वहाँ से ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति । एक प्रश्न खड़े हो कर, एक बैठ कर ?

†**श्री एम० एल० द्विवेदी** : उन्होंने सारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है, किन्तु उन्हें खड़े हो कर प्रश्न पूछना चाहिये ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि वहाँ से क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

श्री सादत अली खां : मैंने कहा है कि वहाँ पर हमारे हिन्दुस्तानी जो मुलाज़िम हैं उनकी तादाद से हम बिल्कुल खुश नहीं है और इसके बारे में हम में और उनमें बातचीत जारी है और हमने उनसे कहा है कि इन लोगों की तादाद बढ़ाई जाये ।

†**श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि इसका क्या कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे स्थायी प्रतिनिधित्व के होते हुये भी हमारे पास इतनी मामूली-सी सामग्री भी उपलब्ध नहीं है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)** : यह केवल संख्या का प्रश्न ही नहीं । इसमें यह प्रश्न भी है कि काम किस प्रकार का दिया जाता है । निम्न श्रेणियों में हमारे कर्मचारियों की संख्या अधिक है; किन्तु हम चाहते हैं कि उच्च पदों पर भी भारतीय कर्मचारी काफी संख्या में हों ।

†**श्री कामत** : हम संतुष्ट नहीं हैं ।

†**श्री अनिल के० चन्दा** : हम भी संतुष्ट नहीं हैं ।

उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के लिये चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य सम्बन्धी योजना

†*९४७. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेंसी के हेतु अगले पांच वर्षों के लिये कोई चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सम्बन्धी योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो यह किस प्रकार की है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जे० एन० हजारिका)** : (क) और (ख). उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेंसी के लिये दूसरी योजना की अवधि में २१२.५० लाख रुपये की अनुमानित लागत की एक योजना बनाई गई है । इस के अन्तर्गत अन्य बातों के अतिरिक्त, वर्तमान स्वास्थ्य एककों के विस्तार, नये स्वास्थ्य एककों की स्थापना और प्रयोगशालाओं सहित बेस अस्पतालों की स्थापना की व्यवस्था की जायेगी । इस योजना में जल सम्भरण के लिये ५० लाख रुपये की व्यवस्था भी है ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : इस क्षेत्र की जनता को चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षण देने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)**: इन आदिम जाति लोगों में शिक्षा का सामान्य स्तर बहुत नीचा है । इन को उच्च डाक्टरी शिक्षा प्राप्त करने के लिये भेजने से पहले, हमें इन्हें सामान्य प्रशिक्षण देना होता है, जो कि हम दे रहे हैं, किन्तु उनको जो कि मैट्रिक परीक्षा पास कर चुके हैं और

†मूल अंग्रेजी में

उच्च डाक्टरी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये अर्ह हैं, छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं। हमने आदिम जाति क्षेत्रों में कम्पाऊंडरी का प्रशिक्षण देने के लिये भी कक्षायें खोल दी हैं।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या इस क्षेत्र की जनता को डाक्टरी सहायता देने के लिये कोई चलती गाड़ियाँ उपलब्ध हैं ?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : वहाँ सड़कें ही नहीं हैं। चलती गाड़ियों का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : अगले पांच वर्षों के लिये जो राशि नियत की गई है उसे क्षेत्रवार किस प्रकार व्यय किया जाना है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो एक विस्तृत प्रश्न है। क्या सभा-पटल पर रखे जाने के लिये कोई प्रारूप योजना है ?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : हमारे पदाधिकारी विस्तृत योजना तैयार कर रहे हैं; किन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि हम इसे सभा-पटल पर रख सकेंगे।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : वहां अस्पताल किस स्तर पर खोले गये हैं—ग्राम स्तर पर या ताल्लुका स्तर पर ?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : यदि माननीय सदस्य को इन क्षेत्रों के बारे में कुछ जानकारी होती तो संभवत: यह प्रश्न न पूछा गया होता। तहसीलों या किन्हीं बड़े ग्रामों का प्रश्न ही नहीं है। ये आदिम जाति के लोग एक ही स्थान पर इकट्ठे बने हुये कुछ मकानों के छोटे छोटे पुरवों में रहते हैं।

†**श्री वेलायुधन** : क्या वे छोटे छोटे अस्पताल जो कार्य धर्म प्रचारकों द्वारा चलाये जाते थे, अब भी वहां हैं, और क्या उन्हें कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है ?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेंसी क्षेत्र में कोई भी मिशनरी अस्पताल या मिशन नहीं रहा है।

सीमा घटनायें

†***९४८. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में पाकिस्तानी नागरिकों ने कितनी बार युद्ध विराम रेखा का अतिक्रमण किया;

(ख) भारतीय राज्य क्षेत्र की ओर कितनी हानि हुई है; और

(ग) वहाँ निरन्तर पहरा रखने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)**: (क) १९५५ में संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों का ध्यान २९ घटनाओं की ओर दिलाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों ने दस मामलों को, जिनमें नेकोवाल की घटना भी सम्मिलित है और जिसमें पाकिस्तान के सैनिकों ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था, पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम रेखा का अतिक्रमण घोषित किया था।

(ख) इन अतिक्रमणों के फलस्वरूप, १३ भारतीय मारे गये और लगभग १,००,००० रुपये की सम्पत्ति गुम या नष्ट हो गई थी। इन में से १२ व्यक्ति नेकोवाल घटना में मारे गये थे और इस में ९५,००० रुपये की संपत्ति गुम या नष्ट हुई थी।

(ग) युद्ध विराम रेखा पर सेना और पुलिस की चौकियाँ हैं और लगातार गश्त की जाती है।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या इस विषय में दोनों सरकारों के पदाधिकारियों की कोई बैठक करने का कोई प्रस्ताव है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : किस विषय में ?

†**अध्यक्ष महोदय** : युद्ध विराम रेखा पर हुई सीमान्त घटनाओं के सम्बन्ध में ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : निश्चित किये गये अभिसमय के अनुसार, दोनों पक्षों के स्थानीय पदाधिकारी सामान्यतः समय-समय पर आपस में मिलते रहते हैं । एक वर्तमान प्रस्ताव यह है कि इस सारे प्रश्न पर पहले पदाधिकारी स्तर पर विचार किया जाये और बाद में यदि आवश्यक हो तो इससे ऊंचे स्तर पर और इन झगड़ों के निराकरण के लिये इन रेखाओं का यथासम्भव ठीक ठीक सीमांकन किया जाये ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : रिपोर्टों के प्रस्तुत किये जाने पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य इस समय किस की ओर निर्देश कर रहे हैं । सम्भवतः उनका निर्देश जम्मू और काश्मीर राज्य में युद्ध विराम रेखा के अतिक्रमण की ओर है । वे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और जहाँ तक उनका सम्बन्ध है, कार्यवाही समाप्त हो जाती है ।

†**श्री कामत** : क्या उन दस घटनाओं के सम्बन्ध में जिन में संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों ने पाकिस्तान को युद्ध विराम रेखा के अतिक्रमण का अपराधी ठहराया है, क्या पाकिस्तान ने उन दस मामलों में उनके निर्णय और उस के सब परिणामों को स्वीकार किया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य देखेंगे कि इन दस घटनाओं में से सब से अधिक महत्व-पूर्ण घटना नेकोवाल की थी । मृत १३ व्यक्तियों में से, १२ इस घटना में मारे गये थे । अधिकतर हानि भी इसी घटना में हुई थी । यह वास्तव में एक बड़ी घटना थी । इस के बारे में मैं एक वक्तव्य पटल पर पहले ही रख चुका हूँ । यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ को निर्दिष्ट किया गया था । और संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट दी थी जिस में उन्होंने निश्चित रूप से पाकिस्तानी प्राधिकारियों या पाकिस्तानी पक्ष की ओर के कुछ लोगों को इस अतिक्रमण के लिये दोषी ठहराया था । इस घटना के तुरन्त पश्चात् पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधान मंत्री उन दिनों दिल्ली में थे और उन्होंने एक सार्वजनिक वक्तव्य में यह कहा था कि अपराधी व्यक्तियों को, अर्थात् उन व्यक्यिों को जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षक अपराधी ठहरायें, दंड दिया जायेगा । संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों ने किन्हीं व्यक्तियों को अपराधी नहीं ठहराया, किन्तु पाकिस्तान सरकार का ध्यान तुरन्त इसकी ओर दिलाया । इसके उत्तर में हमें एक लम्बा पत्र प्राप्त हुआ था जिस में भारत पर दोषारोपण किया गया था । यह एक साधारण सी बात है क्योंकि सामान्यतया भारत और पाकिस्तान अपना अपना पक्ष लेते हुये एक दूसरे पर आरोप तथा प्रत्यारोप लगा सकते हैं, और प्रत्येक मामले के सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण रख सकता है, किन्तु जब एक तृतीय पक्ष ने अपना निर्णय दिया है, तो तथ्यों के सम्बन्ध में उस तृतीय पक्ष के निर्णय पर आपत्ति करने का कोई स्थान नहीं रह जाता है । इस मामले में, एक तृतीय पक्ष ने ऐसा निर्णय दिया था और हमें पाकिस्तान के प्रधान मंत्री द्वारा, जो कि उस समय यहां थे, यह आश्वासन दिया गया था कि वह इस निर्णय को स्वीकार करेंगे । मुझे यह बताते खेद होता है कि यद्यपि हम ने पाकिस्तान सरकार को बहुत से अनुस्मारक पत्र भेजे हैं, किन्तु उसने कोई कार्यवाही नहीं की है ।

†**श्री कामत** : क्या यह सच है कि जब कई वर्ष पूर्व जम्मू और काश्मीर में युद्ध विराम की व्यवस्था की गई थी, तो भारत और पाकिस्तान दोनों ने ऐसे मामलों में संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों के निर्णय को मानना स्वीकार किया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे अच्छी तरह याद नहीं है कि ऐसा कोई औपचारिक समझौता हुआ था। किन्तु पूर्व धारणा यह थी कि ऐसे सभी मामलों में उनके निर्णय को, चाहे वह हमें पसन्द हो या नहीं, माना जायेगा ।

†**श्री आर० पी० गर्ग** : क्या उन व्यक्तियों के परिवारों को, जो युद्ध विराम रेखा के अतिक्रमण के कारण मारे गये हैं, कोई प्रतिकर दिया गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं ने अभी कहा है कि उसने कोई भी कार्यवाही करने से इन्कार कर दिया है । प्रतिकर का प्रश्न अवश्य उत्पन्न होता है, किन्तु प्रतिकर से पहले कुछ अन्य कार्यवाही भी तो की जानी है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : जैसा कि अभी मंत्री जी ने स्वीकार किया है, पाकिस्तान के प्रेसीडेंट और दूसरे अधिकारियों ने यह आरोप लगाया है कि हाल में जो बार्डर इंसीडेंट्स (सीमान्त घटनायें) हुये हैं उनमें भारत का हाथ है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने इसके विरोध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इसके विरोध में क्या कार्यवाही हो सकती है सिवा इसके कि वाकयात इस हाउस के सामने और देश के सामने रखे जायें ।

हथकरघा उद्योग

†*९४९. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में पूर्वी प्रदेशों में हथकरघा उद्योग के विकास सम्बन्धी योजनाओं की प्रगति के पुनर्विलोकन के लिये कोई प्रादेशिक सम्मेलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बात का कोई अनुमान लगाया गया है कि उस क्षेत्र में हथकरघा बुनकरों में सहकारी आन्दोलन की किस हद तक प्रगति हो रही है; और

(ग) अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड द्वारा १९५५-५६ के दूसरे भाग में कुल कितनी धन राशि की मंजूरी दी गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां, बनारस में २७ जनवरी, १९५६ को ।

(ख) जी हां ।

(ग) अक्तूबर, १९५५ से ४९,३९,६६८ रुपये ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : अन्य प्रदेशों की तुलना में पूर्वी प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन की हालत कैसी है ?

†**श्री कानूनगो** : इनकी तुलना करना कठिन है, परन्तु यह कहा जा सकता है कि प्रगति उतनी नहीं हुई है जितनी हम चाहते थे ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : क्या यह प्रथम सम्मेलन था या इस से पूर्व ऐसे और भी सम्मेलन किये गये थे; और यदि हां, तो क्या बैठक में पिछड़े हुए क्षेत्रों के प्रश्न पर भी विचार किया गया था ?

†**श्री कानूनगो** : अनुसूची के अनुसार प्रायः सम्मेलन होते रहते हैं। परन्तु इस प्रकार का सम्मेलन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने इस वर्ष से ही आरम्भ किया है। पूर्वी प्रदेश में इस प्रकार का सम्मेलन पहली बार ही किया गया है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : अब तक कितने प्रतिशत हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों में सम्मिलित हुये हैं क्या इसका कोई परिगणन किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : प्रत्येक राज्य के आंकड़ों में अन्तर है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : मैं पूर्वी प्रदेश के बारे में जानना चाहता था ।

†**श्री कानूनगो** : पूर्वी प्रदेश में, अनुमानत: १३·४ लाख में से केवल २.७४ लाख करघे सहकारिता आन्दोलन के अन्तर्गत आये हैं ।

***श्री टी० एन० सिंह** : क्या पूर्वी प्रदेश (जिस में आसाम, बंगाल और उड़ीसा सम्मिलित हैं) के बुनकर सूत के सम्भरण और जिस पर वह दिया जाता है इस विषय में देश के अन्य भागों की तुलना में प्रतिकूल स्थिति में हैं ?

†**श्री कानूनगो** : सदा ऐसा नहीं होता । आसाम में कुछ सीमा तक यह प्रतिकूलता है ।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : क्या इस सम्मेलन में इस सम्बन्ध में कोई परिगणन किया गया है कि कितने प्रतिशत हथकरघा बुनकर हथकरघा उपकर निधि से सहायता प्राप्त कर रहे हैं ?

†**श्री कानूनगो** : केवल सहकारिता आन्दोलन में सम्मिलित होने वाले बुनकर ही सहायता प्राप्त कर सकते हैं ।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : उनकी प्रतिशतता क्या है ?

†**श्री कानूनगो** : मैंने आंकड़े बता दिये हैं । मैं प्रतिशतता नहीं निकाल सकता ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या इस सम्मेलन ने इसके कारण जानने का प्रयत्न किया कि १३ लाख में से केवल २ लाख करघे ही क्यों सहकारी समितियों के अन्तर्गत आये हैं ?

†**श्री कानूनगो** : इसके कई कारण हैं; सब से बड़ा कारण यह है कि बुनकरों को इस बारे म जानकारी नहीं है और न ही उन्हें कोई जानकारी दी गई है ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : गत वर्ष बम्बई और मद्रास में इस प्रकार के दो सम्मेलन हुये थे । क्या यहां इसी प्रकार के सम्मेलन इस लिये नहीं हुये क्योंकि मंत्री महोदय द्वारा उनका सभापतित्व नहीं किया गया था ?

†**श्री कानूनगो** : जी नहीं । मेरा अभिप्राय यह था कि पूर्वी प्रदेश में यह प्रथम प्रादेशिक सम्मेलन था ।

उत्तर प्रदेश में रोजगार के लिए योजनायें

***९१६. श्री भक्त दर्शन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री २२ अप्रैल, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ९८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार को रोजगार के साधनों के बढ़ाने के लिये ऋण के रूप में दिये गये २ करोड़ ३५ लाख रुपये की रकम के उपयोग में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) उपर्युक्त रकम के अतिरिक्त क्या इस काम के लिये किसी और योजना को भी स्वीकार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४९]**

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि जब यह योजना स्वीकार की गयी थी तब कितने आदमियों को रोजगार दिलाने की स्कीम बनायी गयी थी, और अब तक कितनों को वास्तव में रोजगार दिलाया जा चुका है ?

श्री हाथी : जब स्कीम बनायीं गयी थी तो ऐसा कुछ अन्दाजा नहीं किया गया था क्योंकि उनको जो फायदा होता है वह इनडाइरेक्ट (अप्रत्यक्ष) होता है।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आयी है कि उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे जिले हैं, जैसे कि गढ़वाल, जहां कि इस बीसवीं शताब्दी में अभी तक बिजली का एक बल्ब भी नहीं लगा है। क्या इस योजना को स्वीकार करते समय उत्तर प्रदेश सरकार ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया था, या यह योजना बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है ?

श्री हाथी : जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम आती है वह टेकनिकली (प्रविधक रूप से) एग्जामिन (परीक्षित) होती है।

दिल्ली में नई बस्तियां

†*९१७. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली राज्य में कुछ नई बस्तियों में ऐतिहासिक स्मारकों के बिल्कुल पास नये मकान बनाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को विदित है कि इन ऐतिहासिक स्मारकों की सुन्दरता और सौम्यता नष्ट हो जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार करती है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभा-सचिव (श्री पी० एस० नास्कर)**:(क) से (ग). अधिक मकान बनाये जाने के कारण भूमि की मांग बहुत बढ़ गई है अतः ऐसे स्थानों पर भी मकानों का निर्माण करना पड़ा है। फिर भी इन स्मारकों को बस्तियों की बसावट में अच्छी प्रकार समाविष्ट करके, लान बनाने के लिये स्थान सुरक्षित करके खुले स्थान छोड़ कर तथा स्मारकों पर चारों ओर से प्रमुख सड़कों को केंद्रित करके इस असुन्दरता को दूर करने का प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया गया है।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आयी है कि कुछ ऐसी पुरानी इमारतें हैं जो कि टूट फूट गयी हैं लेकिन जिन की वजह से सड़कों में रुकावट होती है और प्राकृतिक दृश्य भी असुन्दर हो रहा है ? क्या उनको हटाने के बारे में कोई विचार किया जा रहा है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : ऐसी इमारतों को हटाना बहुत मुश्किल है। इसके खिलाफ़ आवाज़ उठती है।

दामोदर घाटी निगम

†*९२६. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी कोई योजना है जिस के अनुसार दामोदर घाटी निगम में काम करने वाले उन सभी कर्मचारियों को, जिन्होंने सिंचाई और विद्युत को इस महान योजना की बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं का निर्माण किया, स्थायी रूप से सेवायुक्त रखा जाये, ताकि वे देश के अन्य भागों में भी इसी प्रकार की परियोजनायें बना सकें;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या बांध निर्माण और विद्युत परियोजनाओं के लिये एक स्थायी सेवा पदाली बनाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह पदाली केवल इंजीनियरों के लिये ही होगी; और

(घ) क्या वैज्ञानिक, प्रयोगशाला कर्मचारी, प्रविधिविज्ञ, मिस्त्री और खलासी तथा अन्य कर्मचारी भी इन में सम्मिलित होंगे ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (घ). दामोदर घाटी निगम एक स्वायत्त निगम है, और ऐसा होने के कारण उससे दामोदर घाटी निगम के सभी कर्मचारियों को देश के अन्य भागों में इसी प्रकार की परियोजनायों के निर्माण के लिये स्थायी रूप से रखने की आशा नहीं की जाती है। परन्तु मंत्रालय इस विषय में सक्रिय रूप से विचार कर रहा है कि नदी घाटी परियोजनाओं के सम्पन्न होने पर जो प्रविधिक कर्मचारी बेकार होंगें उन्हें काम में लगाया जाये। गृह-कार्य मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के परामर्श से एक परियोजना श्रमिक विनिमय स्थापित करने की एक विस्तृत योजना तैयार की गई है। इस योजना में प्राय: सभी इंजीनियरिंग कर्मचारी, नदी घाटी परियोजनाओं सम्बन्धी प्रक्रिया और लेखे का विशेष ज्ञान रखने वाले क्लर्क और परियोजनाओं में लगाये गये सभी कुशल श्रमिक सम्मिलित होंगे। सिंचाई और विद्युत इंजीनियरों की एक अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने के बारे में भी मंत्रालय विचार कर रहा है। इस पर मंत्रिगण समन्वय बोर्ड ने विचार किया था और उसने इसे मंत्रियों की एक उपसमिति को सौंप दिया।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस समय दामोदर घाटी निगम में काम करने वाले व्यक्तियों में से कितने अथवा कितने प्रतिशत व्यक्तियों को, क्लर्कों समेत, इस पदाली में सम्मिलित किया जायेगा ?

†**श्री हाथी** : विनिमय योजना में सभी कुशल श्रमिकों, प्रविधिविज्ञों और इंजीनियरों को सम्मिलित किया जायेगा। यदि माननीय सदस्या छंटनी किये जाने वालों की कुल प्रतिशतता जानना चाहती हों, यह बताना कुछ कठिन होगा क्योंकि उनमें से कुछ अकुशल श्रमिक हैं, कुछ खलासी हैं; स्वाभाविक है कि उन्हें सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

†**श्री गिडवानी** : क्या सभी क्लर्कों को फिर से नियुक्त कर लिया जायेगा ?

†**श्री हाथी** : आशा है कि उन सब क्लर्कों को, जिन्हें लेखे और प्रक्रिया का विशेष ज्ञान प्राप्त है, अन्य परियोजनाओं में नियुक्त कर दिया जायेगा ताकि उनके अनुभव से लाभ उठाया जा सके।

†**श्री एच० एन० मुकर्जी** : इस सूचना को देखते हुये कि मैथान बांध से ८०० से अधिक कर्मचारी छंटनी किये गये हैं और पश्चिमी बंगाल सरकार और मंत्रालय के बीच हुये कतिपय पत्र-व्यवहार को दृष्टि में रखते हुये, क्या सरकार उस समय तक के लिये, जब तक कि दामोदर घाटी निगम के लिये अपेक्षित कर्मचारियों का परिगणन नहीं किया जाता है या उन्हें किसी अन्य स्थान पर नियुक्त नहीं किया जाता है, छंटनी के आर्डर वापस ले लेने के लिये कोई उपबन्ध करेगी ?

†**श्री हाथी** : इस सम्बन्ध में योजना, सिंचाई और विद्युत मंत्री ने हाल ही में दामोदर घाटी निगम का दौरा किया था। उन्होंने श्रमिकों, दामोदर घाटी निगम के पदाधिकारियों, उसके सभापति और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से बातचीत की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने कहा है कि इन में से ५० प्रतिशत को पश्चिम बंगाल की परियोजनाओं में कहीं न कहीं सेवायुक्त कर लिया जायेगा। इसी प्रकार श्रम विभाग की ओर से बिहार सरकार से भी ऐसा ही आश्वासन प्राप्त हुआ था, अत: अभी उन सबकी छंटनी नहीं की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : माननीय उपमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा स्थापित की जाने वाली पदाली में केवल इंजीनियरों को रखने के बारे में विचार किया जा रहा है। परन्तु इस बात को ध्यान में रखते हुये कि हमारे पास बहुत से भूमि की जांच करने वाले, कैमिस्ट, अन्य प्राविधिक और उच्च योग्यता प्राप्त वैज्ञानिक कर्मचारी हैं जिन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, क्या इन को भी उस पदाली में सम्मिलित किया जायेगा।

†**श्री हाथी** : यदि माननीय सदस्या प्रश्न और मेरे उत्तर को पढ़ें तो उन्हें पता चलेगा कि उसमें दो सुझाव हैं। एक सिंचाई और विद्युत इंजीनियरों की अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने के सम्बन्ध में है और दूसरा एक विशेष नौकरी दफ्तर के खोले जाने के सम्बन्ध में है, जो सभी कुशल श्रमिकों, जिन में वैज्ञानिक कर्मचारी तथा वे कर्मचारी भी सम्मिलित हैं जिन के अनुभव का उपयोग दूसरी परियोजनाओं में किया जा सकता है, के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा।

†**श्री गिडवानी** : क्या हीराकुड जैसी अन्य नदी घाटी परियोजनाओं के कर्मचारियों को भी यही सुविधायें दी जायेंगी ?

†**श्री हाथी** : अवश्य। यह सभी नदी घाटी परियोजनाओं के लिये हैं।

सिंदरी में निवास स्थान

†*९२७. **श्री झूलन सिंह (श्री पी० सी० बोस की ओर से)** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिन्दरी में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के आवास कार्यक्रम में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) काम करने वालों में से कितने प्रतिशत को अब तक क्वार्टर दिये गये हैं ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) पदाधिकारियों के लिये ९४ क्वार्टर, अधीक्षण कर्मचारियों के लिये ३७६ और मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये ३,२९४ क्वार्टर बनाये जा चुके हैं।

(ख) इतनों को पूरा निवास स्थान दिया गया है :

(१) ९६.६ प्रतिशत पदाधिकारियों को।

(२) ८९.२ प्रतिशत अधीक्षण कर्मचारियों को।

(३) ७९. ७ प्रतिशत मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को, शेष मासिक वेतन पान वालों को किसी न किसी क्वार्टर में एक व्यक्ति के रहने का स्थान दे दिया गया है।

मासिक वेतन पाने वाले नियमित और नैमित्तिक कर्मचारियों में से अधिकतर आस-पास के ग्रामों से आते हैं। ६५० दैनिक वेतन पाने वाले नियमित कर्मचारियों को अस्थायी झौंपड़ियों में एक एक स्थान दे दिया गया है।

†**श्री झूलन सिंह** : क्या अधिक क्वार्टरों की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है ? यदि आवश्यकता है, तो क्या सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसे पूरा करने की प्रस्थापना करती है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : ६५२ क्वार्टर इस समय बन रहे हैं। लगभग ८० प्रतिशत कर्मचारियों को पहले ही निवास स्थान दिया जा चुका है। सभी मासिक वेतन पाने वालों को निवास स्थान देने का विचार है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दामोदर घाटी निगम का तिलैया जलाशय

†*९३३. **श्री मोहन राव** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन लोगों को, जिनकी भूमि तिलैया जलाशय द्वारा जलमग्न हो गई थी, जो कृष्य भूमि दी गई थी उनमें से कितने एकड़ भूमि १ फरवरी, १९५६ तक विस्थापित व्यक्तियों ने स्वीकार नहीं की थी;

(ख) इस भमि का निबटारा कैसे किया गया है;

(ग) इन विस्थापित व्यक्तियों के लिये बनाये गये चार ग्रामों में अब तक १ फरवरी, १९५६ को कितने मकान खाली थे;

(घ) क्या बिहार सरकार ने इस भूमि और मकान को स्वीकार कर लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) १,७५५ एकड़ ।

(ख) बिहार सरकार को भूमि लेने के लिये कहा गया था । अभी तक उस ने ६६१ एकड़ भूमि ली है । शेष भूमि के बारे में अभी बातचीत हो रही है ।

(ग) १८२ ।

(घ) बिहार सरकार ने ११२ मकान लेना स्वीकार किया है । शेष को लेने के बारे में बिहार सरकार विचार कर रही है । भूमि सम्बन्धी स्थिति भाग (ख) के उत्तर में बताई गई है ।

(ङ) स्थानीय प्रचलित दरों के अनुसार ।

†**श्री मोहन राव** : बिहार सरकार ने इन मकानों को लेने से क्यों मना कर दिया है, और इन पर कितना धन विनियोजित किया गया है ?

†**श्री हाथी** : जिन व्यक्तियों को विस्थापित करना पड़ा था उनकी ही इच्छा के अनुसार, दामोदर घाटी निगम ने ३४३ मकान बनवाये थे । इनमें से लगभग १८२ मकानों में वे जाकर रहने लगे थे । दूसरों ने उनमें जाकर बसने से इन्कार कर दिया था । वे नकद प्रतिकर चाहते थे, और वह उन्हें दे दिया गया था । इसीलिये, ये मकान खाली पड़े हुये हैं और अब बिहार सरकार द्वारा इनका उपयोग किया जा रहा है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह सच है कि इन में से कुछ गांवों में नकद प्रतिकर के विकल्प के अन्तिम रूप से चुने जाने का एक कारण यह भी था कि भूमि बहुत शुष्क थी और उसकी सिंचाई के लिये वहां कहीं पानी नहीं था ?

†**श्री हाथी** : मैं मकानों सम्बन्धी प्रश्न का उत्तर दे रहा था । अब माननीय सदस्या यह जानना चाहती हैं कि उन लोगों ने भूमि पर अधिकार क्यों नहीं किया था । इस प्रकार की कुछ शिकायतें की गई थीं कि उनको दी गई भूमि उतनी उपजाऊ नहीं थी जितनी कि वह भूमि थी जो उनसे ले ली गई थी । हम यह जांच कर रहे हैं कि क्या वह बात सही थी या नहीं । लेकिन उन्हें नकद प्रतिकर दे दिया गया है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इन मकानों के बनाने और इन भूमियों का अर्जन करने पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है, और बिहार सरकार को इनके विक्रय और स्थानान्तरण से कितनी राशि आज तक प्राप्त की गई है ?

†**श्री हाथी** : इनकी कुल लागत लगभग ११,२२,१३५ रुपये होगी, और बिहार सरकार इनकी कीमत लगभग ८,५८,००० रुपये देने को तैयार है पर अभी उसका अन्तिम रूप से निर्णय नहीं हुआ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खाल तथा चमड़ा निर्यात संबर्धन परिषद्

†*६३४. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री २४ नवम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५२ के अन्तिम अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित खालें तथा चर्म-निर्यात संवर्धन परिषद् की स्थापना कब की जायेगी; और

(ख) वह कहां स्थित होगी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) और (ख). आशा है कि कमाये हुये चर्म तथा खालों, चमड़े की वस्तुओं और चमड़ा-कमाई उद्योग के उपोत्पादों के लिये एक निर्यात संवर्धन परिषद् की स्थापना मई के अन्त या जून १९५६ के आरम्भ में कर दी जायेगी । उसका प्रधान कार्यालय मद्रास में रहेगा ।

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या सरकार इस स्थापित की जाने वाली निर्यात संवर्धन परिषद् में गांवों के चमड़ा कमाई उद्योगों को प्रतिनिधित्व देने के प्रश्न पर भी विचार करेगी ?

†**श्री करमरकर**: निर्यात संवर्धन परिषद् का कार्य निर्यातों में वृद्धि करना है । यह प्रश्न निर्यात संवर्धन परिषद् के गठन से सम्बंधित है ।

कोयला आयुक्त कार्यालय

†*६३८. **श्री सबोध हासदा** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला उत्पादन तथा विकास आयुक्त के कार्यालय को कलकत्ता से हटाकर रांची में ले जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) इस प्रस्तावित स्थानान्तरण के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) क्या कोयला संगठन कर्मचारी संस्था ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है और सरकार को इस सम्बन्ध में एक ज्ञापन दिया है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी, हां ।

(ख) वर्तमान कोयला खदानों और कोरबा, कर्णपुरा, झिलिमिल्ली, विश्रामपुर, आदि में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित नयी कोयला खदानों के अधिकाधिक पर्यवेक्षण के लिये यह आवश्यक है कि कोयला उत्पादन तथा विकास आयुक्त अपना प्रधान कार्यालय किसी ऐसे केन्द्रीय स्थान पर रखे जिससे कि वर्तमान और प्रस्तावित दोनों ही कोयला खदानों तक आसानी से पहुंचा जा सके ।

(ग) जी, हां ।

†**श्री सुबोध हासदा** : क्या भारत सरकार ने कर्मचारियों की संस्था द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पर विचार कर लिया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : हाल ही में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है । कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने माननीय मंत्री के साथ मुलाकात करने की अनुमति मांगी है । माननीय मंत्री ने उनसे दिल्ली आने के लिये कहा है ।

†**श्री सुबोध हासदा** : क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने इस स्थानान्तरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को बताया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र**: मुझे पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से प्राप्त कोई भी जानकारी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनी कारखानों का निर्माण

†*९४४. **श्री माडिलिंगन गौड़** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेकोस्लोवेकिया ने बम्बई की एक सार्थ के साथ चीनी संयंत्रों के निर्माण के लिये एक अस्थायी करार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या संघ सरकार ने इस करार का औपचारिक अनुमोदन कर दिया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) हमारी जानकारी तो यह है कि यह करार बम्बई के एक सार्थ और चैक विदेशी व्यापार निगम के बीच समूचे औद्योगिक संयंत्रों के निर्यात के लिये हुआ है ।

(ख) जी, नहीं । हमें अभी तक उनका औपचारिक करार प्राप्त नहीं हुआ है ।

अल्पसूचना प्रश्न और उत्तर

पाकिस्तान में हिन्दुओं की नजरबन्दी

अल्पसूचना प्रश्न संख्या ६. श्री श्रीनारायण दास : क्या **प्रधान मंत्री** मह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १८ मार्च, १९५६ कों पाकिस्तानी सीमा पर कुछ ऐसे हिन्दुओं को, जिन्हें पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्च आयुक्त ने भारत में आने के लिये दृष्टांक दे दिये गये थे, रोका गया था, और पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा उन्हें भारत आने की अनुमति नहीं दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया था, और इसके क्या कारण थे;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : माननीय सदस्य ने इस प्रश्न की सूचना हिन्दी में भेजी थी और अब वे अंग्रेजी में प्रश्न कर रहे हैं । इसीलिये, मैं उसका उत्तर हिन्दी म ही दूंगा । यदि अध्यक्ष महोदय की इच्छा हो, तो मैं बाद में अंग्रेजी में उसका सारांश दे दूंगा ।

(क) जी हां, ४४ ऐसे हिन्दुओं को पाकिस्तानी पुलिस ने सीमा से बाहर निकलने की आज्ञा नहीं दी जो भारत आना चाहते थे और जिन्हें लाहौर स्थित हमारे डिप्टी हाई कमिश्नर (उप-उच्चायुक्त) ने इसके लिये प्रमाणपत्र दिया था ।

(ख) पिछले कुछ समय से पाकिस्तान के अधिकारी ऐसे हिन्दुओं को पाकिस्तान से बाहर जाने देने में एतराज करते रहे हैं जिन्हें अछूत कहा जाता है । उनका दावा है कि इन जातियों के लोग हिन्दू नहीं हैं, और इस कारण उन्हें भारत आने का कोई अधिकार नहीं है । स्वाभाविक है हम ने इस विचित्र धारणा का विरोध किया । लेकिन, फिर भी पाकिस्तानी पुलिस अधिकारी उत्प्रवासियों के निकासी के प्रमाण पत्र रोकते रहे हैं जो उन्हें दिये जाते थे । इसका नतीजा यह हुआ है कि डी० ए० वी० कालेज, लाहौर ट्रांसिट कैम्प में लोगों की तादाद बढ़ने लगी है और कुछ लोग वहां एक साल से ज्यादा रह चुके हैं । कैम्प को खाली करने के लिये भारत पाकिस्तानी पास्पोर्ट और वीसा स्कीम (पारपत्र तथा दृष्टांक योजना) के अनुसार हमारे डिप्टी हाई कमिश्नर ने उत्प्रवास के प्रमाणपत्र जारी कर दिये, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तानी पुलिस अधिकारियों ने इन प्रमाण पत्रों को स्वीकार नहीं किया ।

(ग) और (घ) : हमारे डिप्टी हाई कमिश्नर ने पश्चिमी पाकिस्तान के मुख्य मंत्री और राज्यपाल, दोनों से भेंट की । दोनों ने वायदा किया कि जितनी जल्दी हो सकेगा वे इसकी ओर ध्यान देंगे । कराची स्थित हमारे हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान सरकार से भी इस पर बातचीत शुरू की है ।

†मूल अंग्रेजी में

श्री श्रीनारायण दास : मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय आयुक्त जो प्रमाण पत्र देते हैं ऐसे लोगों को, तो क्या उसके लिये फिर पुलिस से दूसरा प्रमाण पत्र लेने की अवश्यकता पड़ जाती है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इसका तो मैं ठीक जवाब नहीं दे सकता हूं। लेकिन हमारे प्रमाण पत्र होने के बाद पुलिस उस पर अमल करे या न करे, यह उसके हाथ में है।

श्री श्रीनारायण दास : अब तक इस प्रकार आने वालों को कितनी बार और कितनी तादाद में रोका गया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: यह सवाल कभी भी १९५३ के पहले नहीं उठा था। उस वक्त तक हरिजनों में से जो लोग आना चाहते थे वे आ जाते थे। १९५३ में यह सवाल उठने लगा, उस वक्त सीमा प्रान्त के खास तौर पर कुछ लोग वहां जमा हो गये। कोशिश करने पर बाद में उनमें से कुछ लोग आ गये थे। लेकिन उसके बाद फिर यह लोग जमा होने लगे और वहां अब तक जमा हैं। खयाल यह है कि इस वक्त तक कोई १०,००० गैर-मुस्लिम लोग वहां होंगे। यह लोग फ्रंटियर एरियाज़ (सीमा क्षेत्रों) के और सीमा प्रान्त के हैं, और जहां तक हमें मालूम है कोई २,५०० यहां आना चाहते हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** क्या मैं अंग्रेजी में इसका सारांश दे सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** जी, हां।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू:** (क) जी, हां। पाकिस्तानी पुलिस ने ४४ ऐसे हिन्दुओं को, जो भारत में प्रव्रजन करना चाहते थे और जिन्हें लाहौर स्थित हमारे उप उच्चायुक्त ने प्रव्रजन-प्रमाणपत्र भी दे दिये थे, सीमा से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी थी।

(ख) पिछले कुछ समय से पाकिस्तानी अधिकारी तथा कथित अनुसूचित जातियों के हिन्दुओं के प्रव्रजन पर आपत्ति करते रहे हैं। उनका दावा यह रहा है कि इन जातियों के सदस्य हिन्दू नहीं हैं, और इसीलिये उन्हें भारत में प्रव्रजन करने का अधिकार नहीं है। स्वाभाविक ही है कि हमने इस विचित्र सी धारणा का विरोध किया था, लेकिन इस पर भी पाकिस्तानी पुलिस अधिकारी इन प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को दिये जाने वाले निष्कासन प्रमाण पत्रों को रोकते रहे हैं। इसी के फलस्वरूप, लाहौर के डी० ए० वी० कालेज ट्रांजिट कैम्प (संक्रमण शिविर) में इन सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी और इनमें से कुछ तो वहां एक वर्ष से भी अधिक से थे। इस कैम्प को खाली करने के लिये ही, हमारे उप उच्चआयुक्त ने भारत पाकिस्तानी पारपत्र पासपोर्ट तथा दृष्टांक योजना के अन्तर्गत प्रव्रजन प्रमाण पत्र जारी किये थे। लेकिन, स्पष्ट है कि पाकिस्तानी पुलिस अधिकारियों ने इन प्रमाण पत्रों को मानने से इन्कार कर दिया है।

(ग) और (घ) हमारे उप उच्चायुक्त पश्चिम पाकिस्तान के राज्यपाल और मुख्य मंत्री दोनों से मिल चुके हैं। दोनों ही ने यथाशीघ्र इस मामले की जांच करने का वचन दिया है। कराची स्थित हमारे उच्चायुक्त ने भी पाकिस्तान सरकार से इस सम्बन्ध में बातचीत शुरू कर दी है।

†**श्री ऐन० सी० चटर्जी :** क्या प्रधान मन्त्री को ऐसी कोई सूचना प्राप्त हुई है कि अनुसूचित जातियों के इन अभागे सदस्यों का धर्म-परिवर्तन करने का भी एक प्रयास किया गया था, और यदि हां, तो क्या वह प्रयास सफल हुआ था और क्या संक्रमण कैम्प में उनके निवास के समय भी कोई ऐसा प्रयास किया गया था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जी नहीं, मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना है।

†**श्री एच० एन० मुकर्जी :** पाकिस्तान स्थित हमारे उच्चायुक्त द्वारा एक कथित प्रेस-सम्मेलन में दिये गये इस आशय के वक्तव्य के अनुसार कि भारत कभी भी इतने अधिक शरणार्थियों

---

†मूल अंग्रेजी में

को अपने यहां स्वीकार नहीं करेगा जिन को कि वह सफलतापूर्वक पुर्नस्थापित न कर सके, क्या मैं सरकार से एक ऐसा आश्वासन प्राप्त कर सकता हूं कि लोक सभा के सामन जिस प्रकार के मामलों का उल्लेख किया गया है, उन प्रव्रजकों को, यदि वे अच्छे या बुरे किन्हीं भी कारणों से इस देश में आने की इच्छा रखते हैं सभी न्याययुक्त तथा उचित सुविधायें देने में लापरवाही नहीं की जायेगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य शायद पूर्वी बंगाल के सामूहिक निष्क्रमण का उल्लेख कर रहे हैं, पश्चिम पाकिस्तान के हरिजनों के मामले का नहीं । स्पष्ट ही है कि जहां तक हमारा सम्बन्ध है वहां बनाये गये नियम लागू किये जाते हैं । निसंदेह ही, उच्चायुक्त का आशय यही था कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न न की जायें जोकि भारत के लिये अहितकर हों ।

†**श्री यू० एन० त्रिवेदी** : लाहौर के डी० ए० वी० कालेज कैम्प में ऐसे हरिजनों की संख्या कितनी है और इन सभी महीनों में उनका भरण पोषण कौन करता रहा है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : भारत सरकार उनका भरण-पोषण करती है, उनकी ठीक-ठीक संख्या ३०० से ऊपर है ।

†**श्री गाडगील** : पश्चिम पाकिस्तान में अब हरिजनों की संख्या कितनी है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं आंकड़े बता चुका हूं; पर मुझे समूचे पाकिस्तान के बारे में ठीक-ठीक निश्चय नहीं है । लेकिन, अनुमान लगाया गया है कि पश्चिम पाकिस्तान के आदिम जाति क्षेत्रों में १०,००० गैर-मुस्लिम निवासी, हरिजन या अन्य व्यक्ति हैं । इनमें दूसरे लाग भी शामिल हैं । हमें सूचना मिली है कि उन में से लगभग २,५०० यहां आना चाहेंगे । पश्चिम पाकिस्तान के अन्य भागों में भी हरिजन हैं ही । पर, मैं उनकी सही सही संख्या नहीं बता सकता । वह बहुत अधिक है, १०,०००० से कहीं अधिक है ।

†**श्रीमती सुचेता कृपलानी** : पाकिस्तान सरकार किस आधार पर यह प्रश्न उठा रही है कि ये अनुसूचित जातियां हिन्दू नहीं हैं ? क्या दोनों सरकारों के मंत्रियों के किसी सम्मेलन में भी इस प्रश्न को उठाया गया था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : स्पष्ट ही है कि इस प्रश्न का उत्तर वही दे सकते हैं । मुझे ऐसे किसी सम्मेलन विशेष की जानकारी नहीं है जिस में कि इस प्रश्न को उठाया गया हो, क्योंकि यह प्रश्न तो उत्पन्न ही नहीं हुआ था । लेकिन, मुझे ऐसे कुछ अवसर याद हैं जबकि उन्होंने हरिजनों और अन्य हिन्दुओं के बीच विभेद करने का प्रयास किया था ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : यह बंदिश जोकि वैस्ट पाकिस्तान (पश्चिम पाकिस्तान) से जो शेड्यूल्ड कास्ट (अनुसूचित जाति) के लोग आ रहे हैं उन पर लगाई जा रही है, क्या ऐसी ही कोई बंदिश जो ईस्ट पाकिस्तान से एक्ससोडस (सामूहिक निष्क्रमण) हो रहा है, उसके ऊपर भी लगाई जा रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, नहीं । असल बात यह है कि यह लोग वहां, जैसा आप जानते हैं, एक बहुत जरूरी काम करते हैं और वहां से इनके आने से कुछ दिक्कत पेश आयेगी कि कौन इस काम को कर । इसलिये रुकावटें डाली जाती हैं ।

श्री जोकीम आल्वा उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं पहले ही कई प्रश्नों की अनुमति दे चुका हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कुम्भकारी कारख़ाना

†*६१३. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले सत्र में पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में योजना मंत्री के इस वक्तव्य को देखते हुये कि द्वितीय योजना के लिये भारत की चीनी मिट्टी की बनी विद्युतीय वस्तुओं की आवश्यकता कुल ६ १।२ करोड़ रुपयों तक की हो जायेगी, क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में एक कुम्भकारी फैक्टरी की स्थापना करने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ख) क्या त्रावनकोर कोचीन सरकार ने एक नयी कुम्भकारी या चीनी मिट्टी की फैक्टरी के लिये, या वर्तमान फैक्टरी के विस्तार के लिये, कोई केंद्रीय सहायता मांगी है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

सम्मिलित उत्पादन कार्यक्रम

†*६१४. **श्री डाभी :**
ठाकुर युगल किशोर सिंह:

क्या **योजना** मंत्री १२ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन उद्योगों के बारे में अब कोई निर्णय कर लिया है जिन के बड़े और छोटे पैमाने के क्षेत्रों में सम्मिलित उत्पादन कार्यक्रम बनाया जाने वाला था; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

†**योजना उपमन्त्री (श्री एन० एन० दुबे)**: (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जमशेदपुर में इस्पात कारख़ाना

*६१८. **श्री बिभूति मिश्र :**
श्री आर० के० गुप्त :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाटा लोहा और इस्पात कम्पनी जमशेदपुर ने जमशेदपुर में इस्पात संयंत्र के विकास के लिये अमेरिका की सर्वश्री हेनरी जे० कैसर एण्ड कम्पनी के साथ कन्ट्रेक्ट कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कंट्रेक्ट के बारे में सरकार के पास क्या जानकारी है ?

उद्योग मन्त्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख) सभा की मेज पर एक विवरण प्रस्तुत किया जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५०]**

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुज्ञापन समिति

†*९२०. **श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कारखानों के अनुज्ञापन को विनियमित करने के लिये एक अनुज्ञापन समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों के चुनाव का आधार क्या है;

(ग) समिति के मुख्य कार्य क्या हैं और उसका कार्यकाल कितना है; और

(घ) क्या इस समिति को अविकसित क्षेत्रों में कारखाने स्थापित करने के लिये स्थान चुनने की शक्तियां प्राप्त होंगी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां। मेरा तात्पर्य उस समिति से है जोऔद्योगिक उपक्रमों के अनुज्ञापन के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ (१९५१ का ६५ वां) के अन्तर्गत गठित की गई थी।

(ख) समिति में केंद्रीय सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों, योजना आयोग और राज्य सरकारों के नामनिर्देशित अधिकारी हैं।

(ग) समिति का कार्य उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस के लिये प्राप्त सभी आवेदनों की जांच सरकारी नीति और योजनाओं को दृष्टि में रखते हुये करना और लाइसेंस दिये जायें अथवा नहीं इस सम्बन्ध में सरकार को सिफारिशें करना है।

अनुज्ञापन समिति एक स्थायी समिति है।

(घ) किसी प्रस्तावित औद्योगिक उपक्रम के लिये स्थान की उपयुक्ता पर विचार करते समय, अन्य बातों के साथ अनुज्ञापन समिति द्वारा उस क्षेत्र की, जहां कि औद्योगिक उपक्रम स्थापित किया जाना है, विकास की स्थिति पर विचार किया जाता है।

धार्मिक संस्थायें

†*९२२. **श्री पुन्नूस** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचित किये गये धन को राष्ट्र निर्माण की योजनाओं में काम में लाये जाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) और (ख) धार्मिक न्यासों और धर्मस्वों के अधिक अच्छे प्रबन्ध और उनके संसाधनों के पूर्ण रूपेण उपयोग का प्रश्न अभी भी योजना आयोग के विचाराधीन है।

मद्रास राज्य में विद्युत वितरण उपक्रम

†*९३०. **श्री एस० वी० रामस्वामी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य ने उक्त राज्य के गैर-सरकारी समवायों और प्राधिकारों के विद्युत वितरण उपक्रमों को अर्जित करने के लिये चालू वर्ष में केंद्रीय सरकार से कोई ऋण मांगा था; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आयात अनुज्ञप्तियां

*९३२. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५४-५५ में दी गई आयात अनुज्ञप्तियों द्वारा वसूल की गई फीस की कुल रकम कितनी है;

(ख) फीस की राशि आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक के दफ्तर पर किये गये वार्षिक व्यय का कितना प्रतिशत थी; और

(ग) आयात अनुज्ञप्ति फीस की दरें कब निर्धारित की गई थी और कब उनका पुनरीक्षण किया गया था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) ४७,४०,४९२ रुपये

(ख) लगभग ९६ प्रतिशत

(ग) लागू करने की तिथि १-१-१९५०

पुनरीक्षण की तिथियां १-१-१९५५ और १-७-१९५५

तृतीय श्रेणी के अविवाहित अधिकारियों के लिये निवासस्थान

†*९३५. **डा० सुरेश चन्द्र** : क्या **निर्माण आवास और संभरण** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७ में और आज तृतीय श्रेणी के अविवाहित अधिकारियों के क्वार्टरों की संख्या क्या है तथा दिल्ली में रहने वाले तृतीय श्रेणी के अविवाहित अधिकारियों की संख्या क्या है और उनमें से कितनों को निवासस्थान दिया गया है;

(ख) तृतीय श्रेणी के अविवाहित अधिकारियों के लिये १९४७ से अब तक कितने क्वार्टरों का निर्माण किया गया है; और

(ग) क्या भावी निर्माण योजनाओं में तीसरी श्रेणी के अघोषित अविवाहित अधिकारि ों के लिये कोई उपबन्ध किया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पी० एस० नास्कर)** : (क) १९४७ में ऐसे अविवाहित अधिकारियों के लिये कोई १,२०० क्वार्टर उपलब्ध थे । ५०० रुपये प्रतिमास से कम वेतन पाने वाले अविवाहित अधिकारियों के लिये इस समय १२५ क्वार्टर उपलब्ध हैं । १९५६-५७ में निवासस्थान प्राप्त करने के लिये ५०० रुपये प्रतिमास से कम वेतन पाने वाले कोई ९०० अविवाहित अधिकारियों ने आवेदनपत्र दिये हैं, जिन में वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो एक कमरे वाले मौजूदा क्वार्टरों में पहले से ही रहे हैं ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) नहीं ।

फुलकारी उद्योग

†*९३६. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड विख्यात फुलकारी (पंजाब की दस्तकारी) निर्माताओं को वित्तीय और अन्य सहायता देने की प्रस्थापना करता है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो सहायता का स्वरूप और उसकी मात्रा क्या है ?

†**उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे)** : (क) और (ख) फुलकारी कार्य में प्रशिक्षण दिये जाने के लिये पंजाब सरकार से प्राप्त एक योजना विचाराधीन है ।

नेपा न्यूज़प्रिंट फैक्टरी

†*९३७. **श्री एच० जी० वैष्णव** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपा न्यूजप्रिन्ट फैक्टरी (मध्य प्रदेश) को केंद्र द्वारा कोई वर्षिक वित्तीय सहायता दी जाती है;

(ख) क्या उक्त फैक्टरी ने अपनी निर्धारित क्षमता के बराबर न्यूजप्रिन्ट का उत्पादन करना आरम्भ कर दिया है; और

(ग) १९५५ में उक्त फैक्टरी का न्यूजप्रिन्ट का कुल उत्पादन कितना था ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) अभी तक नहीं ।

(ग) परीक्षणात्मक उत्पादन आधार पर २,६०६ टन ।

सामुदायिक रेडियो सैट

†*९३९. **डा० सत्यवादी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक रेडियो सेटों के वितरण की योजना के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : १९५४-५५ में राज्य सरकारों को १,२०० सेट दिये गये थे। वर्ष १९५५-५६ के लिये १४,१६९ सेटों के लिये आर्डर दिये जा चुके हैं और प्रदाय जारी हैं । वर्ष १९५६-५७ में १२,००० सेटों के लिये आर्डर देने तथा प्रदाय करने की प्रस्थापना है ।

निर्यात संवर्धन परिषदें

†*९४५. **सरदार इक़बाल सिंह :**
श्री आर० के० गुप्त :
श्री एम० इस्लामुद्दीन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात संवर्द्धन परिषदों में से किसी ने भी विदेशी मंडियों में कार्यालय खोले हैं; और

(ख) यदि हां, तो किन परिषदों ने और किन देशों में ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां । अब तक केवल एक परिषद ने ।

(ख) सूती कपड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषद ने सिंगापुर और बगदाद में कार्यालय खोले हैं ।

सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण

†५२३. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **योजना** मंत्री कलकत्ता नगर के या किसी अन्य नगर के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण से प्रकट हुये मुख्य तत्वों को बताने की कृपा करेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : कलकत्ता का सर्वेक्षण अब भी जारी है । योजना आयोग को एक अन्तरिम प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिस में उक्त सर्वेक्षण का कुछ भाग दिया गया है । इस सवेर्क्षण के तथा अन्य सर्वेक्षणों के प्रमुख तत्व प्रतिवेदनों के प्रकाशित होने पर उपलब्ध होंगे ।

जिला विकास समितियां

†५२४. **श्री आर० के० गुप्त** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेप्सू राज्य में जिला विकास समितियां स्थापित कर दी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन जिलों के नाम ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)**: (क) जी, हां ।

(ख) सभी जिलों में ।

भिलाई इस्पात कारखाना

†५२५. **श्री कामत** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के भिलाई इस्पात कारखाने के लिये ट्रेक्टरों और बुलडोजरों के संभरण के लिये हाल ही में टेंडर आमंत्रित किये गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि टेंडर प्रस्तुत करने वालों से किन्हीं विशिष्ट विवरणों के ट्रेक्टरों और बुलडोजरों का संभरण करने के लिये नहीं किन्तु एक विशिष्ट प्रकार के ट्रेक्टरों और बुलडोजरों का संभरण करने के लिये कहा गया था; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मेहसी में सम्मिलित सेवा संगठन

†५२६. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री १३ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६७७ के उत्तर के सम्बन्ध में लोक सभा के पटल पर यह जानकारी रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेहसी में एक सम्मिलित सेवा संगठन प्रारम्भ करने के लिये बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत योजना की एक प्रति ;

(ख) सरकार द्वारा मंजूर की जाने वाली वित्तीय सहायता की मात्रा; और

(ग) उन अधिकारियों के नाम और अभिधान जिन्होंने मेहसी में जांच की थी ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) से (ग) विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५१]**

सिलाई की मशीनें

†५२७. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सिलाई की मशीनों का उत्पादन उसकी मांग से बढ़ गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सिलाई की मशीनें निर्यात की जा रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो किन देशों को इनका निर्यात किया जाता है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)**: (क) १९५४ में प्रशुल्क आयोग ने अनुमान लगाया था कि सिलाई की घरेलू मशीनों का उत्पादन मांग से बढ़ गया है। हाल ही के वर्षों में, मांग और उत्पादन दोनों बढ़ रहे हैं यह बताना कठिन है कि मांग अधिक है या उत्पादन ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) अदन, अंगोला, आस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, बर्मा, बहरीन, बेल्जियम कांगो, साइप्रस, श्रीलंका, मिस्र, इथोयोपिया, फ्रांसीसी मोराक्को, फिजी द्वीप, गैम्बिया, ग्रीस, गोल्ड कोस्ट, ग्वाटेमाला, इराक, ईरान, इन्डोनेशिया, इंडोचीन, केन्या कालोनी, लेबनान, मलाया, मौरीशियस, मोजाम्बीक, न्यासालैंड, नाइजीरिया, न्यूजीलैंड, रोडेशिया, सीरिया, सिंगापुर, साऊदी अरब, सियरा लोने, सुडान, टांगानीका, थाइलैंड, युगैंडा, यूरुग्वे, वियतनाम, और जंजीबार, पैम्बा और प्रशांत सागर के अन्य द्वीप।

छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास

†५२८. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे पैमाने के उद्योगों सम्बन्धी कार्यवाही समिति के सुझावों के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों ने विशेष परियोजनायों का चुनाब करने के लिये, जहां विकास कार्यक्रम आरम्भ किये जा सकते हैं, अपने क्षेत्रों का सर्वेक्षण आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां , तो अब तक प्राप्त हुई परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) परियोजनाओं का चुनाव किये जाने के पश्चात कार्यवाही समिति का क्या कर्तव्य होगा ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)**:(क) सम्बन्धित राज्य सरकारों ने सर्वेक्षण आरम्भ कर दिया है परन्तु यह अभी पूरा नहीं हुआ है ।

(ख) सर्वेक्षण के लिये चुने गये क्षेत्रों की एक सूची संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५२]**

(ग) केंद्र की कार्यवाही समिति परियोजना क्षेत्रों में विभिन्न अखिल भारतीय बोर्डों की गतिविधियों का समन्वय करेगी और उन्हें परामर्श देगी । राज्यों को राज्य स्तर पर एक कार्यवाही समिति स्थापित करने का परामर्श दिया गया है ताकि निम्न स्तर पर कार्य क्रम की निरन्तर देखभाल की जा सके और विभिन्न अभिकरणों में अपेक्षित समन्वय किया जा सके । अब तक चुनी जा चुकी परियोजनाओं में पहले केवल तीन वर्ष तक काम जारी रखा जायेगा और फिर स्थिति पर पुनर्विचार किया जायेगा ।

नारियल जटा बोर्ड

†५२९. **श्री वेलायुधन** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा बोर्ड ने अपने कार्यालय को चलाने के लिये सभापति और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर लिया है;

(ख) उनमें क्रमश: कितने घोषित तथा अघोषित पदाधिकारी हैं;

(ग) उनमें से कितने पिछडे वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के हैं; और

(घ) वर्ष १९५५ की समाप्ति तक नारियल जटा बोर्ड पर कुल कितना खर्च किया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५३]**

रेडियो और घड़ियों का निर्माण

†**५३०. श्री बूबराघस्वामी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तामिलनाद के एक उद्योगपति श्री जी० डी० नायडू ने रडियो और घड़ियों आदि के निर्माण के लिये एक योजना प्रस्तुत की थी; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख). दिसम्बर, १९५५ में श्री जी० डी० नायडू से मंत्रालय को एक पत्र मिला था जिस में उन वस्तुओं की एक सूची दी हुई थी जिनका वह निर्माण करना चाहते हैं । मुख्य वस्तुयें यह हैं:—

(१) रेडियो, (२) शिक्षा सम्बन्धी प्रोजैक्टर, (३) शिक्षा सम्बन्धी चल चित्र, (४) सैट राइट रजिस्टर, (५) फ्रैक्शनल हार्स पावर (अश्वशक्ति) मोटर्स, (६) रेजर ब्लेड, (७) डीजल नौजल और डीजल पम्प ऐलीमैंट्स, (८) टायर, (९) रेडियेटर्स, (१०) डीजल इंजन के पुर्जे, (११) स्माल मिलिंग और कटर्स, (१२) क्लाक टैकोग्राफ और स्पीडोमीटर, तथा (१३) कृत्रिम प्लास्टिक वस्तुयें ।

सुझाव से ऐसा प्रतीत होता था कि उत्पादन छोटे पैमाने पर आरम्भ किया जाने को था। योजनाओं का और कोई अग्रेतर ब्योरा अभी नहीं मिला है ।

औषधियां

†**५३१. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत आवश्यक औषधियों सम्बन्धी अपनी आवश्यकता के लिये अधिकतर अन्य देशों पर निर्भर है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार आवश्यक तथा संश्लेषित औषधियों के उत्पादन की कोई योजना बना रही है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख). हां, श्रीमान् ।

मध्य भारत नदी आयोग

†**५३२. श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मध्य भारत नदी आयोग की कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो यह बैठक कब और कहां हुई थी;

(ग) क्या इस आयोग में पश्चिम बंगाल सरकार का कोई प्रतिनिधित्व है;

(घ) उस बैठक में किस विषय पर चर्चा की गई और क्या निर्णय किये गये; और

(ङ) आयोग का भविष्य का कार्यक्रम क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). मध्य भारत नदी आयोग (बाढ़ें) की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हो रही है ।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार का कोई प्रतिनिधि इस आयोग का सदस्य नहीं है, क्योंकि यह आयोग पश्चिमी बंगाल की नदियों की समस्याओं के बारे में कार्य नहीं करता है । जैसा कि प्रश्न के उत्तर

---

†मूल अंग्रेजी में

के भाग (ङ) के उत्तर से ज्ञात होगा कि यह मध्य भारत की नदियों सम्बन्धी समस्याओं के बारे में कार्य करता है, इस सम्बन्ध में यह बताया जा सकता है कि ६-१०-१९५५ को हुई केंद्रीय बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड की चतुर्थ बैठक में यह निश्चय किया गया था कि जब नदी आयोग किसी ऐसी बाढ़ नियंत्रण योजना पर विचार करे जिसका सम्बन्ध ऐसे राज्य या राज्यों से हो जिन के प्रतिनिधि इस आयोग में न हों तो उन सम्बन्धित राज्यों के प्रतिनिधियों को आयोग की बैठक में उपस्थित होने के लिये निमंत्रित करना चाहिये ।

(घ) बैठक की कार्यसूची की एक प्रति संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५४]**

(ङ) यह आयोग सभी प्रविधिक मामलों में जिस में गोदावरी, कृष्णा और महानदी और सौराष्ट्र की नदी घाटियों के लिये बाढ़ नियन्त्रण की समायोजित योजनायें तैयार करना और भारत सरकार सूचना पत्र में प्रकाशित इस मंत्रालय के संकल्प संख्या डी डब्ल्यू–वी–१४/(४२)/५५ दिनांक ३० नवम्बर, १९५५ के अनुसार राज्यों में चालू की जाने वाली योजनाओं का परीक्षण सम्मिलित है, केन्द्रीय बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड की सहायता के लिये बनाया गया है

भूमि संरक्षण

†५३३. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पश्चिमी बंगाल सरकार ने तीस्ता घाटी के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में भूमि संरक्षण सम्बन्धी अनुसंधान किये जाने के लिये कोई प्रार्थना की है;

(ख) यदि हां तो, क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या इस विषय पर हाल ही में हुई केन्द्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड की बैठक में विचार किया गया था ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) पश्चिम बंगाल के बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में केन्द्रीय ऋण सहायता के प्रयोजन से यह दो योजनायें अनुमोदित की गई हैं :–

(१) सिक्किम में तीस्ता जलागम क्षेत्र में भूमि संरक्षण––अनुमानित लागत १,५७,००० रुपय

(२) जिला दार्जिलिंग में नदी जलागम क्षेत्रों का सर्वेक्षण––अनुमानित लागत ३७,५०० रुपये

(ग) जी, हां ।

कलकत्ता में कालेज

†५३४. { **श्री एस० सी० सामन्त :**
श्री शिवमूर्ति स्वामी :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में और उसके आसपास पांच और डिग्री कालेज खोले जाने के लिये केन्द्र ने कुछ धन राशि स्वीकृत की है ;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम जहां यह कालिज खोले जायेंगे; और

(ग) पूर्वी पाकिस्तान के कितने विस्थापित विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) जी, हां ।

(ख) यादवपुर, बरीशा, दम दम, वैश्नव घाट और बौन हुगली, ।

(ग) लगभग ५,००० ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पश्चिमी बंगाल से मुसलमानों का प्रव्रजन

†**५३५. श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **प्रधान मंत्री** २६ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ११४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उसके पश्चात् से पश्चिम बंगाल से कितने मुसलमानों ने पूर्वी पाकिस्तान को प्रव्रजन किया;

(ख) उसके पश्चात् २९ फरवरी, १९५६ तक कितने मुसलमान पश्चिम बंगाल में वापस आ गये हैं; और

(ग) क्या सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के उन मुसलमानों की संख्या का कोई अभिलेख रखा है जो प्रव्रजन करके पश्चिम बंगाल और भारत के अन्य राज्यों में चले गये हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) ७४ ।

(ख) कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) पारपत्र और दृष्टांक योजना केवल अल्प-संख्यक समुदाय के लोगों को एक देश से दूसरे देश में प्रव्रजन करने की सुविधा प्रदान करती है । परन्तु हाल ही में पूर्वी पाकिस्तानी मुसलमानों के अनाधिकृत रूप से भारत को प्रव्रजन करने के तीन मामलों की सूचना मिली है ।

विदेशों में भारतीय व्यापारी

†**५३६. श्री एस० सी० सामन्त:** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारतीय व्यापारियों के हितों का वैदेशिक कार्य मंत्रालय की सहायता से किस प्रकार संरक्षण किया जाता है;

(ख) क्या उन को हो रही कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :** (क) विदेशों में स्थित भारतीय शिष्टमंडलों के कर्तव्यों में से एक यह भी है कि वे भारतीय व्यापारियों के हितों का संरक्षण करें । आवश्यकता पड़ने पर यह शिष्टमंडल उनके लिये समस्त उचित सुविधायें प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं ।

(ख) और (ग). हां, श्रीमान् । यह कठिनाइयां सामान्यत: सम्बद्ध देशों में प्रवेश करने और वहां रहने, व्यापार की अनुज्ञप्तियों, निधि के स्थानान्तरण की सुविधाओं और आयात अनुज्ञप्तियों के दिये जाने के बारे में होती हैं।

पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति

५३७. श्री अमर सिंह डामर : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए ऐसे विस्थापित व्यक्तियों की संख्या कितनी है, जो स्थायी दायित्व के रूप में सरकारी सहायता प्राप्त कर रहे हैं ;

(ख) उन्हें किस प्रकार की सहायता दी जा रही है;

(ग) इस समय यह विस्थापित व्यक्ति कौन-कौन से स्थानों पर रह रहे हैं; और

(घ) क्या उन्हें किसी उपयुक्त काम पर लगा दिया गया है ?

पुर्नवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) ५०,४३९ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ये शरणार्थी सरकार द्वारा खोले हुए अनाथालयों और अपाहिज गृहों में अथवा गैरसरकारी संस्थाओं के अनाथालयों में रह रहे हैं। इन शरणार्थियों के पालन का खर्च भारत सरकार देती है।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५५]**

(घ) काम करने योग्य आश्रयहीन महिलाओं तथा बड़े बालक बालिकाओं को शिक्षा तथा उपयुक्त धंधों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे कुछ समय में स्वयं बस जायें।

दामोदर घाटी निगम

†५३८. **डा० रामा राव :**
श्री मोहन राव :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम उन पांच सिम्पलैम्स रेलवे इंजनों को जो अतिरेक घोषित किये गये थे बेच देने में सफल हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो किस मूल्य पर और कितना घाटा रहा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) तथा (ख). निगम से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र उसे लोक-सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

हथकरघा सप्ताह

†५३९. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में देश में 'हथकरघा सप्ताह' मनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने राज्यों ने भाग लिया; और

(ग) इस अवधि में हथकरघा से बने माल के विक्रय से कुल कितनी राशि एकत्र हुई ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :** (क) जी हां, १९ से २५ फरवरी, १९५६ तक 'हथकरघा सप्ताह' मनाया गया था।

(ख) जम्मू तथा काश्मीर के अतिरिक्त सभी राज्यों ने इस समारोह में भाग लिया।

(ग) जानकारी राज्यों से एकत्र की जा रही है और उसे लोक सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

संसद भवन

†५४०. **श्री वीरस्वामी :** क्या **निर्माण आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संसद् भवन के आसपास के भू-गृहादि और वहां पहुंचने के मार्ग साफ सुथरे नहीं रखे जाते हैं;

(ख) क्या संसद् भवन और केन्द्रीय सचिवालय की इमारतों के आस पास के भू-गृहादि और उन तक पहुंचने वाले मार्गों को साफ और स्वास्थ्यप्रद रखने के लिये कोई प्रबन्ध है; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्य के लिये कितने व्यक्ति रखे गये हैं ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री के सभा सचिव (श्री पी० एस० नास्कर):** (क) संसद् भवन के चारों ओर के भू-गृहादि और वहां पहुंचने वाले मार्ग सदैव ही साफ सुथरे रखे जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

लेकिन शरद् ऋतु में यद्यपि इसे कई बार झाड़ा बुहारा जाता है तो भी हवा चलने पर पेड़ों से सूखी पत्तियां लगातार गिरती और जमीन पर फैलती रहती हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) ९८ ।

सान फ्रांसिस्को और न्यूयार्क स्थित भारतीय महावाणिज्यदौत्य के प्रतिवेदन

†५४१. **डा० रामा राव** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारण है कि "सान फ्रांसिस्को और न्यूयार्क स्थित भारतीय महावाणिज्य दौत्य के वाणिज्यिक विभागों के वर्ष १९५२ के प्रतिवेदनों" को १९५६ में प्रकाशित किया गया है अथवा जनता को उपलब्ध कराया गया है;

(ख) उनके प्रकाशन पर कितना व्यय किया गया है; और

(ग) १९५६ वर्ष में इन प्रतिवेदनों से किस लाभ की आशा की जाती है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)**: (क) सान फ्रांसिस्को से यह प्रतिवेदन जुलाई १९५३ में और न्यूयार्क से नवम्बर १९५३ में प्राप्त हुआ था । उनके यहां पहुंचने के एक माह के अन्दर ही इन प्रतिवेदनों का सार 'जर्नल आफ इंडस्ट्री एण्ड ट्रेड' के स्तंभों में प्रकाशित कर दिया गया था । कर्मचारियों की अपर्याप्तता के कारण इन दोनों प्रतिवेदनों को १९५४ के मध्य तक एकीकृत करके मुद्रणालय के लिये तैयार नहीं किया जा सका था । सरकारी मुद्रणालयों पर अधिक आवश्यक कार्यों का भार होने के कारण, इसकी अन्तिम रूप से मुद्रित प्रतियां १९५६ के फरवरी माह में ही वितरण के लिये प्राप्त हो सकीं ।

(ख) अनुमानत : ८९० रुपये ।

(ग) निर्देश तथा अभिलख क लिए ।

छाड बेट

†५४२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने हाल ही में कच्छ की खाड़ी के छाड बेट क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना द्वारा किये गये अचानक आक्रमण के फलस्वरूप हुई हानि के लिये पाकिस्तान सरकार से क्षतिपूर्त्ति का दावा किया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: वास्तव में अभी तक क्षतिपूर्त्ति का कोई दावा तो नहीं किय गया है लेकिन भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को सूचना दे दी है कि वह छाड बेट में अनाधिकार प्रवेश करने वाले पाकिस्तानी सशस्त्र व्यक्तियों द्वारा भारतीय सेना की गश्ती टुकड़ी पर गोली चलाने के फलस्वरूप उसके तीन सदस्यों को पहुंची क्षति के लिये क्षतिपूर्त्ति का दावा करने के अपने अधिकार को सुरक्षित करती है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रतिनिधि-मंडल

†५४३. { **श्रीमती इला पालचौधरी** :
चौधरी मुहम्मद शफी :

क्या **प्रधाम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ की तुलना में वर्ष १९५५ में संयुक्त राष्ट्र संघटन को भेजे गये विभिन्न सरकारी प्रतिनिधि मंडलों पर कुल मिलाकर कुल कितनी राशि व्यय की गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मांगी गई सूचना एकत्र की जा रही है और संग्रहीत होते ही यथाशीघ्र लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

नाहन फाउण्डरी लिमिटेड

†५४४. **श्री गार्डलिंगन गौड़** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाहन (हिमाचल प्रदेश) की नाहन फाउन्ड्री लिमिटेड ने अपने उत्पादों को कमीशन पर बेचने के लिये (१) एकल विक्रेताओं और (२) विक्रेताओं तथा आढ़तियों को नियुक्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इन वर्गों में से प्रत्येक को किस दर पर कमीशन दिया गया है ;

(ग) अभी तक किसी भी एकल विक्रेता को कितना अधिकतम कमीशन दिया गया है;

(घ) उनको अन्य क्या सुविधायें दी गई हैं;

(ङ) सहकारी समितियों जैसी अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं को क्या रियायतें दी जाती हैं; और

(च) कितनी सहकारी समितियों ने इसके एकल विक्रेता बनने के लिये प्रार्थनापत्र भेजे हैं और उनमें से कितनों को और किन शर्तों पर नियुक्त किया गया है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** :

(क) जी, हां ।

(ख) निम्नांकित कमीशन दिये जाते हैं :

(१) एकल विक्रेता

१. गन्ना पेरने की मशीनों पर	१२·५ प्रतिशत
२. पुर्जों पर	१५ प्रतिशत
३. केंद्र प्रसारी पम्पों पर	३० प्रतिशत
४. अन्य सभी वस्तुओं पर	१२·५ प्रतिशत

(२) विक्रय अभिकर्ता

किसी भी वित्तीय वर्ष में, ५०० तक गन्ना पेरने की मशीनों पर ७·५ प्रतिशत और इससे अधिक पर १० प्रतिशत ।

(३) विक्रेताओं

१. केन्द्र प्रसारी पम्पों पर	१५ प्रतिशत
२. अन्य वस्तुओं पर	७·५ प्रतिशत

(४) आढ़तियों

१. केन्द्र प्रसारी पम्पों पर	१२ प्रतिशत
२. अन्य सभी वस्तुओं पर	६ प्रतिशत

(५) कमीशन अभिकर्त्ताओं

१. केन्द्र प्रसारी पम्पों पर	१२ प्रतिशत
२. अन्य सभी वस्तुओं पर	६ प्रतिशत

(ग) केंद्र प्रसारी पम्पों पर एकल विक्रेता को दिया जाने वाला अधिकतम कमीशन ३० प्रतिशत है ।

(घ) एकल विक्रेता को, कमीशन के साथ साथ ये रियायतें मिल सकती हैं :

---

†मूल अंग्रेजी में

(१) उस एकल विक्रेता के क्षेत्र में फाउन्ड्री के अभिकरणों द्वारा किये गये विक्रयों पर एक सर्वोपरि कमीशन, जो उसे मिलने वाले कमीशन के एक चौथाई की दर पर दिया जायेगा ।

(२) मूल्य सूचियों और प्रचार-सामग्री, आदि जैसे साहित्य का निःशुल्क संभरण ।

(३) प्रदर्शन कक्षों में प्रदर्शित किये जाने के लिये निर्मित उत्पादों का निःशुल्क संभरण ।

(४) कीमतों में कोई परिवर्तन होने पर कीमतों के अन्तर को उस एकल विक्रेता के हिसाब में उसके यहां बिना बिके हुए माल के उस समय के भंडार की कीमत में घटा बढ़ा दिया जाता है ।

(५) प्रत्याभूत न्यूनतम अभ्यंश की संगणना के लिये, उस एकल विक्रेता के क्षेत्र में फाउन्ड्री के अभिकरणों द्वारा किये गये विक्रयों को उसी के हिसाब में डाल दिया जाता है ।

(ड) सहकारी समितियों जैसी अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं को गन्ना पेरने की मशीनें अम्बाला-बरारा तक रेल भाड़ा सहित ३०९ रुपयों की रियायती दर पर दी जाती हैं, जब कि उनकी खुदरा कीमत अम्बाला-बरारा तक रेलभाड़ा सहित ३३४ रुपये है ।

(च) अभी तक किसी भी सहकारी संस्था ने इसका एकल विक्रेता बनने के लिये प्रार्थना पत्र नहीं भेजा है ।

आन्ध्र में नमक बनाया जाना

†५४५. **श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र में नमक बनाने के अन्तर्गत कुल कितना क्षेत्र आता है ;

(ख) उस क्षेत्र में कितनी सहकारी समितियां चल रही हैं ; और

(ग) १९५५-५६ में केन्द्र द्वारा उन्हें क्या सहायता दी गई है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) :** (क) लगभग ११,०६१ एकड़ ।

(ख) तीन ।

(ग) नमक बनाने के कार्य में लगी सहकारी समितियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा यह सहायता दी जा रही है :

(१) नमक फैक्टरियों के नक्शे को वैज्ञानिक तरीके से बनाने के लिये निशुल्क प्रविधिक परामर्श ।

(२) नमक तौलने के लिये जब विभागीय तुलाओं का प्रयोग किया जाये तब तुलाई शुल्कों के भुगातान से विमुक्ति ।

(३) दस एकड़ से अधिक भूमि न घेरने वाली सहकारी समितियों के सदस्यों द्वारा बनाये गये नमक को उपकर के भुगतान से विमुक्ति ।

(४) नमक बनाने के लिये सहकारी समितियों को दिये गये केन्द्रीय सरकार के भूमि खंडों के सम्बन्ध में विनियोजन-शुल्क से विमुक्ति ।

(५) नमक बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार के भूमि खंडों के दिये जाने में सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाती है ।

(६) क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत नमक को लाने-ले जाने में यातायात की प्राथमिकता में सहायता दी जाती है ।

छोटे पैमाने के उद्योग

†५४६. **श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री २१ फरवरी, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ६३ के उत्तर के सम्बन्ध में लोक सभा पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा

†मूल अंग्रेजी में

करेंगे जिस में आंध्र के छोटे पैमाने के उस प्रत्येक उद्योग की जिसके लिये कि १९५५-५६ में अनुदान और ऋण मंजूर किये गये थे अभी तक की प्रगति दी गई हो ।

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : यह सूचना अभी संग्रह की जा रही है और यथा समय लोकसभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सिक्किम के लिये विकास योजना

५४७. श्री भक्त दर्शन : क्या **प्रधान मंत्री** १२ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने वाला एक विवरण लोक सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) सिक्किम की विकास योजना को सफल बनाने के लिये सिक्किम सरकार द्वारा कितने भारतीय विशेषज्ञ और पदाधिकारी मांगे गये हैं;

(ख) ये भारतीय विशेषज्ञ और पदाधिकारी किन-किन कामों के लिये मांगे गये हैं;

(ग) उनमें से कितने व्यक्तियों की सेवायें अब तक सिक्किम दरबार को दी जा चुकी हैं; और

(घ) उन भारतीयों की सेवायें किन-किन शर्तों और कितनी कालावधि के लिये दी गई हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) स (घ). एक ब्यौरा साथ लगा है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५६]**

डी० डी० टी० फैक्टरी

†**५४८. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली की डी० डी० टी० फैक्टरी के विस्तार के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : कारखाने और उसकी इमारतों के नक्शों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । १९५७ के अन्त तक फैक्टरी के विस्तार के पूर्ण हो जाने की आशा है ।

आवास सम्बन्धी गोष्ठी

†**५४९. श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल में राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा आयोजित आवास तथा भवन निर्माण सामग्री सम्बन्धी गोष्ठी में किन प्रश्नों पर चर्चा की गई थी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री क सभासचिव (श्री पी० एस० नास्कर)** : राष्ट्रीय भवन-निर्माण संगठन द्वारा हाल में आयोजित "आवास तथा भवन-निर्माण सामग्री" सम्बन्धी गोष्ठी में इन प्रश्नों पर चर्चा की गई थी :

१. भारत में भवन-निर्माण सम्बन्धी गवेषणा—उसका मूल्य और आवश्यकता ।

२. वर्तमान भवन-निर्माण संहितायें और उप-नियम और उनमें प्रस्तावित सुधार ।

३. भवनों की बनावट में सुरक्षा विषयक मूल तत्व ।

४. नये नमूनों की बनावट के सिद्धांत ।

५. बनावट या नमूनों सम्बन्धी समस्यायें जैसे कि दीवारों में सीलन का बैठना, समतल छतों को पानी के प्रभाव से बचाना, आदि ।

---

†मूल अंग्रेजी में

६. गारे का प्लास्टर और गारे की चुनाई ।

७. बनावट के नमूनों की उपयोगिता ।

८. जलवायु और नागरीय कला (सार्वजनिक भवनों के निर्माण की स्थापत्य कला) ।

९. भारत में भवन-निर्माण सामग्री तथा भवन-निर्माण उद्योग की संस्थिति और इस उद्योग में गवेषणा की प्रयुक्ति ।

१०. प्रवीण श्रमिकों सहित भवन-निर्माण उद्योग के लिये श्रमिक बल और उसका प्रशिक्षण कार्य-क्रम ।

११. आधुनिक भवन-निर्माण में सभी कम वजन की सामग्री का प्रयोग । नयी सामग्रियों और ज्ञात सामग्रियों के प्रयोग का क्षेत्र ।

१२. भवन-निर्माण की नयी सामग्रियों के परीक्षण और निर्माण की समस्या ।

१३. लावा मिश्रित रेत और उसका प्रयोग ।

१४. प्रयुक्त फिनिश ।

१५. आधुनिक निर्माण उपकरणों का प्रयोग ।

१६. जनसंख्या की प्रवृत्ति और उसके घनत्व के नियंत्रण करने वाली भावी आवास सम्बन्धी समस्याओं की आवश्यकतायें ।

१७. भारत के लिये आवास मानदंड---गृहस्थी, परिवार का आकार, परिवार की आय तथा व्यय और किराया-नियंत्रण के प्रश्न पर चर्चा ।

१८. स्थानींय रूप से आवास सर्वेक्षण करने के औजार ।

१९. विभिन्न बनावटों का वर्गीकरण ।

२०. जनसंख्या की आय और किराया दे सकने की क्षमता ।

२१. गंदी बस्तियों की समाप्ति और शहर पुनर्विकास ।

२२. आवास का मानदंड और निवास घनत्व ।

२३. देहाती क्षेत्रों का पुनर्निर्माण ।

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, २८ मार्च, १९५६]

विषय **पृष्ठ**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ८७९–९०३

तारांकित
प्रश्न संख्या

९१२ जर्मनी में भारतीय राष्ट्रजनों के दावे ... ८७९

९१५ गोआ ८८०

९१९ अम्बर चरखा ८८०–८१

९२१ सीमा घटनायें ... ८८१–८२

९२३ नमक ... ८८२

९२४ अम्बर चरखा ८८२–८३

९२५ विदेश विनिमय बैंक ८८३

९२८ प्रधान मंत्री की जापान यात्रा ८८३

९२९ पाकिस्तान के आदिम जाति क्षेत्रों से हिन्दुओं और सिखों का प्रव्रजन ... ८८४

९३१ बाढ़ की रोक थाम ... ८८४–८५

९४० आकाशवाणी ... ८८५–८७

९४१ छोटे पैमाने के उद्योग ... ८८७–८८

९४२ नेपाल को सहायता ८८८

९४३ प्रशुल्क वार्ता सम्मेलन ८८८–९०

९४६ संयुक्त राष्ट्रसंघ सचिवालय में भारतीय कर्मचारी ... ८९०–९१

९४७ उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के लिये चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य सम्बन्धी योजना ... ८९१–९२

९४८ सीमा धटनायें ८९२–९४

९४९ हथकरघा उद्योग ८९४–९५

९१६ उत्तर प्रदेश में रोजगार के लिये योजनायें ८९५–९६

९१७ दिल्ली में नई बस्तियां ८९६

९२६ दामोदर घाटी निगम ८९६–९८

९२७ सिन्दरी में निवास स्थान ८९८

९३३ दामोदर घाटी निगम का तिलैया जलाशय ८९८

९३४ खाल तथा चमड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषद् ९००

९३८ कोयला आयुक्त का कार्यालय ... ९००

९४४ चीनी कारखानों का निर्माण ९०१

अल्प सूचना
प्रश्न संख्या

६ पाकिस्तान में हिन्दुओं की नज़रबन्दी ९०१–०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर ... ९०४–१८

तारांकित
प्रश्न संख्या

९१३ कुम्भकरी का कारखाना ९०४

९१४ सम्मिलित उत्पादन कार्यक्रम ... ९०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमश:)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
९१८	जमशेदपुर में इस्पात का कारखाना ...	९०४
९२०	अनुज्ञापन समिति	९०५
९२२	धार्मिक संस्थायें ...	९०५
९३०	मद्रास राज्य में विद्युत वितरण उपक्रम	९०५–०६
९३२	आयात अनुज्ञप्तियां	९०६
९३५	तृतीय श्रेणी के अविवाहित अधिकारियों के लिये निवासस्थान	९०६
९३६	फुलकारी उद्योग	९०६–०७
९३७	नेपा न्यूजप्रिंट फैक्टरी	९०७
९३९	सामुदायिक रेडियो सेट	९०७
९४५	निर्यात संवर्धन परिषदें	९०७

अतारांकित प्रश्न संख्या		
५२३	सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण	९०७–०८
५२४	जिला विकास समितियां	९०८
५२५	भिलाई इस्पात कारखाना	९०८
५२६	मेहसी में सम्मिलित सेवासंगठन	९०८
५२७	सिलाई की मशीनें	९०८–०९
५२८	छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास ...	९०९
५२९	नारियल जटा बोर्ड ...	९०९–१०
५३०	रेडियो और घड़ियों का निर्माण	९१०
५३१	औषधियां ...	९१०
५३२	मध्य भारत नदी आयोग ...	९१०–११
५३३	भूमि संरक्षण ...	९११
५३४	कलकत्ता में कालेज	९११
५३५	पश्चिमी बंगाल से मुसलमानों का प्रव्रजन	९१२
५३६	विदेशों में भारतीय व्यापारी ...	९१२
५३७	पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति	९१२–१३
५३८	दामोदर घाटी निगम ...	९१३
५३९	हथकरघा सप्ताह	९१३
५४०	संसद् भवन	९१३–१४
५४१	सानफ्रांसिस्को और न्यूयार्क स्थित भारतीय महावाणिज्यदौत्य के प्रतिवेदन	९१४
५४२	छाड बेट	९१४
५४३	संयुक्त राष्ट्रसंघ को प्रतिनिध-मंडल	९१४–१५
५४४	नाहन फाऊण्ड्री, लिमिटिड	९१५–१६
५४५	आंध्र में नमक बनाया जाना	९१६
५४६	छोटे पैमाने के उद्योग ...	९१६–१७
५४७	सिक्किम के लिये विकास योजना	९१७
५४८	डी० डी० टी० फैक्टरी ...	९१७
५४९	आवास सम्बन्धी गोष्ठी ...	९१७–१८

M27LSD—1-6-57—190—GIPF.

L S Debates

(Hindi)

Vol III

pt ~~II~~ II

~~Nos 31—45~~

5 Mar.—17 Apr.

1956

M117LSD—4

बुधवार
28 मार्च 1956

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड ३, १९५६

(२८ मार्च से १७ अप्रैल, १९५६)

Preservation Unit
3-4-92
24.11.83
Parliament Library

1st Lok Sabha
(XII Session)

सत्यमेव जयते

बारहवाँ सत्र, १९५६

(खण्ड ३ में अंक ३१ से अंक ४५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

M117LSD—4

विषय-सूची

[भाग--२ वाद-विवाद, खण्ड ३--२८ मार्च से १७ अप्रैल, १९५६]

अंक ३१--बुधवार, २८ मार्च, १९५६

	पृष्ठ
स्थगन-प्रस्ताव	१५१७–२०
सदस्य का बन्दीकरण	१५२०
सदस्य का ज़मानत पर रिहाई ...	१५२०–२१
सभा का कार्य	१५२१, १५२२–२३, १५६८–६९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१५२१
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	१५२२
ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
अड़तालिसवां प्रतिवेदन.	१५२२
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	१५२२
अनुदानों की मांगें	१५२४–६७
मांग संख्या २२--आदिम जाति क्षेत्र	१५२४–६७
मांग संख्या २३--वैदेशिक कार्य ...	१५२४–६७
मांग संख्या २४--पांडिचेरी राज्य	१५२४–६७
मांग संख्या २५--वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	१५२४–६७
मांग संख्या ११९--वैदेशिक कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	१५२४–६७
त्रावणकोर-कोचीन आय-व्ययक, १९५६-५७ ...	१५६७–६८
दैनिक संक्षेपिका	१५७०–७१

अंक ३२--गुरुवार, २९ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१५७३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दुओं की स्थिति और वहां से उनका प्रव्रजन	१५७३
सभा का कार्य	१५७४
अनुदानों की मांगें	१५७४–१६०५
मांग संख्या २२--आदिम जाति क्षेत्र	१५७४–१६०५
मांग संख्या २३--वैदेशिक कार्य	१५७४–१६०५
मांग संख्या २४--पाण्डिचेरी राज्य	१५७४–१६०५
मांग संख्या २५--वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	१५७४–१६०५
मांग संख्या ११--वैदेशिक कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय ...	१५७४–१६०५
त्रावनकोर-कोचीन के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प	१६०५–३१
लेखानुदानों की मांगें--त्रावनकोर-कोचीन	१६३१–३३
त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक	१६३३–३४
दैनिक संक्षेपिका	१६३५

पृष्ठ

अंक ३३—शनिवार, ३१ मार्च, १९५६

सदस्य का बन्दीकरण तथा दोषसिद्धि १६३७

स्थगन-प्रस्ताव

श्री बरलाम दास टंडन का अनशन ... १६३८–३९

अनुदानों की मांगें १६३७, १६३८–७५

मांग संख्या ९२—पुर्नावास मंत्रालय ... १६३८–७५

मांग संख्या ९३—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय १६३८–७५

मांग संख्या ९४—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १६३८–७५

मांग संख्या १३९—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय ... १६३८–७५

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

अड़तालिसवां प्रतिवेदन १६७५

मद्य-निषेध के लिये अन्तिम तारीख नियत करने के बारे में संकल्प ... १६७५–८५

औद्योगिक तथा वाणिज्यिक राज्य उपक्रमों सम्बन्धी समिति की नियुक्ति के

बारे में संकल्प १६८५–९४

दैनिक संक्षेपिका १६९५

अंक ३४—सोमवार, २ अप्रैल, १९५६

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति १६९७

विधान मण्डलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक के बारे में याचिका १६९७

अनुदानों की मांगें ... १६९७–१७५८

मांग संख्या ९२—पुनर्वास मंत्रालय

मांग संख्या ९३—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय

मांग संख्या ९४—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय

मांग संख्या १३९—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय

मांग संख्या ६७—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय

मांग संख्या ६८—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनायें

मांग संख्या ६९—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध

विभाग तथा व्यय

मांग संख्या १३४—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी व्यय

मांग संख्या १३५—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय

दैनिक संक्षेपिका ... १७५९

अंक ३५—मंगलवार, ३ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र १७३१

अतारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि १७३१

अनुदानों की मांगें १७३२–१८१५

मांग संख्या ६७—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय १७६२–१८०९

मांग संख्या ६८—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाएं १७६२–१८०९

मांग संख्या ६९—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध

विभाग तथा व्यय १७६२–१८०९

पृष्ठ

मांग संख्या १३४—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी व्यय १७६२–१८०६

मांग संख्या १३५—सिंचाई और विद्युत मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय १७६२–१८०६

मांग संख्या ४७—स्वास्थ्य मंत्रालय १८१०–१५

मांग संख्या ४८—चिकित्सा सेवाएं १८१०–१५

मांग संख्या ४९—लोक स्वास्थ्य १८१०–१५

मांग संख्या ५०—स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १८१०–१५

मांग संख्या १३०—स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय १८१०–१५

दैनिक संक्षेपिका १८१६

अंक ३६—बुधवार, ४ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ... १८१७

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में याचिकायें १८१७

अनुदानों की मांगें १८१७–७९

मांग संख्या ४७—स्वास्थ्य मंत्रालय १८१७–४२

मांग संख्या ४८—चिकित्सा सेवायें १८१७–४२

मांग संख्या ४९—लोक स्वास्थ्य १८१७–४२

मांग संख्या ५०—स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १८१७–४२

मांग संख्या १३०—स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय ... १८१७–४२

मांग संख्या १०१—निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय १८४३–७९

मांग संख्या १०२—सम्भरण १८४३–७९

मांग संख्या १०३—अन्य असैनिक निर्माण कार्य १८४३–७९

मांग संख्या १०४—लेखन-सामग्री तथा मुद्रण ... १८४३–७९

मांग संख्या १०५—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय १८४३–७९

मांग संख्या १४३—नई दिल्ली पूंजी व्यय १८४३–७९

मांग संख्या १४४—भवनों पर पूंजी व्यय १८४३–७९

मांग संख्या १४५—निर्माण, आवास और संम्भरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय १८४३–७९

दैनिक संक्षेपिका १८८०

अंक ३७—गुरुवार, ५ अप्रैल, १९५६

अनुदानों की मांगें १८८१–१९४६

मांग संख्या १०१—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय १८८१–९१

मांग संख्या १०२—सम्भरण १८८१–९१

मांग संख्या १०३—अन्य असैनिक निर्माण कार्य १८८१–९१

मांग संख्या १०४—लेखन-सामग्री तथा मुद्रण १८८१–९१

मांग संख्या १०५—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय १८८१–९१

पृष्ठ

मांग संख्या १४३—नई दिल्ली पूंजी व्यय १८८१–९१
मांग संख्या १४४—भवनों पर पूंजी व्यय १८८१–९१
मांग संख्या १४५—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय १८८१–९१
मांग संख्या ८७—उत्पादन मंत्रालय १८९२–१९४६
मांग संख्या ८८—नमक १८९२–१९४६
मांग संख्या ८९—उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन १८९२–१९४६
मांग संख्या ९०—सरकारी कोयला-खानें १८९२–१९४६
मांग संख्या ९१—उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय १८९२–१९४६
मांग संख्या १३८—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय १८९२–१९४६
दैनिक संक्षेपिका १९४७

अंक ३८—शुक्रवार, ६ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १९४९
प्राक्कलन समिति—
चौबीसवां प्रतिवेदन १९५०
अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक १९५०
कतिपय मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों के वितरण में विलम्ब ... १९५०–५१
अनुदानों की मांगें १९५१–८३
मांग संख्या ८७—उत्पादन मंत्रालय १९५१–५७
मांग संख्या ८८—नमक ... १९५१–५७
मांग संख्या ८९—उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन १९५१–५७
मांग संख्या ९०—सरकारी कोयला-खानें १९५१–५७
मांग संख्या ९१—उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... १९५१–५७
मांग संख्या १३८—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय १९५१–५७
मांग संख्या ७८—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय ... १९५८–८३
मांग संख्या ७९—भारतीय भू-परिमाप १९५८–८३
मांग संख्या ८०—वानस्पतिक सर्वेक्षण १९५८–८३
मांग संख्या ८१—प्राणकीय सर्वेक्षण १९५८–८३
मांग संख्या ८२—भूतत्वीय सर्वेक्षण १९५८–८३
मांग संख्या ८३—खानें १९५८–८३
मांग संख्या ८४—वैज्ञानिक गवेषणा ... १९५८–८३
मांग संख्या ८५—तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज ... १९५८–८३
मांग संख्या ८६—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १९५८–८३
मांग संख्या १३७—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का पूंजी व्यय १९५८–८३

पृष्ठ

बाल सन्यास दीक्षा रोक विधेयक १९८३

विधान मण्डलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक १९८३–२०००

विचार करने तथा प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव १९८३–२०००

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (**धारा ४२९ का संशोधन**) २०००–०६

विचार करने का प्रस्ताव २०००

दैनिक संक्षेपिका २००७

अंक ३९—सोमवार, ९ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र २००९

कतिपय मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों के वितरण में विलम्ब २००९–१०

अनुदानों की मांगें २०१०–७९

मांग संख्या ७८—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय २०१०–२४

मांग संख्या ७९—भारतीय भू-परिमाप २०१०–२४

मांग संख्या ८०—वानस्पतिक सर्वेक्षण २०१०–२४

मांग संख्या ८१—प्राणकीय सर्वेक्षण २०१०–२४

मांग संख्या ८२—भूतत्वीय सर्वेक्षण २०१०–२४

मांग संख्या ८३—खानें २०१०–२४

मांग संख्या ८४—वैज्ञानिक गवेषणा २०१०–२४

मांग संख्या ८५—तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज २०१०–२४

मांग संख्या ८६—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध व्यय २०१०–२४

मांग संख्या १३७—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का पूंजी व्यय २०१०–२४

मांग संख्या ४२—खाद्य और कृषि मंत्रालय २०२५–७९

मांग संख्या ४३—वन २०२५–७९

मांग संख्या ४४—कृषि ... २०२५–७९

मांग संख्या ४५—असैनिक पशु-चिकित्सा सेवायें ... २०२५–७९

मांग संख्या ४६—खाद्य और कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय २०२५–७९

मांग संख्या १२७—वनों पर पूंजी व्यय २०२५–७९

मांग संख्या १२८—खाद्यान्नों का क्रय २०२५–७९

मांग संख्या १२९—खाद्य और कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय २०२५–७९

दैनिक संक्षेपिका २०८०

अंक ४०—मंगलवार, १० अप्रैल, १९५६

अनुदानों की मांगें ... २०८१–२१३९

मांग संख्या ७०—श्रम मंत्रालय २०८१–२१३३

मांग संख्या ७१—मुख्य खान निरीक्षक २०८१–२१३३

मांग संख्या ७२—श्रम मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय २०८१–२१३३

मांग संख्या ७३—काम दिलाऊ दफ्तर तथा पुनःसंस्थापन २०८१–२१३३

मांग संख्या ७४—असैनिक प्रतिरक्षा २०८१–२१३३

पृष्ठ

मांग संख्या १३६—श्रम मंत्रालय का पूंजी व्यय २०८१–२१३३
मांग संख्या ५१—गृह-कार्य मंत्रालय ... २१३३–३९
मांग संख्या ५२—मंत्रिमण्डल २१३३–३९
मांग संख्या ५३—दिल्ली २१३३–३९
मांग संख्या ५४—पुलिस २१३३–३९
मांग संख्या ५५—जनगणना ... २१३३–३९
मांग संख्या ५६—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते २१३३–३९
मांग संख्या ५७—अन्दमान तथा निकोबर द्वीप २१३३–३९
मांग संख्या ५८—कच्छ २१३३–३९
मांग संख्या ५९—मनीपुर २१३३–३९
मांग संख्या ६०—त्रिपुरा २१३३–३९
मांग संख्या ६१—राज्यों से सम्बन्ध ... २१३३–३९
मांग संख्या ६२—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय २१३३–३९
मांग संख्या १३१—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय २१३३–३९

दैनिक संक्षेपिका २१४०

अंक ४१—बुधवार, ११ अप्रैल, १९५६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उनचासवां प्रतिवेदन २१४१

अनुदानों की मांगें २१४१–२२०३
मांग संख्या ५१—गृह-कार्य मंत्रालय ... २१४१–२२०३
मांग संख्या ५२—मंत्रिमण्डल २१४१–२२०३
मांग संख्या ५३—दिल्ली २१४१–२२०३
मांग संख्या ५४—पुलिस २१४१–२२०३
मांग संख्या ५५—जनगणना २१४१–२२०३
मांग संख्या ५६—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते २१४१–२२०३
मांग संख्या ५७—अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह... २१४१–२२०३
मांग संख्या ५८—कच्छ २१४१–२२०३
मांग संख्या ५९—मनीपुर २१४१–२२०३
मांग संख्या ६०—त्रिपुरा २१४१–२२०३
मांग संख्या ६१—राज्यों से सम्बन्ध २१४१–१२०३
मांग संख्या ६२—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... २१४१–२२०३
मांग संख्या १३१—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय ... २१४१–२२०३

दैनिक संक्षेपिका २२०४

अंक ४२—गुरुवार, १२ अप्रैल, १९५६	पृष्ठ
अनुदानों की मांगें	२२०५–५८
मांग संख्या ५१—गृह-कार्य मंत्रालय	२२०५–१५
मांग संख्या ५२—मंत्रिमण्डल	२२०५–१५
मांग संख्या ५३—दिल्ली	२२०५–१५
मांग संख्या ५४—पुलिस	२२०५–१५
मांग संख्या ५५—जनगणना ...	२२०५–१५
मांग संख्या ५६—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते	२२०५–१५
मांग संख्या ५७—अन्दमान और निकोबर द्वीप समूह	२२०५–१५
मांग संख्या ५८—कच्छ	२२०५–१५
मांग संख्या ५९—मनीपुर	२२०५–१५
मांग संख्या ६०—त्रिपुरा	२२०५–१५
मांग संख्या ६१—राज्यों से सम्बन्ध	२२०५–१५
मांग संख्या ६२—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ...	२२०५–१५
मांग संख्या १३१—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२०५–१५
मांग संख्या ६६—लोहा और इस्पात मंत्रालय ...	२२१५–४१
मांग संख्या १३३—लोहा और इस्पात मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२१५–४१
मांग संख्या १—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	२२४१–५८
मांग संख्या २—उद्योग	२२४१–५८
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े ...	२२४१–५८
मांग संख्या ४—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२४१–५८
मांग संख्या ११३—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२४१–५८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ...	२२३५
दैनिक संक्षेपिका ...	२२५९

अंक ४३—शनिवार, १४ अप्रैल, १९५६	
अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	२२६१–६२
अनुदानों की मांगें	२२६२–८७
मांग संख्या १—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	२२६२–८७
मांग संख्या २—उद्योग ...	२२६२–८७
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े	२२६२–८७
मांग संख्या ४—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	२२६२–८७
मांग संख्या ११३—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२६२–८७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—उनचासवां प्रति-वेदन...	२२८७–८९
औद्योगिक तथा वाणिज्यिक राज्य उपक्रमों सम्बन्धी समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प	२२८८–२३०६
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प	२३०७
दैनिक संक्षेपिका	२३०८

अंक ४४—सोमवार, १६ अप्रैल, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

दिल्ली पुलिस द्वारा कथित लाठी चार्ज २३०९—११

सभा का कार्य ... २३११—१२

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति २३१२

जीवन बीमा विधेयक ... २३१२

अनुदानों की मांगें ... ... २३१३—८२

मांग संख्या १—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय २३१३—२३

मांग संख्या २—उद्योग ... २३१३—२३

मांग संख्या ३—वाणिज्य सूचना तथा आंकड़े ... २३१३—२३

मांग संख्या ४—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... २३१३—२३

मांग संख्या ११३—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय २३१३—२३

मांग संख्या १७—शिक्षा मंत्रालय २३२४—७७

मांग संख्या १८—पुरातत्व विद्या २३२४—७७

मांग संख्या १९—अन्य वैज्ञानिक-विभाग २३२४—७७

मांग संख्या २०—शिक्षा २३२४—७७

मांग संख्या २१—शिक्षा-मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... २३२४—७७

मांग संख्या ११८—शिक्षा मंत्रालय का पूंजी व्यय २३२४—७७

मांग संख्या २६—वित्त मंत्रालय २३७७—८२

मांग संख्या २७—सीमा शुल्क २३७७—८२

मांग संख्या २८—संघ उत्पादन शुल्क २३७७—८२

मांग संख्या २९—निगम कर तथा सम्पदा शुल्क सहित आय पर कर ... २३७७—८२

मांग संख्या ३०—अफीम २३७७—८२

मांग संख्या ३१—स्टाम्प ... ... २३७७—८२

मांग संख्या ३२—अभिकरण विषयों के प्रशासन तथा राजकोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान २३७७—८२

मांग संख्या ३३—लेखा परीक्षण २३७७—८२

मांग संख्या ३४—चल-मुद्रा २३७७—८२

मांग संख्या ३५—टकसाल ... २३७७—८२

मांग संख्या ३६—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें २३७७—८२

मांग संख्या ३७—वार्धक्य भत्ता तथा निवृत्ति वेतन ... ... २३७७—८२

मांग संख्या ३८—वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय २३७७—८२

मांग संख्या ३९—राज्यों को सहायक अनुदान २३७७—८२

पृष्ठ

मांग संख्या ४०—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन २३७७–८२
मांग संख्या ४१—विभाजन-पूर्व के भुगतान ... २३७७–८२
मांग संख्या १२०—भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय २३७७–८२
मांग संख्या १२१—चल-मुद्रा तथा टंकण पर पूंजी व्यय २३७७–८२
मांग संख्या १२२—टकसालों पर पूंजी व्यय २३७७–८२
मांग संख्या १२३—निवृत्ति-वेतनों का राशिकृत मूल्य ... २३७७–८२
मांग संख्या १२४—छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान २३७७–८२
मांग संख्या १२५—वित्त-मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय ... २३७७–८२
मांग संख्या १२६—केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन २३७७–८२

दैनिक संक्षेपिका २३८३

अंक ४५—मंगलवार, १७ अप्रैल, १९५६

कार्य मंत्रणा समिति—

बत्तीसवां प्रतिवेदन २३८५

तारांकित प्रश्नों के उत्तरों की शुद्धि २३८५–८७

अनुदानों की मांगें २३८७–२४२७

मांग संख्या २६—वित्त-मंत्रालय २३८७–२४२५
मांग संख्या २७—सीमा शुल्क २३८७–२४२५
मांग संख्या २८—संघ उत्पादन शुल्क ... २३८७–२४२५
मांग संख्या २९—निगम कर तथा सम्पदा शुल्क सहित आय पर कर ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३०—अफीम २३८७–२४२५
मांग संख्या ३१—स्टाम्प २३८७–२४२५
मांग संख्या ३२—अभिकरण-विषयों के प्रशासन तथा राजकोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान २३८७–२४२५
मांग संख्या ३३—लेखा-परीक्षा २३८७–२४२४
मांग संख्या ३४—चल-मुद्रा २३८७–२४२५
मांग संख्या ३५—टकसाल ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३६—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३७—वार्धक्य भत्ते तथा निवृत्ति-वेतन ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३८—वित्त-मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३९—राज्यों को सहायक अनुदान ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ४०—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ४१—विभाजन-पूर्व के भुगतान २३८७–२४२५

	पृष्ठ
मांग संख्या १२०——भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२१——चल-मुद्रा तथा टंकण पर पूंजीव्यय ...	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२२——टकसाल पर पूंजी व्यय	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२३——निवृत्ति-वेतनों का राशिकृत मूल्य ...	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२४——छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२५——वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय ...	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२६——केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन	२३८७—२४२५
मांग संख्या ६३——सूचना और प्रसारण मंत्रालय	२४२५—२७
मांग संख्या ६४——प्रसारण ...	२४२५—२७
मांग संख्या ६५——सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	२४२५—२७
मांग संख्या १३२——प्रसारण पर पूंजी व्यय	२४२५—२७
मांग संख्या ७५——विधि मंत्रालय	२४२५—२७
मांग संख्या ७६——न्याय-व्यवस्था	२४२५—२७
मांग संख्या ७७——विधि मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	२४२५—२७
मांग संख्या १०६——अणुशक्ति विभाग	२४२५—२७
मांग संख्या १०७——अणुशक्ति गवेषणा	२४२५—२७
मांग संख्या १४६——अणुशक्ति विभाग का पूंजी व्यय	२४२५—२७
मांग संख्या १०८——संसद्-कार्य विभाग	२४२५—२७
मांग संख्या १०९——लोक-सभा ...	२४२५—२७
मांग संख्या ११०——लोक-सभा के अधीन विविध व्यय ...	२४२५—२७
मांग संख्या १११——राज्य-सभा ...	२४२५—२७
मांग संख्या ११२——उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	२४२५—२७
वित्त विधेयक	२४२७—३०
विचार करने का प्रस्ताव	२४२७
दैनिक संक्षेपिका	२४३१

M117LSD—190—25-3-58—GIPF.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २ – प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

बुधवार, २८ मार्च, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(**देखिये** भाग १)

११.३८ म० पू०

स्थगन प्रस्ताव

पाकिस्तानी गण-राज्य दिवस पर कराची में भारत के विशेष दूत का अपमान

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे, श्रीमती सुचेता कृपालानी तथा श्री एन० सी० चटर्जी से २३-३-५६ को कराची में गण-राज्य समारोह के अवसर पर भारत के विशेष दूत का किये गये अपमान के बारे में स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं, कराची में हुए, सार्वजनिक समारोह की घटना के सम्बन्ध में, समाचार पत्रों में प्रकाशित, समाचार पर, विरोधी पक्ष की माननीय सदस्या की प्रतिक्रिया समझ सकता हूँ परन्तु यह नहीं समझ सका कि यह विशेष प्रस्ताव कहां तक संगत है ।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** (हुगली) : यह एक राज्य द्वारा गंभीर अन्तर्राष्ट्रीय अपराध करने का मामला है। उन्होंने निमंत्रण भेजा था जिस पर हमारी सरकार ने इस देश का प्रतिनिधित्व करने के लिये एक विशेष दूत, उस विशेष सम्मेलन में भेजा जहाँ वे इस्लामी गण-राज्य का उद्घाटन करना चाहते थे। वहाँ इस विशेष दूत का उन्होंने अपमान किया।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : किसने ?

†**श्री एन० सी० चटर्जी** : क्या प्रधान मंत्री नहीं जानते हैं कि किसने अपमान किया ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं जानता हूँ इसीलिये पूछ रहा हूँ किसने ।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** : प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया तथा टाइम्स आफ इंडिया के संदेशानुसार उस सार्वजनिक समारोह में लगभग ५०,००० व्यक्ति उपस्थित थे तथा सभापतित्व पाकिस्तान के प्रधान मंत्री कर रहे थे। अन्य प्रतिनिधियों के समान हमारे विशेष दूत से, उस समारोह में आने के लिये कहा

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एन० सी० चटर्जी]

गया था, जहाँ पर उनका अपमान किया गया था। यह भारत तथा हमारे राष्ट्र का अपमान हुआ है। संसद सदस्यों को यह जानना चाहिये कि पाकिस्तानी राजनीतिज्ञों ने जानबूझ कर यह अपमान कराया है। अन्यथा प्रधान मंत्री के सभापतित्व में हुई सभा में ऐसा होना संभव नहीं था। इसलिये पाकिस्तान सरकार को इस अपराध की क्षमा श्री खन्ना तथा भारत सरकार से माँगनी चाहिये थी। क्या उन्होंने यह क्षमा माँगी।

इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों ने यह भी बताया था कि कुछ भारत-पाकिस्तान समस्याओं को सुलझाने के लिये श्री खन्ना से कुछ दिन रुकने की प्रार्थना की गई थी उनको शीघ्र वापस आना पड़ा। मेरी धारणा है वह इसलिये शीघ्र वापस आ गये क्योंकि भारत के दूत के रूप में उनका अपमान हुआ था। इसीलिये मेरा निवेदन है कि यह लोक महत्व का प्रश्न है तथा सभा को इस पर विचार करना चाहिये। क्या पाकिस्तान सरकार के प्रधान मंत्री ने भारत सरकार से क्षमा माँगी है? यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि हमारी सरकार को अपनी मर्यादा का ध्यान है तो उसको कठोर कार्यवाही करनी चाहिये। ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान सरकार 'सीटो' सम्मेलन के परिणामस्वरूप अपना संतुलन खो बैठी है और इसीलिये वह भारत विरोधी प्रचार कर रही है।

†**आचार्य कृपालानी** (भागलपुर व पूर्निया) : यदि जनता तथा सरकार में अन्तर रखा जाता है तो क्या जनता की ग़लती पर सरकार को माफी नहीं माँगनी चाहिये?

†**श्रीमती सुचेता कृपालानी** (नई दिल्ली) : यह एक समारोह था तथा इस समारोह में हमने श्री खन्ना को अपना विशेष दूत बना कर भेजा था। उस समारोह में पाकिस्तान ने विदेशी प्रतिनिधियों को भाषण देने के लिये निमंत्रित करके एक अनोखी व्यवस्था की। अन्य देशों के प्रतिनिधियों की मर्यादा को रखा गया परन्तु हमारे प्रतिनिधि के खड़े होने पर उनका अपमान किया गया। हमसे पूछा जाता है कि किसने उनका अपमान किया। मैं कहती हूँ, पाकिस्तान सरकार ने। हमारे देश में विदेशी मेहमान आये क्या सरकार ने व्यवस्था नहीं की थी कि, सार्वजनिक सम्मेलन में उनकी मर्यादा रहे। क्या पाकिस्तानी सरकार यह नहीं कर सकती थी। मेरा विचार है कि पाकिस्तान सरकार ही इसके लिये जिम्मेदार है।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** (नेल्लोर) : श्री खन्ना सभा में उपस्थित हैं अतः वह वक्तव्य दे सकते हैं कि वस्तुतः वहाँ क्या हुआ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं माननीय महिला सदस्य तथा अन्य सदस्यों की प्रतिक्रिया को समझता हूँ। फिर भी इस प्रस्ताव की संगतता मेरी समझ में नहीं आई। यदि मैं तथ्यों को बताऊँ तो संभव है कि उनके आधार पर इस प्रस्ताव पर विचार करना आसान होगा।

सबसे पहले, मैं यह बता देना चाहता हूँ कि मेरे साथी, पुनर्वास मंत्री, विभिन्न मामलों के सम्बन्ध में सम्मेलन में भाग लेने के लिये कराची नहीं गये थे, जैसा कि माननीय श्री चटर्जी का विचार है। परन्तु इसमें भी कोई संदेह नहीं कि जब वह वहाँ गये थे तो यदि उन्हें अवसर मिलता तो वह कुछ मामलों पर विचार विनिमय करते। परन्तु यह आशा नहीं थी कि ऐसे अवसर पर जब कि अनेक विदेशी अतिथि आए हुए हों तथा और व्यक्ति भी उपस्थित हों एवं समारोह हो रहे हों तो हमारे तथा पाकिस्तान के बीच महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा के लिये सम्मेलन हो सके इसलिये वार्ता के लिये उनके वहाँ जाने और सम्मेलन न करके लौट आने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। माननीय सदस्यों को समाचार पत्रों में प्रकाशित सभी बातों को सच नहीं समझ लेना चाहिये। हमारे मन में किसी भी समय कोई सम्मेलन करने का विचार नहीं था यद्यपि यह सच है कि कुछ समाचार पत्रों ने अपनी कल्पना से इसे खोज निकाला। मेरे साथी, मंत्री ने जो तथ्य मुझे बताये हैं

†मूल अंग्रेजी में

वह इस प्रकार है। एक सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया गया था जिसमें एक बड़ी संख्या में जनता उपस्थित थी। अनेक विदेशी अतिथि, ४० के लगभग विशेष दूत मंच पर बैठे थे। मंच के नीचे पर्याप्त संख्या अर्थात् कई सौ में विशेषतया निमंत्रित अतिथि बैठे थे। इनके पीछे, कुछ दूरी पर जनता थी जो स्वयं वहाँ आ गई थी। इनके कथनानुसार, लगभग ६००० अथवा ७००० अथवा १०,००० के लगभग भीड़ थी। कई व्यक्तियों को पाँच पाँच मिनट तक बोलने के लिये निमंत्रित किया गया। उनमें से अधिकांश विदेशी भाषाओं में बोले क्योंकि सम्भवतः वह कोई भारतीय अथवा पाकिस्तानी भाषा नहीं जानते थे। इसके पश्चात् श्री खन्ना की बारी आई। जब वह बोलने के लिये उठे तो, निमंत्रित अतिथियों तथा अन्य व्यक्तियों के पीछे दूर से कुछ व्यक्तियों ने हाथ हिलाये तथा अपनी इच्छा प्रकट की कि इनको नहीं बोलना चाहिये। इस प्रकार उन्होंने हाथ हिलाये तथा आवाजें कसीं कि वह इनको सुनना नहीं चाहते हैं। संभवतः यह आधा मिनट अथवा ४५ सैकेंड तक होता रहा।

†**श्रीमती सुचेता कृपलानी** : जैसे उनके पास 'स्टाप' घड़ी थी।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं श्री खन्ना की बताई बातें बता रहा हूँ। जैसे ही यह गड़बड़ प्रारंभ हुई यह संभवतः पाकिस्तान के प्रधान मंत्री की ओर मुड़े जो सभापतित्व कर रहे थे तथा जानना चाहते थे कि वे क्या करें। इसके पश्चात् प्रधान मंत्री तुरन्त ही आगे आये तथा उन्होंने भीड़ को सम्बोधित करते हुए कहा कि इस तरह, सरकार द्वारा निमंत्रित आदरणीय अतिथि के साथ व्यवहार करना सर्वथा अनुचित है तथा जो लोग दुर्व्यवहार कर रहे थे उनसे ऐसा न करने की अपील करते हुए उन्होंने श्री खन्ना से अपना भाषण जारी रखने को कहा।

मैं यह भी बता दूं कि श्री मेहर चन्द खन्ना बड़ी सुन्दर उर्दू में बोल रहे थे। इसके पश्चात् श्री खन्ना ने फिर से भाषण प्रारम्भ किया परन्तु फिर पहले से कुछ व्यक्ति फिर भी हाथ हिलाते रहे लेकिन शीघ्र ही उन्होंने ऐसा करना बन्द कर दिया तथा जितनी देर चार अथवा पाँच मिनट वह बोले, लोगों ने उन्हें ध्यान से सुना और उनके भाषण से इतने प्रभावित हुए कि अन्त में जोरों की हर्ष ध्वनि की गई।

इसके पश्चात् उस समारोह स्थान पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने श्री मेहर चन्द खन्ना के समक्ष खेद प्रकट किया तथा बाद में प्रधान मंत्री ने भी जनता के दुर्व्यवहार क लिये खेद प्रकट किया। इसलिये यह घटना कितनी ही खेदजनक क्यों न हो, मुझे यह मालूम नहीं कि भारत सरकार अथवा श्री मेहर चन्द खन्ना अथवा हमारे उच्चायुक्त इस मामले में क्या कर सकते थे।

इस प्रकार भीड़ के एक छोटे भाग ने दुर्व्यवहार किया था। इस में संदेह नहीं कि यह दुर्व्यवहार था तथा हम सबने जब यह सुना तो हम सब पर इसकी ज़ोरदार प्रतिक्रिया हुई थी कि हमारे दूत के साथ, इस समारोह में ऐसा व्यवहार किया गया।

परन्तु जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है मैं व्यक्तिगत रूप से कराची की जनता को भी दोष देने को तैयार नहीं हूँ। वे सीधे साधे लोग हैं तथा मुझे पूर्ण विश्वास है कि कराची की जनता अथवा पाकिस्तान की जनता तथा भारत की जनता में, आपस में दुर्भावना नहीं है परन्तु उनको उत्तेजित किये जाने पर बात दूसरी है। यदि कोई व्यक्ति अथवा कोई चीज़ बुरी है तो मैं कह सकता हूँ कि कुछ थोड़ी सी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान में कराची के समाचार पत्रों की भी है। भारतीय तथा पाकिस्तानी समाचार पत्रों के अपने दीर्घकालीन अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी समाचार पत्रों द्वारा, इन दिनों अपने लेखों, प्रदर्शनों तथा शीर्षकों में इतना ज़हर कभी नहीं उगला गया तथा इसका उदाहरण विश्व में भी नहीं है। यदि पाकिस्तान की जनता वहाँ के समाचार पत्रों से भड़क जाती है तो यह

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

आश्चर्यजनक नहीं है । सभा को यह जानकारी होगी कि यह वही व्यक्ति हैं जो समाचार पत्रों के इन लेखों तथा शीर्षकों से भड़क जाते हैं । जब उन्होंने श्री खन्ना को तीन मिनट तक सुना तो बाद में उन्होंने हर्ष ध्वनि की । मैं उन व्यक्तियों को दोषी नहीं ठहराता हूँ । उनको बहकाया गया है ।

मैं यह अवश्य सोचता हूँ कि यह गंभीर मामला है कि किसी देश के समाचार पत्र इस प्रकार एक दूसरे देश के और उसके लोगों के विरुद्ध संगठित रूप से लगातार ज़हर उगलते रहें । किन्तु यह ऐसा मामला नहीं है जिसे किसी स्थगन प्रस्ताव से हल किया जा सकता हो ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इन तथ्यों के आधार पर मैं अपनी अनुमति नहीं देता हूँ ।

लंका सरकार द्वारा कच्छ तिबू द्वीप पर कथित कब्ज़ा

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री वल्लाथरास का भी एक स्थगन प्रस्ताव है ।

†**श्री वल्लाथरास** (पुदुकोटै) : मैं इस द्वीप के सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ । इस पर रामनाद के राजा का कब्ज़ा था । सरकार के जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् वह द्वीप भारत सरकार के नियंत्रण में था । कुछ मास पूर्व, अक्तूबर में, लंका सरकार ने इसके स्वामित्व के सम्बन्ध में पत्र व्यवहार जारी किया । परन्तु जहाँ तक मैं समझता हूँ कि भारत सरकार ने उचित ध्यान नहीं दिया । और लंका सरकार ने उस पर अपना अधिकार समझ कर उस पर कब्ज़ा कर लिया । 'सीटो' आदि की वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर इसको अत्यधिक महत्व देना चाहिये ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मुझे खेद है कि मुझे इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी नहीं है । हम मद्रास सरकार से इसके सम्बन्ध में पूछताछ कर रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह मामला कई दिनों से चल रहा है इसलिये इसमें कोई शीघ्रता नज़र नहीं आती है ।

†**श्री वल्लाथरास** : शीघ्रता है क्योंकि वह उसका बम्ब चलाने आदि के प्रशिक्षण के लिये प्रयोग कर रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य बहुत कुछ कह चुके हैं । यदि उन्हें पूर्ण सूचना चाहिये तो वह एक अल्प सूचना प्रश्न दे सकते हैं । प्रधान मंत्री ने मद्रास सरकार से इस मामले के बारे में सूचना मांगी है ।

सदस्य का बन्दीकरण

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को सूचना देनी है कि मुझे पुलिस कमिशनर, बम्बई से दिनांक २७ मार्च, १९५६ की निम्नलिखित तार प्राप्त हुई है :

"लोक सभा के सदस्य श्री विश्नु घनश्याम देशपांडे को बम्बई में २७ मार्च, १९५६ को बम्बई पुलिस अधिनियम १९५१ की धारा १३५ (१) (३) तथा धारा ३७ (१) और (३) के अधीन बम्बई पुलिस कमिशनर के आदेश की अवहेलना करने तथा बम्बई असेम्बली पर नारे लगाने के अपराध में गिरफ्तार किया गया है ।"

सदस्य की ज़मानत पर रिहाई

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को सूचना देनी है कि मुझे प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट, १४वीं कोर्ट, गिरगांव, बम्बई से दिनांक १९ मार्च, १९५६ का निम्नलिखित पत्र प्राप्त हुआ है:

"मुझे आपको सूचना देनी है कि लोक-सभा सदस्य पंडित भगवतीचरण शुक्ल के वाद संख्या ५९२, पी ११२३/पी १९५५ का निर्णय १९-३-१९५६ को दिया गया है । उन पर वाद संख्या

---

†मूल अंग्रेजी में

११३२/पी १९५५ में भारतीय दंड संहिता की धारा ३३२ के अनुसार पुलिस के एक सिपाही पर, जो कि ड्यूटी पर था, आक्रमण करने का आरोप लगाया गया था और वाद संख्या ५९२/पी १९५५ में भारतीय दंड संहिता की धारा ३३२ के अनुसार श्री चौबल, जो कि बाईकुला के हाऊस आफ़ करेक्शन के जेलर थे, पर आक्रमण का आरोप लगाया गया था तथा उनको १ दिन की साधारण कैद और १००० रुपये जुर्माना किया गया था अथवा ऐसा न करने पर प्रत्येक मामले में १ मास के कठिन कारावास का दंड दिया गया था। दोनों सज़ाएँ साथ-साथ चलेंगी।

"श्री शुक्ल को भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम की धारा १९ (एफ) के अन्तर्गत बिना लाइसैंस के रिवाल्वर रखने का अपराध लगाने वाले वाद संख्या ११२४/पी/१९५५ तथा बाईकुला के हाऊस आफ़ करेक्शन के जमादार पर आक्रमण करने वाले वाद संख्या ११२३/पी/५५ में मुक्त कर दिया गया है।

"आज़ श्री शुक्ल को १००० रुपये की ज़मानत पर रिहा किया जा रहा है। और प्रत्येक वाद में उनसे इतनी ही राशि की एक-एक प्रतिभू ले ली गई है ताकि यदि वह चाहें तो इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध बम्बई के उच्च न्यायालय में अपील दर्ज कर सकें।

"सभी वादों के निर्णयों की प्रतियाँ आपको सूचनार्थ यथाशीघ्र भेज दी जायेंगी।"

सभा का कार्य

†**अध्यक्ष महोदय** : राष्ट्रपति के त्रावनकोर-कोचीन राज्य के सरकारी कार्यों को अपने हाथ में ले लेने के अनुपंग में वित्त मंत्री उस राज्य के सम्बन्ध में १९५६-५७ के आय-व्ययक के प्राक्कलनों का एक विवरण आज़ ५ बज कर २० मिनट पर लोक-सभा के सामने उपस्थापित करना चाहते हैं। उस समय वह उस पर छोटा-सा वक्तव्य भी देंगे।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

राष्ट्रपति की त्रावनकोर-कोचीन के बारे में उद्घोषणा

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: श्रीमान्, मैं गृह-कार्य मंत्री की ओर से संविधान के अनुच्छेद ३५६ की धारा (३) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अनुसार २३ मार्च १९५६ को की गई उद्घोषणा की एक प्रति जिसमें उन्होंने त्रावनकोर-कोचीन की सरकार के सभी कार्यों को अपने हाथ में ले लिया है, लोक-सभा के पटल पर रखता हूँ। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एस–११२/५६]**

चाय नियमों में संशोधन

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : श्रीमान्, मैं वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री की ओर से चाय अधिनियम १९५३ की धारा ४९ उपधारा (३) के अनुसार सूचना संख्या एस० आर० ओ० ५८०, दिनांक १० मार्च, १९५६, जिसमें १९५४ के चाय नियमों में कुछ अग्रिम संशोधन किये गये हैं की एक प्रति लोक-सभा के पटल पर रखता हूँ। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एस-१११/५६]**

---

†मूल अंग्रेजी में

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव** : श्रीमान्, मुझे सभा को सूचना देनी है कि निम्नलिखित विधेयकों पर जो संसद् की दोनों सभाओं द्वारा उस सत्र में पारित किये गये थे, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई है :

(१) विनियोग विधेयक, १९५६
(२) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५६
(३) विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९५६
(४) विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९५६
(५) विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक, १९५६
(६) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९५६
(७) विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक, १९५६

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

अड़तालीसवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुकम सिंह** (कपुरथला-भटिंडा) : श्रीमान्, मैं ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का अड़तालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ ।

तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि

†**सिंचाई और विद्युत् उप मंत्री (श्री हाथी)** : श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं यह वक्तव्य देता हूँ ।

"प्रश्न संख्या २७६ के सम्बन्ध में, जिसका उत्तर ३० नवम्बर, १९५५ को दिया गया था, मैंने लोक-सभा के पटल पर विभिन्न सरकारों द्वारा ग्रामों में बिजली पहुँचाने सम्बन्धी योजनाओं का एक विवरण रखा था । पश्चिमी बंगाल की योजना का निर्देश करते ही श्री एस०सी० सामन्त ने मुझे तामलुक के सम्बन्ध में दो अनुपूरक प्रश्न पूछे थे और मैंने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा था कि मुझे स्मरण आता है कि मैंने इस विषय पर पश्चिमी बंगाल सरकार से कोई पत्र प्राप्त किया है । वह शायद उस बिजली घर के अर्जन के सम्बन्ध में था ।" अब मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि तामलुक नगर में बिजली चालू करना और वहाँ पर बिजली घर का अर्जन करना दो भिन्न-भिन्न योजनाएँ हैं । वास्तव में बात यह है कि तामलुक विद्युतकरण योजना, जिसमें इस उपक्रम का अर्जन ग्रस्त था, को बाद में योजना आयोग ने "बौरिया विद्युत प्रदाय" परियोजना के स्थान पर स्वीकृत कर दिया था क्योंकि यह योजना राज्य सरकार द्वारा अनवधानता से विद्युत विस्तार कार्यक्रम में शामिल कर ली गई थी जिससे कि बेकार लोगों को रोज़गार मिल सके ।

इसी के अनुसार मैं मध्य पश्चिमी बंगाल की सूची में मद संख्या १७३ को भी शुद्ध कर देना चाहता हूँ । वहाँ पर "बावरिया को नई बिजली देना" के स्थान पर यह शब्द होने चाहियें "तामलुक को बिजली देने की योजना" ।

सभा का कार्य

†**श्री एच० एन० मुकर्जी** (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व) : मुझे कार्यक्रम से पता चलता है कि गृह-कार्य मंत्री त्रावनकोर-कोचीन के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के आदेश का अनुमोदन करने के लिये कल सभा में प्रस्ताव

†मूल अंग्रेजी में

रखेंगे। मुझे यह भी दीखता है कि कल ही वहाँ का बजट भी रखा जायेगा और शायद उसे कल ही पास भी किया जायेगा। मेरा विचार है सरकार उन प्रस्तावनाओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहती है। भला ऐसी दशा में हम इस प्रस्ताव तथा बजट प्रस्तावनाओं दोनों पर कैसे अच्छी प्रकार विचार कर सकते हैं। मेरा सुझाव है कि इन दोनों के बीच कुछ समय रखा जाना चाहिये। तभी हम बाद में इन बजट प्रस्तावनाओं पर भली भांति विचार कर सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : कल तो केवल लेखानुदान पर मतदान होगा। विस्तृत बजट प्रस्तावनाएँ तो बाद में रखी जाएँगी। सभा को अवश्य उन पर वाद-विवाद के लिये समय दिया जायेगा।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : क्या मैं जान सकता हूँ कि राष्ट्रपति के त्रावनकोर-कोचीन के सम्बन्ध में उद्घोषणा के अचानक बीच में आ जाने के कारण विभिन्न मंत्रालय के अनुदानों का मांगों पर होने वाले वाद-विवद की समय-सूची में किस सीमा तक परिवर्तन किये जायेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हमें केवल कल पुनर्वास मंत्रालय को छोड़ देना पड़ेगा और फिर सब ठीक-ठाक हो जायेगा।

†**श्री एच० एन० मुकर्जी** : आप संसदीय विषयों में हम से अधिक दक्ष हैं। चाहे कल केवल लेखानुदान ही होगा तब भी हमें उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने का मौका मिलना चाहिये। क्योंकि उसी से हमें पता लगेगा कि जो कुछ त्रावनकोर-कोचीन में हो रहा है वह ठीक है अथवा नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस पर विचार करूँगा।

†**श्री कामत** : इसके लिये कौन-सा समय रखा गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं गृह-कार्य मंत्री की अनुपस्थिति के कारण कुछ शब्द कहना चाहता हूँ यद्यपि मेरे पास पूरे तथ्य तो नहीं हैं। जैसा कि आपने अभी कहा है कि यह केवल लेखानुदान ही होगा। इस मास के अन्त तक सरकार का कार्य चलाने के लिये तथा कुछ आवश्यक राशियों का भुगतान करने के लिये यह राशि स्वीकृत करना बड़ा आवश्यक है। फिर भी मैं अपने विरोधी सदस्य से पूर्णतया सहमत हूँ कि उन्हें समय मिलना चाहिये। उन्हें एक बार नहीं दो या तीन बार समय मिलेगा।

†**श्री कामत** : इसके लिये कितना समय रखा गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी तो मैं नहीं बता सकता हूँ। मैं इस सब पर विचार करूँगा। यदि मुझे किसी सदस्य ने पर्ची भेज दी होती तो मैं इस पर परामर्श करके आता। खैर, अब मैं इस पर विचार करूँगा और बिना विचार-विमर्श के कुछ भी नहीं किया जायेगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : एक और बात का भी स्पष्टीकरण होना चाहिये। आप ने कहा है "पुनर्वास के बजट को छोड़ना पड़ेगा"। इसका क्या आशय है ?· क्या हम इस पर बिल्कुल ही विचार नहीं कर सकेंगे अथवा क्या हम इसे केवल स्थगित कर रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : बिना वाद-विवाद के किसी भी बजट को पारित नहीं किया जायेगा। इस पर किसी अन्य दिन चर्चा होगी। अब हम अपनी कार्यवाही करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुदानों की मांगें*

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की मांग संख्या २२, २३, २४, २५ और ११९ पर विचार करेगी । इसके लिये चार की बजाये आठ घंटे निश्चित किये गये हैं । यह अतिरिक्त समय पश्चिमी बंगाल की स्थिति पर विचार करने के लिये दिया गया है जो कि वहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान से लोगों के निष्कासन के कारण पैदा हो गई है ।

इन मांगों पर कई कटौती प्रस्ताव हैं । जो सदस्य उन्हें प्रस्तुत करना चाहें वे १५ मिनट के अन्दर अपने नाम मुझे देदें । यदि वह अन्यथा नियमित होंगे तो मैं उन्हें प्रस्तुत किया गया मान लूंगा ।

भाषण की अवधि सभी के लिये सदा के समान १५ मिनट होगी । दलों के नेताओं को यदि आवश्यकता होगी तो २० मिनट तक दिये जा सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		(रुपये)
२२	आदिम जाति क्षेत्र	६,१०,५७,०००
२३	वैदेशिक-कार्य	६,८१,६५,०००
२४	पांडिचेरी राज्य	२,७८,९४,०००
२५	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	५,०७,०००
११९	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	२५,३३,०००

†**प्रधान मंत्री और वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : श्रीमान्, पहले जब ये प्राक्कलन सभा में रखे जाते थे तो मैं उस समय मैं वैदेशिक मामलों का सिंहावलोकन किया करता था । किन्तु अभी मैंने कुछ दिन ही हुए, विदेश नीति की व्याख्या की थी । अतः मैं यह उचित नहीं समझता हूँ कि अब मैं इस समय दोबारा सभा का समय लूं । अतः पहले सदस्यों को ही बोलने दिया जाना चाहिये, मैं बाद में किसी समय उनके विचारों तथा आलोचना के प्रकाश में विदेश नीति का स्पष्टीकरण करूँगा ।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : क्या हम जान सकते हैं कि प्रधान मंत्री ने श्री मिकोयान से क्या बातचीत की है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी बातचीत पूरी नहीं हुई है ।

†**आचार्य कृपालानी** (भागलपुर तथा पूर्निया) : अध्यक्ष महोदय, जब कभी मैं देश के गम्भीर आवश्यक विषयों पर बोलता हूँ तो मैं अपने विचार एक विरोधी दल के सदस्य के नाते नहीं रखता हूँ, बल्कि उस समय मैं सारी जनता के विचारों को प्रकट करता हूँ और यदि कांग्रेसी अपने आपको जनता में शामिल रखते हैं तो मैं उनके विचार भी प्रकट करता हूँ ।

मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि मैं विदेश नीति के सामान्य सिद्धान्तों का पूर्णतया समर्थन करता हूँ । हमारे प्रधान मंत्री ने शांति कायम करने तथा तनाव को कम करने के लिये उन सिद्धान्तों की कई बार व्याख्या की है । वे पड़ोसियों के प्रति सद्भावना और विश्व-शान्ति के सिद्धान्त हैं ।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत की गई ।

†मूल अंग्रेजी में

हम चाहते हैं कि अणु अस्त्रों के प्रयोग को निषिद्ध घोषित कर दिया जाय। क्योंकि उससे मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। हम यह भी चाहते हैं कि रूढ़िगत शास्त्रास्त्रों में कमी की जाय। हमने संसार के सामने पंचशील के सिद्धान्त रखे हैं। वे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शिक्षाओं के अनुकूल हैं। उन्हीं के द्वारा हमने स्वतन्त्रता प्राप्त की है। वही राष्ट्र संघ के मूल में हैं।

किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति की इति इन सिद्धान्तों से ही नहीं हो जाती है। यह तो निरन्तर परिवर्तनशील जटिल विश्व की प्रतिदिन की चालों से सम्बन्धित है। इसमें हमें सामान्य दृश्य के साथ-साथ उसके अंग प्रत्यंग का भी ध्यान रखना पड़ता है। हमारे प्रधान मंत्री कभी-कभी, यद्यपि हमेशा नहीं, सिद्धान्तों की तन्द्रा में कूटनीति की बारीक चालों को भूल जाते हैं।

†**डा० लंका सुन्दरम्** (विशाखापटनम्) : वे अपवाद कौन-कौन से हैं ?

†**आचार्य कृपालानी** : कभी-कभी हमारे प्रधान मंत्री ठोस धरातल पर आ जाते हैं। परन्तु, दूसरी ओर, इस प्रकार मौके को न पहचान सकने के कारण आज यह दशा है कि आज आठ वर्ष के उपरान्त भी हम अपनी विदेश नीति को स्पष्ट नहीं कर पाये हैं। कभी यह आभास होता है कि हम अमुक गुट की ओर झुक रहे हैं और कभी दूसरे की ओर। हमारे देश में विदेशों में से अनेक प्रतिष्ठित मेहमान आये। हमने उनका उसी सहृदयता से स्वागत किया जिसके लिये भारत सदियों से प्रसिद्ध है। इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों में जो भारत आये, रूस के प्रतिनिधि भी आये—पहली बार उस पृथक्त्व को तोड़ कर जिसमें वे अब तक रहते आये थे। विश्व-शान्ति के लिये यह उचित ही है कि लोग मैत्रीपूर्ण तथा शान्तिमय वातावरण में मिलें और चर्चा करें जिससे कि विश्व में तनाव कम हो तथा अधिक सहनशीलता का वातावरण पैदा हो। इसलिये यह उचित ही था कि रूस से आये मेहमानों का हमने शाही स्वागत किया और वे लोग हमारे यहाँ की जनता से बिना हिचक और प्रतिबन्ध के मिले तथा बड़ा स्वाभाविक व्यवहार किया।

किन्तु इस स्वाभाविक व्यवहार ने उनके अपने हितों को नहीं भुला दिया। हमारे मंच से उन्होंने अन्य देशों की नीतियों की भर्त्सना की जिनके साथ कि हमारे देश के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थे। इस प्रकार की अभिव्यक्ति का दूसरे देशों में हमारे सम्बन्ध में गलत अर्थ लगाया जा सकता है और इसलिये यदि ये बातें नहीं कही गयी होतीं तो अच्छा होता। रूसी मेहमानों की बातों से पश्चिमी देशों में यह प्रभाव पड़ा कि हमने अपनी तटस्थस्ता की नीति का साम्यवादी रूस के पक्ष में संशोधन कर दिया है। इन्हीं अभिव्यक्तियों के कारण श्री डलेस ने अपना गोआ सम्बन्धी वक्तव्य दिया।

हाल ही में हुए साम्यवादी दल के बीसवें सम्मेलन में व्यक्तिगत तानाशाही, स्तालिन और उनके निरंकुश शासन के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण व्यक्त किया गया। किन्तु मैं समझता हूँ कि इन सब आलोचनाओं में संकुचित राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाया गया। नैतिक पहलू पर कहीं चर्चा नहीं की गयी। हमारे महान् नेता ने हमें बताया था कि जो भी नैतिक रूप से बुरा है कभी राजनीतिक रूप से अच्छा नहीं हो सकता। इस प्रकार के यकायक परिवर्त्तन से राजनीतिज्ञों के प्रति विश्व में व्याप्त अविश्वास को और भी बल मिलता है।

सफल कूटनीति क्या है ? जिसमें बिना शस्त्रों का सहारा लिये हम अपने हितों की रक्षा कर सकें। किन्तु जहाँ यह सम्भव नहीं हो, वहाँ हमारे मुख्य हितों के सम्बन्ध में तनाव अवश्य कम हो। किन्तु हम न तो अपने हितों की रक्षा कर सके हैं और न तनाव कम कर सके हैं। फिर, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि यदाकदा जो दुर्लभ अवसर आया करते हैं उनका लाभ उठाया जाये और तत्काल उन पर कार्य किया जाये क्योंकि कभी-कभी अवसर खो दिये जाने पर फिर नहीं आते। मैं समझता हूँ कि हमारे सामने जो अवसर उपस्थित हुए हैं उनका हमने पूरा लाभ नहीं

†मूल अंग्रेजी में

[आचार्य कृपालानी]

उठाया है। एक उदाहरण लीजिये। जब हैदराबाद में हमने पुलिस कार्यवाही की थी तब यह सर्व-विदित था कि गोआ से हैदराबाद में हथियार लाये जा रहे थे। वही मौका था जब कि हैदराबाद के साथ-साथ गोआ का मामला भी सुलझा लिया जाता। लेकिन वह अवसर हमने हाथ से जाने दिया और अब इसने एक गम्भीर रूप धारण कर लिया है।

हम राष्ट्रमण्डल के सदस्य हैं। हम सदा यह कहते आये हैं कि यह हमारे हित में है। लेकिन तथ्य यह है कि हमारी अपेक्षा यह इंगलैंड तथा कुछ अन्य राष्ट्रमण्डल के देशों के अधिक हित में है। हमारी स्वतंत्रता के बाद से इंगलैंड ने सदा उन देशों का साथ दिया है, विशेषकर पाकिस्तान का, जो हमारे विरुद्ध हैं, और कश्मीर के मामले में हमारे विरुद्ध प्रचार किया है। गोआ के भी मामले में यही हुआ है। किसी भी देश की अपेक्षा इंगलैण्ड को हमारी नीतियाँ अधिक अच्छी तरह समझनी चाहिये थीं क्योंकि कश्मीर से कबायली आक्रान्ताओं को हटाने के लिये जो भी कार्यवाही की गयी थी वह उस समय की गयी थी जब कि एक प्रतिष्ठित अंग्रेज़ भारत का गवर्नर-जनरल था और हर मामले में उसकी राय ली जाती थी। लेकिन फिर भी इंगलैण्ड में ही हमारी बातों को जानबूझ कर ग़लत धारणा दी जाती है। अभी हाल में कराची में सीटो सम्मेलन में, जो सदस्य देशों के केवल पारस्परिक सुरक्षा सम्बन्धी मामलों से सम्बन्धित होने का दावा करता था, राष्ट्रमण ल के देशों ने कश्मीर सम्बन्धी घोषणा पर अपनी राय व्यक्त करने में अन्य देशों का साथ दिया।

गोआ के मामले में भी इसी तरह की ग़लत चीज़ें इंगलैण्ड द्वारा की गयी हैं और ग़लतफहमियाँ तथा ग़लत धारणाएँ फैलायी गयी हैं। अमेरिका और इंगलैण्ड की शह पाकर ही पुर्तगाल जैसा छोटा देश, जिसका न केवल विश्व में ही नहीं वरन् यूरोप में भी कोई महत्व नहीं है, इतना ढीठता का व्यवहार कर सका है। इसकी तुलना में कुछ अन्य यूरोपीय, अफ्रीकी तथा एशियाई देशों ने हमारी बातों को अधिक अच्छी प्रकार समझा है। इसलिये राष्ट्रमण्डल की अपेक्षा हम इन देशों से अधिक निकट के सम्बन्ध स्थापित क्यों न करें ?

इस सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहूँगा। हमारा वैदेशिक प्रचार जैसा होना चाहिये वैसा नहीं है। हमारे दूतावासों को जो प्रचार सामग्री भेजी जाती है वह अति न्यून है। विदेशी दूतावासों द्वारा हमारे देश में जिस व्यवस्थित, वैज्ञानिक तथा सूक्ष्म ढंग से प्रचार किया जाता है उसका उदाहरण हमारे सम्मुख है।

इन बातों को दृष्टि में रखते हुए मेरा सुझाव है कि बदलती हुई जटिल दुनिया की आवश्यकताओं के अनुरूप हमें, अपने आधारभूत सिद्धान्तों को न त्यागते हुए भी, अपने विचारों में अपनी युक्तियों तथा तरीकों के सम्बन्ध में संपरिवर्तन करना चाहिये।

अंत में मैं इस देश के प्रति पाकिस्तान के रवैये के विषय में कुछ शब्द कहूँगा। अमरीकी शस्त्रों के बलबूते पर और दो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य होने के कारण पाकिस्तान का वर्ताव अत्यन्त निन्दनीय हो गया है। पाकिस्तान ने अपने गणतन्त्र पर हमारे प्रतिनिधि को आमंत्रित किया था और वहाँ उनका अनादर किया गया। हमें पाकिस्तान को स्पष्ट कह देना चाहिये कि अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार पारस्परिक होता है। लेकिन मैं इसमें विश्वास करता हूँ कि हमें अपने पड़ोसी की करतूतों पर उत्तेजित नहीं होना चाहिये। यदि हमारे देश को कोई खतरा हो तो हम एकता और दृढ़ता से इसका सामना कर सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री जोकीम आल्वा। श्री जोकीम आल्वा के प्रारम्भ करने से पूर्व मैं यह कहना चाहूँगा। मूलतः चार घंटे निर्धारित किये गये थे। पूर्वी बंगाल से निष्कासन से उपस्थित परिस्थिति

†मूल अंग्रेजी में

पर सदस्यों को अवसर देने के लिये चार घंटे और दिये गये हैं। इसलिये जो सदस्यगण बोलें वे कृपया दोनों विषयों को लें जिससे कि सब सदस्यों को अवसर मिले और मैं पर्याप्त समय दे सकूं।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा) : गत वर्ष चार बहुत बड़ी घटनाएँ हुई हैं। बांडुंग सम्मेलन, हमारे प्रधान मंत्री की रुस यात्रा, श्री बुल्गानिन तथा श्री ख्रुश्चेव की भारत यात्रा तथा शाह इब्न सऊद की यह घोषणा कि भारत एक धर्म-निरपेक्ष राज्य है। अब इस बात की तुरंत आवश्यकता है कि हम अफ्रीका के सम्बन्ध में और तेल के मामले में एक सुनिश्चित नीति अपनायें।

बांडुग सम्मेलन एक बहुत बड़ी सफलता थी। इसमें संसार के २५ राष्ट्र एक साथ एकत्रित हुए और श्री चाऊ एन लाई, प्रेसिडेंट सुकर्ण तथा कर्नल नासर ने बहुत बड़ा भाग अदा किया जिससे देशों में परस्पर सद्भावना का विकास हुआ।

हमारे प्रधान मंत्री जब रूस गये तो उनका ऐसा भव्य स्वागत हुआ जैसा वहां आज तक किसी विदेशी मेहमान का नहीं हुआ था। और जब श्री ख्रुश्चेव तथा श्री बुल्गानिन यहाँ आये तो दिल्ली में १० लाख जनता उनके अपूर्ण स्वागत के लिये एकत्रित हुई। उनका यहाँ आना विश्व महत्व की एक घटना है। इससे हमारे पड़ौसी चीन और रूस हमारे अधिक नज़दीक आ गये हैं।

फिर, शाह इब्न सऊद की यह घोषणा कि भारत के मुसलमान सुरक्षित हैं तथा भारत-धर्म-निरपेक्ष राज्य है, ध्यान देने की चीज है। हज के यात्रियों की भारत सरकार ने उसी प्रकार देख-रेख की जैसे किसी परिवार में पिता अपने बच्चों की करता है।

हम अफ्रीका के सम्बन्ध में एक निश्चित नीति चाहते हैं। भारत को अफ्रीकी देशों से सहानुभूति रखनी चाहिये। हमें अपने अरब पड़ोसियों से अच्छे सम्बन्ध रखने चाहिये क्योंकि मध्य-पूर्व अत्यन्त महत्वपूर्ण जगह है।

पश्चिमी राष्ट्रों को एटम और हाईड्रोजन बमों की इतनी चिन्ता नहीं है जितनी कि इस बात की कि आगामी पंचवर्षीय योजना के पूरी होने पर रूस से चालीस लाख टेकनीकल ग्रेजुएट निकलेंगे। संसार इस समय स्पर्धात्मक सहअस्तित्व के द्वार पर है। इसलिये अब राष्ट्रों का शोषण करने का पुराना तरीका काम नहीं करेगा। नया जमाना स्पर्धात्मक सहअस्तित्व का है।

मैं चाहता हूँ कि एक बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाये। हमारे यहाँ विमान उत्पादन का एक मंत्री होना चाहिये। हमें अपने विमान उद्योग के निर्माण के लिये किसी भी देश से विशेषज्ञ मंगाने चाहियें। यह हमारी रक्षा के लिये बहुत अत्यावश्यक है।

कश्मीर को हमें दलगत राजनीति की फुटबाल नहीं बना लेना चाहिये। मैं विशेषकर अपने सामाजवादी मित्रों से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे प्रधान मंत्री को अथवा कश्मीर के नेताओं को परेशान न करें जिससे कि मौका आने पर कश्मीर हमारे हाथ से न निकल जाये, महज़ इसलिये कि हमारे दलीय नेताओं ने अपने दल का हित पहले सामने रख के इस समस्या से लाभ उठाना चाहा।

अभी इस महीने हाउस आफ कामन्स में वाद-विवाद के दौरान में भूतपूर्व लेबर गर्वनमेंट के बैदेशिक-कार्य राज्य-मंत्री श्री केनेथ यंगर ने सभी यूरोपीय शक्तियों की औपनिवेशिक समस्याएँ निबटाने को प्राथमिकता की मांग की है और यह चेतावनी दी है कि गोआ के विषय में पुर्तगाल की हठधर्मी से स्वतंत्र पश्चिम और स्वतंत्र एशिया के बीच सम्बन्धों को बहुत नुकसान पहुँच रहा है। हम जानते हैं कि १९५०-५१ में जब पुर्तगाली भारतीय प्रदेश में से अपने सैनिक गोआ में ले जाना चाहते थे तब बम्बई सरकार ने पक्का कदम उठाया था। उस समय जब कि और अधिक सैनिक गोआ में भेजे गये यदि अधिक कड़ी कार्यवाही की जाती तो अधिक अच्छा होता। किन्तु आज हम असहाय हैं पाकिस्तान

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जोकीम आल्वा]

से हवाई जहाज़ गोआ में उतर रहे हैं, वहाँ उनके हवाई अड्डे बनाये जा रहे हैं और सेना बढ़ाई जा रही है। गोआ के लिये हमें त्रिवर्षीय या पंचवर्षीय नीति बनानी होगी और किसी भी तरह, चाहे अहिंसा से या हिंसा से या और किसी तरह से गोआ को भारत में मिलाना होगा।

हमें अपने निकटतम पड़ोसियों से जैसे अफगानिस्तान, बर्मा, लंका, इन्डोनेशिया और जापान से मित्रता रखनी चाहिये। हमने थाइलैंड की उपेक्षा की जिसका परिणाम यह हुआ कि अमेरिका ने उस पर अपने शस्त्रास्त्र लाद दिये हैं। हम अपने किसी पूर्वी पड़ोसी की उपेक्षा नहीं कर सकते, चाहे वह किसी पक्ष की ओर क्यों न हो। हमें अफ्रीका में भी अपने व्यक्तियों को भेजना चाहिये और अपने देश में उनके व्यक्तियों और महिलाओं का स्वागत करना चाहिये ताकि हमारे सम्बन्ध अधिक दृढ़ हों। उसी प्रकार उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व सीमा प्रदेश से भी हमें ऐसे सम्बन्ध स्थापित करने चाहियें कि उनकी संस्कृति नष्ट न हो। आज सीमाओं पर उत्पात मचा हुआ है और हमें वहाँ अपनी सेना भेजना आवश्यक है।

हमें इन महत्वपूर्ण बातों को करना होगा और जब तक कि हम पूर्व और पश्चिम में इस प्रकार अपनी वैदेशिक नीति नहीं बनायेंगे, तब तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

अपनी वैदेशिक नीति के कुछ मामलों के बारे में हमें गर्व है। हमने गत पांच वर्षों में लगभग २३,००० अपहृत व्यक्ति पाकिस्तान के सुपुर्द किये हैं जब कि पाकिस्तान ने १०,००० से कम ही हमारे सुपुर्द किये हैं। यदि हमारे बीच अब भी लड़के, लड़कियाँ, माताएँ या बुड्ढे लोग हों तो यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम उन्हें पाकिस्तान को लौटा दें।

आपको स्मरण होगा कि १९५० में राष्ट्रसंघ के सेक्रेटरी-जनरल ने कहा था कि यदि चीन को मान्यता न दी गयी, तो विश्व संघर्ष होगा; और वह १९५० में प्रारंभ हो गया। हम अब भी वैसी ही कठिन स्थिति में हैं। जब तक कि चीन को राष्ट्रसंघ में नहीं लिया जाता, दुनिया की कोई समस्या अंतिम रूप से हल नहीं होगी।

सेठ गोविन्द दास (मंडला जबलपुर दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने देश की वैदेशिक नीति का सदा से बहुत बड़ा समर्थक रहा हूँ। इसका प्रधान कारण यह है कि हमारी वैदेशिक नीति हमारी संस्कृति और हमारी संस्कृति की परम्परा के अनुसार रही है। हम सबके मित्र हैं, किसी के शत्रु नहीं और हम इस सिद्धान्त पर चलते हैं, अपने बड़े प्राचीन माने हुए सिद्धान्त के अनुसार "वसुधैव कुटुम्बकम्" पंचशील के ५ मुद्दे, यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो वसुधैव कुटुम्बकम् के सिद्धान्त के अनुसार ही हैं।

अभी मैंने बड़े ध्यान से आचार्य कृपालानी जी का भाषण सुना जिनके प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है। उन्होंने कांग्रेसवादियों का भी ज़िक्र किया। मैं तो उन्हें भी कांग्रेसवादी ही मानता हूँ, चाहे वे कांग्रेस के बाहर इस समय चले गए हों, लेकिन कांग्रेस की ही छत्रछाया में वे पनपे थे और आज उसी की छत्रछाया के कारण उनका यह महत्व है। उन्होंने अपने भाषण में हमारी वैदेशिक नीति की सराहना करते हुए भी उसके विरोध में कुछ बातें कह दीं। वे बातें कम से कम मेरी समझ में नहीं आईं। उन्होंने कहा कि हम गत ८ वर्षों से अपनी जिस वैदेशिक नीति के अनुसार चलते हैं उसमें हमें सफलता नहीं मिली। हमारी असफलता का उन्होंने सबसे पहला दृष्टान्त यह दिया कि कभी पश्चिम वाले समझते हैं, उनका मतलब अमरीका से था, कि हम पूर्व वालों के साथ हैं, अर्थात् हम चीन और रूस के साथ हैं और कभी पूर्व वाले समझते हैं, यानी रूस और चीन, कि हम पश्चिम वालों के साथ हैं। कभी हम से अमरीका अप्रसन्न होता है और कभी हम से चीन और रूस अप्रसन्न होते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हमारी जो निष्पक्षता की नीति है, सबका मित्र रहने की, उसके कारण यह होना सर्वथा स्वाभाविक है। अमरीका और रूस अपनी-अपनी नीति के अनुसार चलते

हैं, हम किसी के अनुसार नहीं चलते जब हम अमरीका के पक्ष में कुछ कहते हैं तब रूस का और चीन का हमसे अप्रसन्न होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार जब हम इसके विपरीत कुछ कहते हैं तो दूसरे पक्ष का हमसे अप्रसन्न होना स्वाभाविक है। कृपालानी जी जिसको हमारी असफलता मानते हैं, वह हमारी सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है।

कृपालानी जी ने आगे बढ़ कर यह कहा कि इस नीति से हमारे हितों की रक्षा नहीं हुई और उन्होंने गोआ और काश्मीर का दृष्टान्त दिया। उन्होंने कहा जिनके साथ हम रहे, इंग्लैंड के साथ, वे भी हमारी गोआ की और काश्मीर की नीति पर हमसे सहमत नहीं हैं और हमारी नीति को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि समझ-बूझ कर भी अगर कोई जान-बूझ कर न समझने का प्रयत्न करे तो हमारे पास इसकी दवा नहीं है। हम यदि गोआ के सम्बन्ध में जो कुछ कृपालानी जी कहते हैं, वह नहीं कर सके तो उसका मुख्य कारण यह है कि हम कहें कुछ और करें कुछ, इसको नहीं मानते। हम जो कुछ कहते हैं उसी को करना चाहते हैं। यदि कोई चीज़ हमारे हित के विरुद्ध जाय और उस समय हम जो कुछ कहते रहे हैं, जिन सिद्धान्तों पर चलते रहे हैं, तत्काल अपने स्वार्थ के कारण, उन सिद्धान्तों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करें तो आप स्वयं विचार सकते हैं कि हमारा इस संसार में और इस काल के इतिहास में कौन-सा स्थान रह सकता है।

कृपालानी जी ने एक बात और कही और वह हमारे प्रचार के सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में मैं उनसे बहुत दूर तक सहमत हूँ। इसमें संदेह नहीं है कि हम अन्य देशों में इस प्रकार का प्रचार नहीं कर पा रहे हैं जिस प्रकार का प्रचार कि हमें करना चाहिये। लेकिन जब हम दूसरे देशों के प्रचार के बारे में कहते हैं, जैसे कि कृपालानी जी ने कहा है तो हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि दूसरे देश अपने प्रचार के सम्बन्ध में यहां पर कितना रुपया खर्च कर रहे हैं और हम कितना कर रहे हैं। हम जो अपने दूतावासों पर खर्च कर रहे हैं उसकी आलोचना होती है और कहा जाता है कि हमारा देश ग़रीब है और हम इतना खर्च अपने दूतावासों पर नहीं कर सकते और दूसरी ओर हम दूसरे देशों के प्रचार का दृष्टान्त देते हैं जो वे इतना अधिक रुपया प्रचार पर खर्च कर रहे हैं। यह युक्तिसंगत बात नहीं है। कृपालानी जी ने अन्त में कुछ सुझाव दिये। उनके सुझावों को तो मैंने बड़ा लचर पाया। उनके सुझावों में मुझे एक भी बात ऐसी मालूम नहीं हुई कि जिसको यदि कार्यरूप दिया जाए तो जो उनका अभीष्ट है वह सिद्ध हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने दुनिया के प्रायः सभी देशों को देखा है। इस समय दुनिया में एक बड़ी विचित्र स्थिति है। सारी दुनिया दो गुटों में विभक्त हो गई है। एक का नेतृत्व रूस करता है और दूसरे का नेतृत्व अमरीका करता है। दोनों की एक दूसरे के प्रति इतनी घृणा है कि जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। बातें तो शान्ति की करते हैं लेकिन तैयारी लड़ाई की करते हैं। यदि लड़ाई नहीं होती है तो इसका कारण यह नहीं है कि दोनों गुटों में से कोई सिद्धान्त रूप से शान्ति चाहता है लेकिन लड़ाई इसलिये नहीं होती है कि न रूस को इस बात पर विश्वास है कि लड़ाई में उसकी विजय होगी और न अमरीका को इस बात पर विश्वास है कि लड़ाई में उसकी विजय होगी। संसार की ऐसी अवस्था में जिस प्रकार की शान्ति के उपासक हम हैं अन्य देश शायद ही हो यही कारण है कि भिन्न-भिन्न देशों के भिन्न-भिन्न सामाजिक संघठनों वाले लोग इस देश की यात्रा को एक तीर्थ यात्रा समझ कर यहां आते हैं। इसी वर्ष कितने ही लोग आए और एक दूसरे से ठीक विपरीत सामाजिक संगठनों वाले आये। हमारे यहां बुल्गानिन साहब आए, ख्रुश्चेव साहब आए, एक तरफ। दूसरी तरफ साऊदी अरब और ईरान के शाह आए। इन सबने हमारी प्रशंसा की। इस प्रशंसा का क्या कारण है। इसका कारण यह है कि जिस वैदेशिक नीति पर हम आठ वर्षों से चलते आ रहे हैं, उसको देखते हुए सारा संसार इस बात को स्वीकार करने लगा है कि यही ठीक नीति है, यही नीति संसार के लिये कल्याणकारी नीति है और हम ईमानदारी के साथ उस नीति पर चल रहे हैं।

[सेठ गोविन्द दास]

हमारे कुछ प्रश्न ऐसे जरूर हैं जो अभी तक हल नहीं हुए । गोआ का प्रश्न है, काश्मीर का प्रश्न है । जहां तक काश्मीर का प्रश्न है वह हमारी तरफ से तो हल हो ही चुका है । जहां तक गोआ का प्रश्न है उसके बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह प्रश्न भी हल होकर ही रहेगा । यह सम्भव नहीं है कि इतने बड़े देश के स्वराज्य के प्रश्न को तो हम हल कर लें हृदय परिवर्तन के द्वारा और यह प्रश्न हम उसी प्रकार हल न कर सकें । हमें इस प्रश्न को हल करने के लिये थोड़ा-सा धैर्य रखना होगा । जिन सिद्धान्तों पर चल कर हमने भारतवर्ष की आज़ादी हासिल की है उन्हीं पर चल कर हम गोआ को स्वतन्त्र कराने में भी सफल होंगे । किसी व्यक्ति की उम्र में दो, चार या दस वर्ष का समय बहुत बड़ा समय होता है । लेकिन किसी राष्ट्र के लिये यह समय नहीं के बराबर है ।

पाकिस्तान के और हमारे सम्बन्ध भी नहीं सुधर रहे हैं । लेकिन इतने पर भी हमने अपने मन का संतुलन नहीं खोया है और हम उसको खोने वाले भी नहीं हैं । हमारी सीमाओं पर दुर्घटनायें होने के बावजूद हमारे राष्ट्रपति जी ने जिस दिन पाकिस्तान गणतन्त्र घोषित हुआ उस दिन सद्भावनाओं का संदेश भेजा । हमने खन्ना साहब को अपने प्रतिनिधि के रूप में उस महोत्सव में भाग लेने के लिये पाकिस्तान भेजा । अभी उस सम्बन्ध में काफी चर्चा हो चुकी है । मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हम अन्य देशों से मैत्री के सम्बन्ध, भाईचारे के सम्बन्ध रखना चाहते हैं, उसी तरह हम अपने पड़ोसी पाकिस्तान से भी । किन्तु इसके साथ ही साथ मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि यदि पाकिस्तान ने कभी भी स्वप्न में भी हमारी स्वतन्त्रता पर किसी प्रकार का भी आघात करने का किसी प्रकार की भी बाधा डालने की बात सोची तो इस देश के आबाल से वृद्ध, पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक व्यक्ति भी चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, अपने देश की स्वतन्त्रता बनाये रखने के लिये आगे बढ़ेगा । 'संगच्छध्वं, संवदध्वं', इन दो शब्दों को मैं पाकिस्तान के सामने और दुनिया के सामने रखना चाहता हूँ । हमने सदा स्वतन्त्रता की उपासना की है । हम पराधीन अवश्य हुए । पर जब जब भी हम पराधीन हुए हमने सदा स्वाधीन होने की कोशिश की । जो स्वतन्त्रता हमें मिली है उसकी रक्षा हम प्राणपण से अन्तिम समय तक करते रहेंगे और मुझे इस बात का विश्वास है कि भारतवर्ष की स्वतन्त्रता को अपहरण करने की संसार के किसी देश में, किसी राष्ट्र में शक्ति नहीं है ।

अन्त में मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ और वह यह है कि कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनमें हम सब मिलकर काम कर सकते हैं । राजनीतिक दल अलग-अलग रहने पर भी, उन दलों के अनुयायी चुनावों में तथा दूसरी बातों में अलग-अलग रहते हुए भी, क्या निर्माण के काम में, क्या वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में और क्या इसी प्रकार की दूसरी बातों के सम्बन्ध में, एक साथ रहकर नहीं चल सकते ? मैंने इस बात को अनेक बार कहा है । मैं अपने साम्यवादी भाइयों को, हमारे साम्यवादी दल के उपनेता श्री एच० एन० मुकर्जी को, मैं प्रजा समाजवादी दल को, उसके नेता श्री कृपालानी जी को, मैं हिन्दु महासभा के नेता श्री चैटर्जी को और दूसरे लोगों को यह कहना चाहता हूँ कि अब वह समय आ गया है, जब हम अलग-अलग दलों में रहते हुए भी कुछ कामों को साथ-साथ करें । दूसरी पंचवर्षीय योजना आरम्भ होने वाली है, रचनात्मक कार्य हमारे सामने हैं, जैसे भूदान का कार्य है और इसी प्रकार के दूसरे कार्य हैं जिनमें हम एक संग रह सकते हैं ।

वैदेशिक नीति का एक ऐसा मसला है जिसमें भी हम अलग-अलग दलों में रहते हुए भी साथ-साथ चल सकते हैं । इस बात को मैं अनेक बार इस संसद् में कह चुका हूँ । फिर कहना चाहता हूँ कि हम भिन्न-भिन्न दलों में रहते हुए भी कुछ बातों को ऐसी बातें बनायें जिनमें कि हम कटुता को छोड़कर, दलगत राजनीति को छोड़कर साथ-साथ काम करें, और वैदेशिक नीति को मैं एक ऐसी ही चीज़ मानता हूँ ।

श्री कामत : पहले आप छोड़िये ।

सेठ गोविन्द दास : अन्त में मैं प्रधान मंत्री और इस देश के हृदय सम्राट् पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी इस वैदेशिक नीति पर हृदय से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। उन्होंने इस देश के मुख को केवल इस देश में नहीं, पर सारे संसार में इस नीति का अनुसरण कर, जो यथार्थ में गांधी जी की बतायी हुई नीति है, जो यथार्थ में हमारी संस्कृति के अनुसार नीति है, हमारी परम्परा के अनुसार नीति है, उज्ज्वल किया है और इस देश के वर्तमान इतिहास को बनाया है। मैं अन्त में उन्हें फिर बधाई दे रहा हूँ।

†**श्री एच० एन० मुकर्जी** (कलकत्ता--उत्तर-पूर्व) : मेरे माननीय मित्र आचार्य कृपालानी इस कारण कुछ चिन्तित मालूम पड़ते हैं कि हमारे मित्र देश के कुछ नेताओं ने गोआ और काश्मीर के बारे में ऐसे वक्तव्य दिये हैं जिनसे श्री डलेस और श्री लायड जैसे लोगों को आघात पहुंचा है। उनका यह कहना था कि राजनीति में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको न व्यक्त करना ही अच्छा होता है। मेरे मित्र सेठ गोविन्द दास ने विरोधी दलों से कहा है कि उन विषयों के बारे में जिनमें सम्पूर्ण राष्ट्र की एकता आवश्यक है, वे सरकार का विरोध न करें। किन्तु इस प्रार्थना के पूर्व यह भी आवश्यक है, जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री कामत ने कहा है, कि शासक दल कुछ अपनी आदतों को भी छोड़ दें।

जहाँ तक वैदेशिक नीति का सम्बन्ध है, हमने कई बार कहा है कि हम अपनी वैदेशिक नीति के उन पहलुओं का, जो हमारी जनता के हित में है और हमारे देश की प्रतिष्ठा के अनुरूप है, समर्थन करने के लिये तैयार हैं। उसी प्रकार योजना के सम्बन्ध में भी हम सहयोग देने के लिये तैयार हैं। यदि आप प्रत्युत्तरात्मक सहयोग देने के लिये तैयार हों तो हम उस पर विचार करेंगे किन्तु हम किसी विशिष्ट मार्ग के पक्ष में अथवा विरोध में एकाएक किसी प्रकार का वचन नहीं दे सकते।

गत सप्ताह हमें इस सभा को वैदेशिक कार्य और गोआ के विषय में श्री डलेस तथा पुर्तगाली परराष्ट्र मंत्री श्री कुन्हा के संयुक्त वक्तव्य के सम्बन्ध में अमरीका से पत्र व्यवहार की विशद व्याख्या प्रधान मंत्री से सुनने का अवसर मिला था। उसकी भाषा हमारे देश की प्रतिष्ठा के अनुरूप थी और उससे हमारा सम्मान बढ़ेगा। किन्तु मुझे आशंका है कि जो कुछ हो रहा है उसका पूरा-पूरा मन्तव्य सरकार ने अभी तक नहीं समझा है और अपेक्षित तथा आवश्यक कार्यवाही के अभी कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ते हैं।

'सीएटो' परिषद् ने करांची में काश्मीर के प्रश्न पर चर्चा करके एक बड़ी आपत्तिजनक घोषणा की है और प्रधान मंत्री को यह जानकर बड़ा दुःख हुआ कि ब्रिटिश साम्राज्य के तीन देशों ने भी इस घोषणा में सहयोग दिया है। उन्हें इस पर भी आश्चर्य हुआ कि ब्रिटेन के परराष्ट्र सचिव श्री लायड ने यह आश्वासन दिया था कि वे इस प्रकार की कोई बात नहीं करेंगे। कनाड़ा और ब्रिटेन के राजनीतिज्ञों का यहां कुछ कहना और वहां कुछ कहना इसका हमें अब अभ्यास हो गया है। किन्तु गहरे नुक्सान के प्रति हमारी सहनशीलता की कोई एक सीमा तो अवश्य होनी चाहिये। यदि ब्रिटेन, अमरीका और उनके मित्र नियमित रूप से इसी प्रकार हमारे पड़ौसी के साथ हमारे सम्बन्ध खराब करते रहे तो हम उसे सहन नहीं कर सकते। प्रधान मंत्री को १९४७ से अथवा उसके पहले से भी काश्मीर के विरुद्ध एँग्लो-अमेरिकी षड़यंत्र का स्मरण होगा। वह दुर्भाग्य का दिन था जब कि काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप की माऊंटबैटन योजना भारत सरकार पर लादी गई। १९४७ के अन्त से हमने काफी अपमान और हानि सहन की है। इस समय काश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र से अवश्य ही वापस ले लिया जाना चाहिये क्योंकि काश्मीर की जनता उस मामले का फैसला पहले ही से कर चुकी है और वह विषय केवल हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के बीच समझौते से हो, विदेशी मध्यस्थता द्वारा तो कभी नहीं समाप्त किया जाना चाहिये। समाचारपत्रों में कहा गया है कि

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

पाकिस्तान ने काश्मीर पर सीएटो के विनिश्चय संयुक्त राष्ट्र में भेज दिये हैं। उन्हें वैसा करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है किन्तु हमें संयुक्त राष्ट्र को यह बता देना चाहिये कि इस विषय से उसका अब कोई सम्बन्ध नहीं।

आज हमारे लिये सबसे अधिक चिन्ता का विषय यह है कि स्वार्थी साम्राज्यवादी शक्तियां पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध को जानबूझ कर खराब कर रही हैं। हम अपनी मुख्य समस्यायें हल कर सकते हैं यदि हमें वास्तव में अवसर मिले। मुझे याद है कि जब पूर्वी बंगाल में निर्वाचन हुए थे तब कुछ समय के लिये पूर्व से पश्चिम की ओर निष्क्रमण रुक गया था और कुछ शरणार्थियों ने वापस जाना भी शुरू किया था। किन्तु उनके एंग्लो-अमेरिकी मित्रों को यह बात पसन्द नहीं आई। इसीलिये तब पाकिस्तान-अमेरिकी सैनिक संधि, बगदाद संधि, सीएटो और मीडो आदि संधियां हुईं। यह दुष्टता अवश्य बन्द हो जानी चाहिये अन्यथा हमारी जनता नष्ट हो जायगी।

यह कोई सवाल नहीं है कि भारत बहुत अधिक व्यग्र है। यद्यपि प्रधान मंत्री ने देश को आश्वासन दिया है कि कच्छ के रान से सूरमा घाटी तक के विस्तृत क्षेत्र में सीमा-घटनाओं के पीछे कोई पक्की पाकिस्तानी योजना नहीं है, फिर भी, काश्मीर प्रश्न को लेकर पाकिस्तान जो घृणा का वातावरण उत्पन्न कर रहा है वह निस्संदेह बहुत खतरनाक है और पूर्वी बंगाल से हिन्दुओं का लगातार निष्क्रमण जब कि एक महीने में ५०,००० लोग आये हैं, एक अत्यन्त दुःखद घटना है। हमें इसको अवश्य रोकना चाहिये।

इसी बीच कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं कि पाकिस्तानी प्रधान मंत्री ने युद्ध नहीं "घोषणा" का सुझाव दिया है जो भारत ने बहुत पहले ही रखा था। इसी प्रकार उन्होंने भारत-पाकिस्तानी सीमाओं को अन्तिम रूप से निर्धारित करने के लिये बातचीत की मांग की है और पूर्वी बंगाल से अल्पसंख्यकों का निष्क्रमण रोकने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। ये अवश्य ही अच्छी बातें हैं किन्तु पर्याप्त नहीं हैं। हमें और आगे बढ़ना है। सभी से मेरी अपील है कि दोनों देशों के बीच मैत्री-भाव स्थापित करने के लिये वे पूर्ण प्रयत्न करें। हमारे प्रधान मंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा है कि सैनिक तरीकों से या युद्ध की धमकियों से हम अधिक निकट न आ सकेंगे वर्तमान आतंक और सन्देह दूर करने के लिये उन्होंने पाकिस्तान को पंचशील मानने का सुझाव दिया है। एशियाई सामूहिक शान्ति संधि के लिये इस प्रस्ताव को पूर्ण स्वरूप दें। इस प्रकार की संधि का प्रस्ताव चीन ने गतवर्ष जुलाई में ही रखा था जिसके अन्तर्गत एशिया के सभी देश प्रशान्त प्रदेश और अमेरिका भी आ जाते यह कोई सरल काम न होगा, किन्तु फिर भी हमें प्रयत्न जारी रखने चाहिये।

इसी बीच यह नितान्त आवश्यक है कि सीमा प्रश्न का यथाशीघ्र निबटारा हो जाये और पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापितों का भारत में निष्क्रमण बन्द हो जाये। दूसरे प्रयोजन के लिये दो बातें आवश्यक है। पाकिस्तान में हमारे उच्च आयुक्त ने एक वक्तव्य में कहा कि हम जितने शरणार्थियों को सफलतापूर्वक बसा सकते हैं उससे अधिक शरणार्थियों को हम अब स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। 'सफलता पूर्वक' शब्द से मेरा विशेष निर्देश है। आप इस प्रकार की कोई शर्त्त न लगाइये क्योंकि जो भी लोग आ रहे हैं वे पीडित होकर ही आ रहे हैं। ऐसा कोई वक्तव्य न दिया जाये जिससे कि दूसरी ओर के प्रतिक्रियावादियों को सहायता मिले। हमें हर प्रकार से और हमेशा इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि निष्क्रमण बन्द करने के लिये पाकिस्तान से कोई समझौता किया जा सके। किन्तु हमें निष्क्रमण का बोझ तो सहना ही होगा। दूसरी ओर हमें यह भी याद रखना चाहिये कि इसके पीछे उन लोगों का हाथ है जो भारत-पाकिस्तान संघर्ष से लाभ उठाना चाहते हैं। पुर्वी पाकिस्तान में भयंकर आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है जिसका प्रमाण यह है कि काफी संख्या में मुस्लिम भारत में आ रहे हैं। इसीलिये मैं इस बात पर जोर देता हूं कि दोनों

बंगालों के बीच वित्तीय भुगतान अधिकतम सरल बनाने के लिये हमें तैयार रहना चाहिये। मेरे विचार से यह उचित रीति से तब हो सकता है यदि पाकिस्तान में हमारे उच्चआयुक्त इस बारे में उचित प्रकार का प्रचार करें कि भारत में क्या हो रहा है। विशेषकर पूर्वी बंगाल में भारत के विरुद्ध जो द्वेषपूर्ण प्रचार किया जा रहा है उसका मुकाबला तभी हो सकता है जब हमारे उच्च-आयुक्त यह जान लें कि उनका मुख्य कार्य क्या है। मुझे यह कहना पड़ता है कि वे अपना मुख्य काम नहीं जानते। विश्व की प्रतिक्रियावादी शक्तियों को हमें अपने विचार स्पष्ट होकर तथा निश्चित रूप से बता देने चाहिए। हम समाचारपत्रों में पढ़ते हैं कि 'सीएटो' शक्तियां गिलगित तथा चिटगांव में अपने अड्डे बना रही हैं। गत वर्ष ब्रिटेन के प्रधान मंत्री श्री ईडन ने यहां तक कहा कि 'सीएटो' का प्रधान कार्यालय ढाका में होगा, चाहे आस्ट्रेलिया के श्री कैसी तथा कैनाडा के श्री पीयर्सन हमारे बारे में कितनी ही मीठी मीठी बातें क्यों न बोलें, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि 'सीएटो' में तथा और जगहों पर वह हमारी पीठ में छुरा घोंपने से झिझकते नहीं। हम ब्रिटेन की दोस्ती का राग अलापते रहते हैं किन्तु उनसे इतना भी नहीं हो सकता कि वह अपने प्राचीन मित्र पुर्तगाल को गोआ के बारे में ठीक मश्वरा दे। इंडिया आफिस लायब्रेरी की सम्पत्ति को वह अभी भी हड़प बैठे हैं, उन्होंने हाल ही में तथा कथित 'ब्लैक होल' दुर्घटना की २००वीं वर्ष गांठ मनाई यद्यपि इतिहासिज्ञों ने इस घटना को 'झूठ' प्रमाणित किया है।

अभी हमारे महमान श्री जान फोस्टर डलेस आये थे। वह आये भी और चले भी गए। वैसे तो मैं उनसे आतंकित नहीं हूं, किन्तु उनकी गति विधियां बेमानी नहीं होती हैं। पाकिस्तान में वह 'सीएटो' सम्मेलन के अधिष्ठाता थे। प्रधान मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत की स्थिति को पहले के मुकाबले में भलीभांति समझा है। मैं उनके इस विचार से सहमत नहीं हूं। दुनिया जानती है कि श्री डलेस किस तरह धौंस पर धौंस दिये चले जा रहे हैं। उनकी धौंस क्या उन्हें प्रायः जवाब मिलता रहा है किन्तु वह इससे कुछ सीखे नहीं हैं। गत वर्ष उन्होंने कहा कि 'पंचशील' एक चाल है जिससे हमें खबरदार रहना चाहिये। आज अमेरिका वापस जाकर वह कहने लगे हैं कि भारत का प्रधान मंत्री एक अच्छा कम्युनिस्ट विरोधी है। हमें इन सब बातों से कोई गर्ज़ नहीं। किन्तु पुर्तगाल के विदेश मंत्री के साथ उन्होंने गोआ के बारे में जो वक्तव्य दिया है उसकी हमें चिन्ता है। प्रधान मंत्री ने कहा है कि किसी भी दशा में हम पुर्तगाली उपनिवेशवाद को भारत की भूमि पर सहन नहीं करेंगे। उन्होंने जो कुछ कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं। किन्तु उन्हें इसके साथ ही यह भी साफ-साफ बता देना चाहिये था कि जहां हम गोआ के बारे में कोई मित्रतापूर्वक समझौता करना पसन्द करेंगे, वहां हमारा यह भी अधिकार होगा कि यदि ऐसा समझौता न हो तो हम गोआ की मुक्ति के लिये कोई भी कार्यवाही कर सकते हैं, आप यह घोषणा क्यों नहीं कर देते हैं कि यह नगर हवेली का मामला विश्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है ? हम इस बात का फैसला क्यों नहीं करते हैं कि गोआ निवासियों को प्रविधिक आधार पर वापस गोआ नहीं भेजा जाना चाहिये। वहां उन पर तरह-तरह के अत्याचार ढाए जा रहे हैं हमारे साथी श्री त्रिदीब चौधरी इस समय इस अत्याचार का शिकार हो रहे हैं; प्रधान मंत्री राष्ट्रमंडल के अपने मित्रों को यह क्यों नहीं कह देते हैं कि वह पुर्तगाल को इस तरह के अत्याचार न करने के लिये कहें, फ्रांस के कुछ लेखकों तथा कलाकारों ने पुर्तगाल से अपील की है कि वह सत्या-ग्रहियों तथा उनसे सहानुभूति रखने वाले लोगों पर अत्याचार करना बन्द कर दें। ब्रिटेन की ओर से इन अत्याचारों के बारे में क्यों कोई शब्द भी नहीं कहा गया। गोआ के बारे में सरकार को कुछ प्रत्यक्ष उपायों पर विचार करना चाहिये जिन्हें कि निकट भविष्य में अपनाया जा सके।

नागा पहाडियों में उपद्रव हमारी दूसरी समस्या है। इस क्षेत्र से यही समाचार आ रहे हैं कि विध्वंसकारी तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा रही है। परन्तु ऐसा मालूम होता है कि गत

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

जुलाई से स्थिति अधिक खराब हो गई है। मैं समझता हूं कि नागा समस्या का पुनरीक्षण आवश्यक है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि विध्वंसकारी कार्यवाही को सहन नहीं किया जा सकता परन्तु यह मानने के लिये तैयार नहीं हूँ कि अब वहां शांतिपूर्ण उपायों से काम नहीं चल सकता। इसमें नागाओं की हठधर्मी अवश्य है परन्तु वह ब्रिटिश शासन द्वारा जनित है। परन्तु फिर भी भारत के लिये यह अधिक शोभाजनक होगा कि वह उनके पक्ष में कुछ कार्य करे जिससे हम उनकी सद्भावना प्राप्त कर सकें। नागा लोग स्वभाव से गर्व करने वाले होते हैं। आसाम के सदस्यों ने हमें वहां की स्थिति बताई है और हमने भी उनके प्रतिनिधियों से भेंट करके यह अनुभव किया है। अस्तु हमें उनसे लड़ना नहीं चाहिये। प्रधान मंत्री ने प्रायः भारत की आदिम जातियों की समस्या के सम्बन्ध में बड़े अच्छे विचार व्यक्त किये हैं। उन्हीं को इसका समाधान करना चाहिए।

कभी-कभी सुना जाता है कि नागाओं के उपद्रव के पीछे विदेशी हाथ है। यदि ऐसा है तो हमें उसका पता लगाना चाहिये। मेरी एक शंका है—भले ही प्रधान मंत्री उसे सही न मानें—कि इसके पीछे अमेरिकी हाथ है। वहां के एक प्रमुख गुप्तचर श्री सिडनी डी० रप्ले ने फरवरी १९५५ की "नेशनल ज्यागरेफिक मैगजीन" में एक लेख दिया था जिसका शीर्षक था "भारत की नागा पहाड़ियों का भ्रमण"। मैं नहीं जानता कि प्रधान मंत्री इन मामलों की जांच कराना चाहते हैं या नहीं।

एक और बात के सम्बन्ध में भी मैं प्रधान मंत्री से स्पष्टीकरण चाहता हूं। गत नवम्बर में जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य (जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक) के उपप्रधान मंत्री श्री हेर राऊ दिल्ली आए थे। वे कुछ समय होटल में रहे और बाद में उन्हें राज्य के अतिथि के रूप में हैदराबाद हाउस में ठहराया गया। इसका अर्थ समाचारपत्रों द्वारा पूर्वी जर्मनी की राजनयिक मान्यता लगाया गया। परन्तु पश्चिमी जर्मनी के उपप्रधान मंत्री श्री ब्लूशर ने गत जनवरी में यहां से वापस जाने के बाद कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम यह सोचें कि भारत पूर्वी जर्मनी से राजनयिक सम्बन्ध स्थापित कर रहा है। २६ जनवरी, १९५६ के 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' में उनका यह वक्तव्य प्रकाशित हुआ है। हमें इस सम्बन्ध में अपनी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिये। हाल ही में पूर्वी जर्मनी के विदेश मंत्री ने घोषणा की है कि केवल पश्चिमी जर्मनी को मान्यता देने का अर्थ उसके एकीकरण में बाधा पहुंचाना है। हमारा पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी के झगड़े से कोई सम्बन्ध नहीं है। अस्तु हमें भावी जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को मान्यता देने के कार्य में शीघ्रता करनी चाहिये।

मैं और भी बहुत सी चीजें कहना चाहता हूँ परन्तु समय न होने के कारण केवल एक बात के सम्बन्ध में निर्देश करूँगा। आशा है प्रधान मंत्री जी उसकी उपेक्षा नहीं करेंगे। 'मैं अमेरिकन जस्टिस फॉर एशियन्स' नामक पुस्तक के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ।

यह पुस्तक मैं यहां लिए हूं। इसकी लेखिका मेरी बेहानन हैं जो बच्चों के रोगों की एक सुप्रसिद्ध चिकित्सक है तथा जिनके पति राष्ट्रसंघ के उच्च पदाधिकारी हैं। लगभग ३ वर्ष तक ये पति-पत्नी एक मुकदमा लड़ते रहे जो उनके दस वर्षीय एकमात्र पुत्र की न्यूयार्क के एक अस्पताल में मृत्यु के सम्बन्ध में था। श्रीमती बेहानन का कहना था कि उनका बच्चा उपेक्षा के कारण मरा जोकि कुछ लोगों ने जानबूझ कर की। उन पति-पत्नी के पत्र व्यवहार से मालूम होता है कि कुछ डाक्टरों ने अपनी गलती स्वीकार की। जो इन्जेक्शन दिये थे वे विषाक्त थे। ये दो भारतीय कुछ अमरीकी मित्रों की सहायता से लड़ रहे थे। परन्तु उन्हें अमेरिका की नौकरशाही का सामना करना पड़ा जिसकी सहायता, पुस्तक के आरोपों के अनुसार, न्यूयार्क का भारतीय महावाणिज्यदौत्य भी कर रहा था। ये सब तथ्य इस पुस्तक में दिये हुए हैं। चूंकि मैंने वह पत्र व्यवहार देखा है इसलिये मैं जानता हूँ कि बेहानन दम्पत्ति ने इस मामले के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री के सचिवालय से लिखा-पढ़ी की और उन्होंने, उस पुस्तक की एक टाइप की हुई प्रति, प्रकाशन के लगभग एक वर्ष पूर्व, प्रधान मंत्री के पास भेजी ताकि उन्हें जानकारी हो जाय।

उन्हें प्रधान मंत्री के सचिवालय से पुस्तक की प्राप्ति की सूचना मिली। मैं नहीं जानता कि उन्होंने इस पुस्तिका को प्रधान मंत्री को दिखाना ठीक समझा या नहीं, क्योंकि यदि वे देखते तो मुझे विश्वास है कि वह अवश्य ही न्यूयार्क के भारतीय महावाणिज्यदूत के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करने का आदेश देते। केवल इसलिये नहीं कि इसमें दस वर्षीय भारतीय लड़के की जान गई थी बल्कि यह देखने के लिये कि क्या अब्राहिम लिंकन के सिद्धांत बिल्कुल समाप्त तो नहीं हो गये हैं। यदि जांच से यह सत्य सिद्ध हो जाय कि वे ऐसे तत्वों से सम्बन्धित थे और उन्होंने एक भारतीय माता-पिता के साथ, जो कि अपने पुत्र की मृत्यु के लिये संघर्ष कर रहे थे, ऐसा उपेक्षापूर्ण व्यावहार किया तो यह उनके लिये दुःख और लज्जा की बात है। सरकार को इस मामले में अवश्य कार्यवाही करनी चाहिये।

मैंने सरकार का ध्यान उन छोटी और बड़ी बातों की ओर दिलाया है, जहाँ सरकार ने उचित कार्यवाही करनी चाहिये थी। उपयुक्त स्थान पर मैंने प्रशंसा भी की है। सरकार को अपनी नीति में जनता द्वारा अपेक्षित परिवर्तन करने चाहिये, उसे एक सिद्धांत अपनाना चाहिये जिससे

स्वस्तरतु दुर्गामि सर्वे मद्रानि पश्यतु।
सर्वस्तद्बुद्धि या जोतु सर्वे सर्वत्र नन्दनु॥

की उक्ति चरितार्थ हो सके।

†**डा० एस० एन० सिंह** : (सारन-पूर्व) : हम अपनी वैदेशिक नीति की सफलता का निश्चय ही गर्व कर सकते हैं क्योंकि उसके उद्देश्य बहुत हद तक पूरे हुए हैं। हमारे प्रधान मंत्री ने अनेक बार यह स्पष्ट कर दिया है कि हम अधिक से अधिक देशों के साथ मत्री सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं। हमारे रूसी अतिथि श्री मिकोयन ने ठीक ही कहा है कि आज भारत और रूस के जितने अच्छे सम्बन्ध हैं वैसे पहले कभी नहीं रहे। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि उनके आने से ये सम्बन्ध और भी दृढ़ हो जायेंगे।

यहां मैं थोड़ा सा उल्लेख रूस की वर्तमान वैदेशिक नीति का करना चाहता हूँ क्योंकि उसके सम्बन्ध में कुछ गलत धारणा हमारे देश में ही नहीं अन्यत्र भी है। संसार की खिचाव की स्थिति में जो सुधार हुआ है वह उसी के कारण है। सोवियत संघ की २०वीं कांग्रेस से भी उस खिचाव में कमी हुई है। इससे कोई व्यक्ति इन्कार नहीं कर सकता। सम्भवतः आचार्य कृपालानी को उसके सम्बन्ध में गलत रिपोर्ट मिली है। मैं लोक-सभा की जानकारी के लिये सोवियत संघ की कम्यूनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति की रिपोर्ट में से श्री ख्रुश्चेव के भाषण के कुछ अंशों का निर्देश करूँगा। श्री ख्रुश्चेव ने कहा है कि सह-अस्तित्व सोवियत वैदेशिक नीति का आधारभूत सिद्धान्त है। फिर भी उसका गलत अर्थ लगाया जाता है। ऐसा क्यों है? इसके सम्बन्ध में भी ख्रुश्चेव ने स्वयं संकेत किया है। अमेरिका अपने साम्राज्यवाद के विस्तार के लिये शीत युद्ध को बनाये रखना चाहता है। वास्तव में शीत युद्ध उद्योग बनाये रखने का साधन है जिससे धन अर्जन किया जा सके। अमेरिकी प्रेस ही ऐसी बातों का गलत प्रचार करता है क्योंकि ऐसे प्रचार के द्वारा अमेरिका अपनी स्वार्थ सिद्धि चाहता है।

हाल ही में पाकिस्तान की संसद् में वैदेशिक नीति पर चर्चा हुई थी। उसमें बोलते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा था कि "हमें प्रतिरक्षा और आन्तरिक सुरक्षा के लिये अमेरिका से सैनिक सहायता मिल रही है।" आन्तरिक सुरक्षा का क्या अर्थ? क्या पाकिस्तान में इतने उपद्रव हो रहे हैं कि उनको दबाने के लिये अमेरिकी शस्त्रों और सैनिकों की आवश्यकता पड़ गई? ऐसा मालूम होता है कि स्वयं पाकिस्तान में ही जनमत दक्षिण-पूर्वी एशिया सुरक्षा संगठन के विरुद्ध है, अथवा अमेरिकी

†मूल अंग्रेजी में

[डा० एस० एन० सिंह]

शस्त्रों की क्या आवश्यकता पड़ी ? विरोधी दल का आरोप है कि देश को अमेरिका के हाथों बेचा जा रहा है। यह किसी हद तक सही भी है।

हमारे प्रधान मंत्री ने तो स्पष्ट कर दिया है कि हम पाकिस्तान से अच्छे सम्बन्ध रखना चाहते हैं परन्तु पाकिस्तान कहता है कि काश्मीर और नहरों के पानी की समस्या अड़चन पैदा करती है। यदि पाकिस्तानी ऐसा न कहें तो दोनों देशों के सम्बन्ध सुधर सकते हैं। वास्तव में काश्मीर का निर्णय तो काश्मीरियों ने कर ही लिया है कि वह भारत का अखण्ड भाग है। इसलिये वह बात खत्म हो गई।

जहाँ तक नहरों के पानी का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान चाहता क्या है ? क्या हम भाखरा नांगल बांध का निर्माण बन्द कर दें जिससे एक करोड़ एकड़ भूमि की सिंचाई होगी ? हम ऐसा नहीं कर सकते। यदि पाकिस्तान चाहता है कि हम अपने देश की जनता का जीवन न सुधारें तो उसे निराश होना पड़ेगा।

वास्तव में बात यह है कि काश्मीर अथवा भाखरा बांध भारत-पाकिस्तान मैत्री में अड़चन नहीं डालते वरन् मतभेद का मुख्य कारण दक्षिण पूर्वी एशिया प्रतिरक्षा संगठन और बगदाद संधि जैसे सैनिक संगठन हैं। पाकिस्तान के शासकों के साथ में प्रभुत्वशक्ति है, वे अमेरिका के इशारे पर चलते हैं। यहीं कारण है कि हमारे बीच मैत्री सम्बन्ध नहीं रह पाता।

इस तरह से देखा जाय तो इन संगठनों के पक्ष में दो तर्क दिए जाते हैं वे बड़े निर्बल सिद्ध होते हैं। आज सोवियत रूस के आक्रमण का कोई भी भय नहीं है। यदि एशिया में शांति के लिये कोई खतरा है तो वह अमेरिका की ये कार्यवाहियां ही हैं। पाकिस्तान को स्वयं भी इन सैनिक गठबन्धनों से कोई लाभ नहीं होगा। दक्षिण पूर्वी एशिया प्रतिरक्षा संगठन को समाप्त कर देना चाहिये और भविष्य में पाकिस्तान ही वैसा करेगा। हम नहीं जानते कि श्री डलेस ने कभी इस बात पर भी विचार किया है या नहीं। इन सोवियत विरोधी कार्यवाहियों के कितने खतरनाक परिणाम निकल रहे हैं। जितनी जल्दी वे इस बात को समझ जायें उतना ही अच्छा है। वास्तव में पाकिस्तान को अमेरिका जो सहायता दे रहा है उसी से भारत-पाकिस्तान मैत्री में बाधा हो रही है। हम किसी के भी विरोधी नहीं हैं। यदि हम सोवियत रूस से मैत्री चाहते हैं तो अमेरिका से भी चाहते हैं। परन्तु अमेरिका को पाकिस्तान को हथियार नहीं देने चाहिये क्योंकि उनसे हमारे सीमान्तों को खतरा होता है। भारत-अमेरिका मैत्री के मार्ग में यही बाधा है, परन्तु अमेरिका इसे नहीं समझ रहा है। वह इस भुलावे में पड़ा हुआ है कि वह एशिया के मानचित्र को अपनी इच्छानुकूल बना सकता है। यह आशा सर्वथा गलत है। एशियाई देश अपने भाग्य का निर्णय स्वयं करने के लिये पर्याप्त शक्ति रखते हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

विदेशी शक्तियों को एशियाई मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। एशिया में शांति को दृढ़ बनाने और आत्म सम्मान की भावना जागृत करने का प्रक्रम चल रहा है वह दिन प्रति दिन दृढ़ होता जायगा और कोई भी अमेरिकी संगठन उसे कभी भी नष्ट नहीं कर सकेगा। ऐसा मालूम होता है कि सैनिक गुट बिल्कुल अन्धा हो रहा है। पाकिस्तान को अपने पक्ष में करने के लिये उसने उसे दो रियायतें दी हैं जिनका उल्लेख मैं कर चुका हूँ। आचार्य कृपालानी का यह कहना कि सर्वश्री बुल्गानिन और ख्रुश्चेव ने गोआ और काश्मीर के सम्बन्ध में गलत बात कही .....

†**आचार्य कृपालानी** : मैंने यह नहीं कहा कि उन्होंने गलत बात कही। मैंने केवल इतना कहा कि यदि उन्हें विवादग्रस्त मामलों के सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त करना था तो अपने देश में जाकर करते, भारत में नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० एस० एन० सिंह** : माननीय सदस्य का तात्पर्य यह था कि उन्होंने जो कुछ कहा उससे श्री डलेस को बुरा लगा और इसी से उसने कुछ कदम उठाये जो अन्यथा न उठाये गये होते।

†**आचार्य कृपालानी** : मैंने यह कहा था कि हम इंग्लैण्ड तथा अमेरिका के दृष्टिकोण जानते हैं परन्तु कभी कभी यह अच्छा होता है कि हम जो बातें जानते हो उन्हें व्यक्त न करें।

†**डा० एस० एन० सिंह** : मैं गलतफहमी दूर करने के लिये सर्वश्री बुल्गानिन और ख्रुश्चेव के वक्तव्यों में से कुछ वाक्य पढ़ कर सुनाऊंगा। वे इस प्रकार हैं–

> "जहाँ तक काश्मीर समस्या का सम्बन्ध है, वह कुछ खास कारणों से खड़ी की गई है, पाकिस्तान के समर्थन की आड़ में कुछ देश वहां अपना अधिपत्य जमाना चाहते हैं .....
>
> काश्मीर का प्रश्न स्वयं काश्मीरियों द्वारा हल कर लिया गया है। वे अपने को भारतीय गणराज्य का अभिन्न अंग मानते हैं।
>
> सोवियत सरकार काश्मीर समस्या के सम्बन्ध में भारत की नीति का समर्थन करती है।"

वास्तव में यह हमारी नीति है, रूस ने तो उसका समर्थन भर किया है। यदि आचार्य कृपालानी सर्वश्री बुल्गानिन और ख्रुश्चेव के विरुद्ध कुछ कहते हैं तो उसका अर्थ यह है कि हमारी नीति वह नहीं है। क्या कोई भीरतीय इससे भिन्न मत रखता है? अस्तु यह धारणा गलत है कि अगर उन्होंने ऐसा वक्तव्य न दिया होता तो श्री डलेस ऐसी कार्यवाही न करते।

हमारा विरोध यह है कि दक्षिण पूर्वी एशिया प्रतिरक्षा संगठन शक्तियां ऐसे मामलों में हस्तक्षेप क्यों करती हैं जो हमारे आंतरिक मामले हैं। यही नहीं, वे दूसरे देशों से भी हमारे सम्बन्ध बिगाड़ने का प्रयत्न करती हैं। अमेरिका सैनिक गुट समझता है कि अफगानिस्तान छोटा-सा देश है इसलिये वह वहां जो चाहे कर सकता है। परन्तु ऐसा समझना गलत है। डयूरेंड रेखा के सम्बन्ध में आंग्ल-अमेरिकी गुट जो नीति अपना रहे हैं उसका परिणाम उल्टा ही होगा। अफगान सरकार ने कहा है कि डयूरेंट रेखा अफगानिस्तान पर न्याय के विरुद्ध शर्तों पर लाद दी गई थी। अफगानिस्तान पख्तूनों की राजनैतिक भावनाओं को समझता है और उनके आत्म निर्णय के अधिकार को स्वीकार करता है। वह कहता है कि पख्तून समस्या का सर्वोत्तम हल यही है कि वे स्वयं उसका निर्णय करें।

मेरे पास इतना समय नहीं है कि उन सब देशों के सम्बन्ध में अलग-अलग कहूँ जिस से हमने सम्बन्ध स्थापित किये हैं। परन्तु संक्षेप में हमारी वैदेशिक नीति के मुख्य उद्देश्य ये हैं : प्रथम, तनाव कम करने के लिये प्रयत्न जारी रखना। दूसरे, हम पाकिस्तान को यह समझाना चाहते हैं कि सैन्य बल मित्रता के लिये हानिकारक है। तीसरे, अमेरिकी सैनिक गुट को यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यदि एशियाई और रूसी स्थिति उसके अनुकूल नहीं है तो वह अपने को उनके अनुकूल ढाल ले। चौथी बात यह है कि हम रूस से अपने सम्बन्ध और दृढ़ करना चाहते हैं जो कि शांति का समर्थक है। पांचवें, हम अपने देश की सुरक्षा और समृद्धि चाहते हैं।

इसमें सन्देह नहीं कि हमारे प्रधान मंत्री द्वारा निर्धारित नीति बहुत उत्तम है और हम उसका जोरदार समर्थन करते हैं।

†**लाला अचित राम** (हिसार) : साहिबे सदर, फारेन अफेयर्स (वैदेशिक कार्य मंत्रालय) की डिबेट में थोड़ा सा वक्त जो एक्सोडस (सामूहिक निष्क्रमण) के लिये रखा गया है जोकि ईस्ट बंगाल से हो रही है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। मैं अपने रिमार्कस इसी मसले तक महदूद रखूंगा। मैं गवर्नमेंट को बधाई देता हूँ कि उसने इस मसले की गम्भीरता को समझा है और इस बात का फैसला

---

†मूल अंग्रेजी में

[लाला अचित राम]

किया है कि वैदेशिक मामलों पर जब बहस हो उस वक्त जो ईस्ट बंगाल से रिफ्यूजीस (शरणार्थी) लगातार और भारी तादाद में उधर से आ रहे हैं उस पर भी बहस होनी चाहिये। हालात भी बहुत खराब होते जा रहे हैं। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि इस वक्त तक ३७ लाख हिन्दू पाकिस्तान से हिन्दुस्तान में आए हैं और पिछले तीन सालों से इनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती ही जा रही है। यह तादाद १०,००० तक एक महीने में पहुँच गई थी। इसके बाद यह २०,००० हुई। इस तरह से आने वालों की तादाद सवा लाख से ढाई लाख हो गई। अब हालत यह है कि ६०,००० लोग हर महीने यहां पहुंचेंगे जो कि २,००० फी दिन होती है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इतनी भारी तादाद में लोग यहां आयेंगे तो कितनी मुश्किलात हमारे सामने आ खड़ी हो सकती हैं।

यही बात कल हो रही थी जब कि पार्लियामेंट के एक आनरेबल मैम्बर ने कहा कि जिस रफ्तार से हिन्दू ईस्ट पाकिस्तान से आ रहे हैं उसका नतीजा यह होने वाला है कि ९० लाख हिन्दू जो पाकिस्तान के अन्दर हैं वे तमाम के तमाम हिन्दुस्तान के अन्दर पहुँच जायेंगे और एक ऐसी खतरनाक हालत पैदा हो जाएगी जो कि यदि पाकिस्तान हिन्दुस्तान पर हमला भी करे तो भी पैदा नहीं हो सकती है। बात साफ है। आज भी जो लोग आ रहे हैं उनको भी हम बसा नहीं पा रहे हैं तो जब यह सब लोग आयेंगे तो क्या हालत होगी। हम यह भी देखते हैं कि सात लाख मुसलमान पाकिस्तान गए जिनमें से पांच लाख वापस आ गए और सिर्फ दो लाख ही पाकिस्तान में रहे। इन लोगों को हमने उनके मकान वापिस कर दिए और अन्य कई प्रकार की सहायता दी। यह भी एक कारण है कि हमारे पास अब जो हिन्दू आ रहे हैं उनको बसाने के लिये जगह नहीं है। इसके बावजूद भी बंगाल की गवर्नमेंट इस बात की इंतिहाई (अत्यधिक) कोशिश कर रही है कि जो भी हिन्दू आयें उनको बसाया जाय। लेकिन इस वक्त हालत यह है कि सैचुरेशन प्वाइंट (चरम सीमा) पहुँच गया है। वहां पर एक भी हिन्दू को बसाना अब मुश्किल हो रहा है। आप देखते ही हैं कि पहले ९ बीघा ज़मीन दी जाती थी, बाद में आठ बीघा दी जाने लगी और अब ६ बीघा ज़मीन देना भी मुश्किल हो रहा है। साथ ही साथ कीमतें भी चढ़ रही हैं। जब स्टेशनों पर रिफ्यूज़ीज (शरणार्थी) आते हैं तो उनकी जैसी हालत होती है वह बयान नहीं की जा सकती है। अधमुर्दा हालत में वे लोग यहां पहुँचते हैं। इस वास्ते अगर यही हालत जारी रही तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी दिक्कत हमारे सामने आने वाली है। एक तरफ तो यह हालत है और दूसरी तरफ मुल्क के अन्दर इस वक्त हालत यह है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं और इनकी तादाद बहुत ज्यादा है जो यह सोचते हैं कि जो कुछ भी गवर्नमेंट कर रही है वह ठीक कर रही है और उनका इस गवर्नमेंट पर पूरा विश्वास ह और यह विश्वास इस हद तक बढ़ गया है कि वे सोचते हैं कि जो कुछ भी यह गवर्नमेंट करेगी, ठीक ही करेगी और उनको किसी बात पर विचार करने की ज़रूरत नहीं है। उनके ख्याल में विचार करने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू का है और उनके साथियों का है। पांच लाख गांवों के रहने वाले लोगों को कोई फिक्र नहीं है।

इसके अलावा ऐसा भी एक सैक्शन है जो इस मसले को इस ख्याल से देखता है कि गवर्नमेंट की जो पालिसी है वह गलत है और यह पालिसी एक अपीज़मेंट (खश करने) की पालिसी (नीति) है। कईयों के दिलों में यह ख्याल आता है कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई की जाये। लकिन ऐसा सोचने के बावजूद भी उनकी यह जुर्रत नहीं होती है कि आज वह इस हल को गवर्नमेंट के सामने पेश करें। वे इस चीज़ को मुनासिब भी नहीं समझते हैं क्योंकि वे इस चीज़ को रीयलाइज़ (अनुभव) करते हैं कि इसके बहुत बुरे नतीजे निकलेंगे !

तीसरा सैक्शन उन लोगों का है और उनमें पार्लियामेंट के मैम्बर भी शामिल हैं, विचारवान आदमी भी उसमें हैं, जो कि गवर्नमेंट की पालिसी की हिमायत करते रहे हैं और जब कभी कोई

खराब पालिसी भी गवर्नमेंट ने परसू की (चलाई) उसको भी उन्होंने ठीक समझा। नेहरू-लियाकत पैक्ट हुआ और इस पैक्ट के अच्छे नतीजे निकले। हिन्दुओं का हिन्दुस्तान में आना कम हुआ। लेकिन आज फिर रुख पल्टा है। ऐसे हालात में तमाम लोग नान-प्लस (किंकर्तव्य-विमूढ़) हो रहे हैं। कुछ लोग यह समझते हैं कि गवर्नमेंट की जो पालिसी है यह एपीजमेंट की पालिसी तो नहीं है लेकिन उसको अपनी पालिसी में कामयाबी नहीं मिल रही है। जो लोग आ रहे हैं उनकी तादाद बढ़ती ही जा रही है। एक लाख से दो लाख, दो लाख से तीन लाख, तीन लाख से चार लाख, इस तरह से आने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही है।

मैं समझता हूँ कि यह समस्या एक गम्भीर समस्या है और इस मामले पर पिछले दो-तीन सालों में काफी बातें भी कही गई हैं। खास तौर पर जब सरदार पटेल, जिन को भारत का लोह पुरुष कहा जाता है, ज़िन्दा थे उन्होंने उस वक्त एक सजेशन (सुझाव) पेश किया था कि अगर एक्सोडस (सामूहिक निष्क्रमण) जारी रहे तो यह मुनासिब होगा अगर हम पाकिस्तान से उसके मुल्क का एक हिस्सा मांगें और वह उसे भारत के हवाले कर दे ताकि इन लोगों को बसाया जा सके। इस पर सारे पाकिस्तान में हल्ला मच गया कि सरदार पटेल ने क्या कह दिया। यह कहा गया कि हिन्दुस्तान पाकिस्तान को ग्रैब करना चाहता है, उसको हड़प करना चाहता है। यही आवाज़ चारों ओर से उठने लग गई। इसके बाद एक्सचेंज आफ पापुलेशन (आबादी के विनिमय) की बात हुई। यह कहा गया कि हिन्दू उधर से इधर आ जायें और मुसलमान इधर से उधर चले जायें। पहले-पहल जिन्ना साहब ने ही इस किस्म की बात कही थी लेकिन इसे देश की सैकुलर पालिसी के कारण नामुनासिब समझते थे। हम नहीं चाहते थे कि इस पर अम्ल किया जाये। आखिरकार नेहरू जी की कोशिशों से नेहरू-लियाकत पैक्ट (करार) हुआ।

लेकिन नेहरू-लियाकत पैक्ट के मुताल्लिक हिन्दुस्तान ने क्या रवैया रखा और पाकिस्तान ने क्या रवैया रखा यह आपके सामने है। पहली बात तो देखने की यह है कि यहां पर और पाकिस्तान में मैजारिटी ने माइनारिटी के साथ कैसा सलूक किया। हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट ने उन तमाम मुसलमानों को जो यहां आये मकान दिये, लोन्स दिये और ग्रांट्स (अनुदान) दीं। उन मुसलमानों को भी जो यहां से चले गये थे और फिर वापस आये यहां की सरकार ने लोन्स दिये और ग्रांट्स दीं। हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट ने हिन्दुस्तान से इवेक्वी ला (निष्क्राम्य विधि) को भी खत्म कर दिया। हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट ने कोशिश की कि उस पक्ट पर इन लेटर (शब्दानुसार) और इन स्पिरिट (भावानुसार) अमल करे। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? वहां आज भी इवेक्वी ला मौजूद है। माइनारिटी वहां से निकल रही हैं आज उनकी संख्या बढ़ती जाती है। पाकिस्तान के नेहरू-लियाकत पैक्ट को तोड़ने का इससे बढ़कर क्या प्रूफ पाजिटिव (स्पष्ट प्रमाण) हो सकता है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है नेहरू-लियाकत पैक्ट एक हवाई चीज़ होकर रह गया है। इससे बढ़कर एक चीज़ और हुई है और वह यह कि इस महीने की २३ तारीख को पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाने का ऐलान कर दिया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि नेहरू-लियाकत पैक्ट पर वहां क्या अमल होगा।

इन हालात में हमारे सामने यह सवाल आता है कि हमारी क्या पालिसी हो। जब ये हालात चल रहे थे तो राजा गज़नफर अली खां साहब ने कहा कि उनको अफसोस है कि लाखों हिन्दू पाकिस्तान से चले आ रहे हैं और इसको रोकने के लिये उन्होंने यह तजवीज़ बतलायी कि पाकिस्तान का बार्डर (सीमान्त) सील कर दिया जाये। हमारे मिनिस्टर साहब ने उनको जवाब दिया कि हम तो बार्डर सील कर दें लेकिन अगर आप वहां अच्छे हालात पैदा करें तो पाकिस्तान बार्डर अपने आप सील हो जायेगा। लेकिन आपको यह मानना पड़ेगा कि अगर यह कहा जाये कि पाकिस्तान के अन्दर कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कि हिन्दुओं को वहां रखना चाहता हो

[लाला अचित राम]

तो मैं समझता हूँ कि यह गलत बात होगी । हम देख रहे हैं कि ईस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हिन्दुओं से अपील कर रहे हैं कि यहां ठहरो । वे मुसलमानों से भी अपील कर रहे हैं । आज जो इस्लामिक स्टेट बनी है उसका यह एक्सप्लेनेशन (उत्तर) दिया जाता है कि वह एक लिबरल स्टेट होगी, वह एक टालरेंट (सहनशील) स्टेट होगी । तो ऐसे हालात में हम क्या पालिसी अख्तियार करें इस बारे में मैं कुछ सजेशन्स (सुझाव) देना चाहता हूं ।

सबसे पहले तो मैं यह कहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान ने अपने आपको एक इस्लामिक स्टेट डिक्लेअर (घोषित) किया है । हमें उनको मौका देना चाहिये कि वे अपने नये नक्शे पर अपने दावे के मुताबिक अमल कर सकें । वह कहते हैं कि वह माइनारिटीज़ को वहां रख कर उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहते हैं । हमें उनको साल भर या छः महीने का मौका देना चाहिये कि वे ऐसा कर सकें ।

श्री धुलेकर (जिला झांसी–दक्षिण) : छः महीने में वे सब को यहां भेज देंगे ।

लाला अचित राम : पिछले ६ साल के अन्दर इतने आदमी आये उनको हमने बरदाश्त किया । छः महीने में ज्यादा से ज्यादा तीन चार लाख और आवेंगे । उसके लिये भी हम को तैयार रहना चाहिये ।

श्री धुलेकर : वे तो सबको यहां भेज देंगे ।

लाला अचित राम : मैं यह अर्ज करूंगा कि इस वक्त जो नई स्टेट के अलमवरदार हैं वह हैं वहां के प्राइम मिनिस्टर मुहम्मद अली साहब । मैं कहूंगा कि जो कलकत्ते में हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के नुमायन्दों के दरम्यान जो टाक्स (बातचीत) होंगी वहां यह तजवीज़ रखी जाये कि आपने जो नई स्टेट बनायी है तो आप देखें कि यह इस्लाम के उसूलों के मुताबिक चलती है । तो पहली बात आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिटर को अपने जिम्मे यह लेनी चाहिये कि वे माइनारिटीज़ के पोर्टफोलियो (विभाग) को अपने पास रखें और यह देखें कि माइनारिटीज़ के साथ कैसा सलूक किया जाता है ।

दूसरी बात मैं गवर्नमेंट आफ इंडिया से यह कहना चाहता हूं कि आजकल जो हालात सामने हैं उनकी ग्रेविटी (गम्भीरता) को देखते हुए गवर्नमेंट यहां के मुसलमानों को बतलावे कि इनके कितने जबरदस्त नतायज़ हो सकते हैं । जो मुसलमान यह समझते हैं कि इन हालात के रिपरकशन्स (प्रतिक्रियायें) इम्पलीकेशन्स (परिणाम) और इनके नुकसानात बहुत जबरदस्त होने वाले हैं वे अपनी खिदमात पेश करें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके लीडरों में से १२ आदमियों का एक पैनल (सूची) बनावे और इस पैनल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पाकिस्तान के पास भेजे और इस पैनेल में से पाकिस्तान की सरकार कोई दो आदमी चुन ले जिनको ईस्ट बंगाल में भेजा जाये जो वहां जाकर मुसलमानों को यह बतलायें कि इस एकजोडस के क्या नतीजे हो सकते हैं । अगर वह चाहते हैं कि इस्लाम का नाम ऊंचा हो तो उनको ऐसी कोशिश करनी चाहिये कि पाकिस्तान में हिन्दू और मुसलमान साथ-साथ रह सकें । इस काम में डा० खान साहिब और राजा गजनफ्फर अली खां साहब की भी मदद ली जाये । मैं कहता हूं कि अगर पाकिस्तान के लोग चाहें तो इस सवाल का हल निकल सकता है । इसलिये मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इस मसले को हल करने के लिये अगले छः महीने या एक साल ईस्ट बंगाल में गुजारें ताकि इस्लाम का नाम दुनिया में ऊंचा हो । इस सिलसिले में मैं यह भी कहूंगा कि आचार्य विनोबा भावे की खिदमात भी हासिल की जायें । वे इस सवाल के बारे में कभी-कभी बयान देते हैं । उनको भी इसे अपने तरीके पर हल करने का मौका दिया जाये । यह तजर्बा छः महीने, या ज्यादा से ज्यादा एक साल तक

चलाया जाये। मैं समझता हूं कि इसका असर होगा। लेकिन अगर ६ महीने या साल भर बाद यह तजर्बा कामयाब नहीं हुआ तो फिर उसके बाद क्या करना चाहिये इसके मुताल्लिक मैं आपको ६ सजेशन्स (सुझाव) देता हूँ। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप इन पर गौर कीजिये। ये तजवीज़ ऐसी हैं कि अगर इनके मुताबिक हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट मिल कर काम करेंगी तो कामयाबी हो सकती है। हम इस बात को मान कर चलते हैं कि पाकिस्तान चाहता है कि वहा हिन्दू रहें और दुनिया में इस्लाम का सिर ऊंचा हो और हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हों। अभी हाल में हमको मालूम हुआ है कि जो पिछले दिनों पंजाब के वार्डर पर इंसीडेंट्स (दुर्घटनायें) हुए थे उनके बारे में दोनों तरफ के पुलिस के अफसरान ने समझौता कर लिया है कि हम दोनों तरफ के वार्डरों की हिफाजत करेंगे। हो सकता है कि कहीं-कहीं कुछ गलतियां हो गई हों लेकिन मैं यह नहीं समझता कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की यह पालिसी है कि हिन्दुस्तान के साथ लड़ाई की जाये। इस वास्ते मैं कुछ तजावीज़ आपके सामने पेश करना चाहता हूं ताकि जो ज्वाइंट कानफरेंस (संयुक्त सम्मेलन) हो उसके सामने वे पेश की जायें।

मेरी पहली तजवीज़ यह है कि अगर साल या छः महीने के तजर्बे के बाद भी यह एग्जोडस बन्द नहीं होता तो फिर हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों की सरकारें राजा गजनफ्फर अली साहब की तजवीज़ को अमल में लाने का फैसला करें यानी पाकिस्तान का वार्डर सील कर दें और किसी को इधर आने की इजाजत न दी जाये। जब देश का बटवारा हुआ था उस वक्त यह फैसला हुआ था कि मुल्क के उस हिस्से के अन्दर जिसे हिन्दुस्तान कहा जायेगा ३२ करोड़ आदमी रहेंगे और हिन्दुस्तान की सरकार उनको फीड करेगी (पालन करेगी) और उनका इन्तजाम करेगी और मुल्क के उस हिस्से में जिसे पाकिस्तान कहा जायेगा सात करोड़ हिन्दू और मुसलमान रहेंगे। उनकी रक्षा पाकिस्तान की सरकार करेगी। अगर आज उस फैसले के मुताबिक काम नहीं होता तो हम उसके खिलाफ जाते हैं। मैं कहूंगा कि अगर उस मुआहिदे (निर्णय) को पूरा करने का और कोई रास्ता नहीं दीखता तो हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट मिलकर अपने-अपने वार्डर को सील कर दें। दूसरा सुझाव मेरा यह है कि वार्डर से ५० मील या १०० मील के फासले पर अगर जरूरत महसूस करें क्योंकि अभी वहां से हिन्दू निकल कर आ रहे हैं तो वहां पर रिहैब्लिटेशन (पुनर्वास) कैम्प्स क़ायम कर दिये जायें ताकि इधर लोग प्रवेश न कर सकें। इनफिलटेशन को रोकने के वास्ते वार्डर पर ५० मील या १०० मील के फासले पर इस तरह के कैम्प्स खोल दिये जायें .....

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) : उन हिन्दुओं को वहीं पर खत्म कर दो।

लाला अचिंत राम : आप सुनिये तो ज़रा, आपकी बारी भी बोलने की आयेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अगर मुझे सुनायें, तो बेहतर होगा, मैं बड़े शौक़ से उनकी बातों को सुन रहा हूं।

लाला अचिंत राम : जब दूसरे मैम्बर बीच में इस तरह टोक देते हैं तो उनकी बात की तरफ ध्यान चला जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनकी पर्वाह मत करें।

लाला अचिंत राम : मैं यह कह रहा था कि वहां पर वार्डर पर ५० और १०० मील के फासले पर रिहैब्लिटेशन कैम्प्स स्टार्ट (शुरू) किये जायें और हिन्दू वहां से आयें वह वहीं पर रहें।

[लाला अचित राम]

तीसरा सुझाव यह है कि उन कैम्पों की हिफाज़त के लिये काम करने के लिये वहां एक नान आफ़िश्यल (गैर-सरकारी) बोर्ड बनाया जाय जिसमें कि वहां की नान-आफिश्यल पार्टीज़ के नुमायन्दे रक्खे जायें। उस बोर्ड के अन्दर पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस के नुमायन्दे हों, यूनाइटेड फ्रंट के नुमायन्दे हों और दूसरी ओर नान आफ़िश्यल पार्टीज़ के नुमायन्दे हों और यह बोर्ड उन कैम्पों की हिफ़ाज़त करे।

चौथा सुझाव मेरा यह है कि उन कैम्पों पर जो खर्चा आये उसका निस्फ (आधा) हिस्सा हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट आफ़र करे। हमारी गवर्नमेंट यहां पर भी रेफ्यूजीज़ के ऊपर करोड़ों रुपये खर्च करती है तो मैं समझता हूं कि वहां पर उन कैम्पों में होने वाले खर्चे का आधा भार उठाने के लिये भी उसको तैयार रहना चाहिये।

पांचवाँ सजैश्शन यह है कि पाकिस्तान के अन्दर सिचुएशन (स्थिति) का रिव्यू (पुनरीक्षण) करने के लिये एक बोर्ड बनाया जाय जिस के अन्दर हिन्दुस्तान के नुमायन्दे भी हों और पाकिस्तान के नुमायन्दे (प्रतिनिधि) भी हों और इनके अलावा जो कामनवैल्थ कंट्रीज़ (देश) हैं, जैसे कैनाडा, न्यूज़ीलैण्ड आदि देश, उन देशों के नुमायन्दे भी इस बोर्ड के मैम्बर हों और वह नुमायन्दे कम्पों के अन्दर रहें और वह लगातार वहां पर रहें और वह बोर्ड हर तीसरे महीने हालात रिव्यू करने के लिये मिला करे और इस बोर्ड की मीटिंग्स में तजवीज़ें पास की जायें, इसके अन्दर कामनवेल्थ कंट्रीज (राष्ट्रमण्डल के देशों) के नुमायन्दों के साथ बैठ कर या उन मुल्कों के नुमायन्दों के साथ भी बैठ कर जिनकी कि मेम्बरी के सम्बन्ध में हम दोनों में आपस में इत्तिफ़ाक हो जाय, वहां आपस में मिल कर तजवीज़ें पास करें कि किस तरह काम ठीक तौर पर चलाया जा सकता है। वह बोर्ड देखे कि जो हिन्दू रेफ्यूजीज़ लोग आये हैं उनको कैसे बसाया जाय और साथ ही वह यह भी देखे कि कैसे पाकिस्तान में सिक्योरिटी (सुरक्षा) के हालात पैदा किये जायें और साथ ही छठी बात यह है कि इस बात की भी उनकी ज़िम्मेदारी हो कि जो हिन्दू नेहरू-लियाकत पैक्ट के बाद वहां से हिन्दुस्तान में आये हैं उनको पाकिस्तान में बसाया जाये। मैं इस पैक्ट के पहले की बात नहीं कहता, उनके रिहैब्लिटेशन के वास्ते वहां पर स्कीमें (योजनायें) तैयार की जायें। मैं समझता हूँ कि अगर इस तरीक़े पर चला जाय और अगर वाकई पाकिस्तान चाहता है कि वह मज़बूत हो और वह कामयाब हो और उसका नाम ऊंचा हो और इस्लाम का नाम ऊंचा हो, तो जो बातें मैंने अर्ज़ की हैं उन पर अमल किया जाना चाहिये और अगर ऐसा किया गया तो मैं समझता हूं कि यकीनी तौर पर एक वर्ल्ड ओपीनियन (विश्व की राय) बन जायगी और ऐसे हालात पैदा हो जायेंगे जो कि पाकिस्तान को और हमको कामयाबी के रास्ते पर ले जाने वाले होंगे।

इसके अलावा एक सजैश्शन (सुझाव) मैं और देना चाहता हूं और वह यह है कि यहां इस पार्लियामेंट में तमाम हिन्दुस्तान भर के नुमायन्दे बैठे हुए हैं और उनका भी फ़र्ज है कि आज के जो परेशानकुन हालात हो रहे हैं उनको ठीक करने में अपना पार्ट अदा करें और मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि आपका फ़र्ज है कि आप एक ऐसी आल इंडिया ईस्ट बंगाल रेफ़्यूज़ीज एक्सोडस एन्ड रिहैब्लिटेशन असोसियेशन (अखिल भारतीय पूर्वी बंगाल शरणार्थी सामूहिक निष्क्रमण तथा पुनर्वास संस्था) बनायें जिसका कि फ़र्ज लोगों को असली हालात से वाकफ़ियत (परिचय) कराना हो। और यह असोसियेशन यहां हिन्दुस्तान में, पाकिस्तान में और दूसरे जो और कामनवेल्थ कंट्रीज़ हैं वहां के लोगों को असली हालात से आगाह करें और इस मसले को हल करने के लिये अपने सुझाव दें और उनका सहयोग भी अपनी तजवीज़ों के लिये हासिल करने की कोशिश करें और मुझे उम्मीद है कि अगर हम इन लाइंस पर चलेंगे तो हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिल जायेगा। मैं इतनी बात कह करके खत्म करता हूं।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नेहरू-वाद का यह दसवां वर्ष है, आज यह समय आ गया है कि हम उक्त दस वर्षों में अपनाई गई भारत की वैदेशिक नीति का निर्धारण करें।

मैं १९४६ में संयुक्त राष्ट्र संघ को जाने वाले प्रथम भारतीय प्रतिनिधिमंडल का सदस्य था। उस समय प्रतिनिधिमंडल को जो अनुदेश दिये गये थे वे मुझे याद हैं। हमने किसी एक गुट के साथ मिल कर काम करना आरम्भ नहीं किया। तत्पश्चात् हमने तटस्थता के सिद्धांतों का प्रतिपादन करना शुरू किया और इसके बाद हमने पंचशिला को अपनाया। एक विदेशी पत्र ने नेहरू की वैदेशिक नीति को एक नया नाम दिया है वह है 'नेहरूट्रेलिटी'। मैं थोड़ा बहुत मतभेद रखते हुए भी इससे सहमत हूं। इस वैदेशिक नीति का सामान्यतः सभी पक्ष समर्थन करते हैं।

आज से दस वर्ष पूर्व संयुक्त राष्ट्र महा-सभा में भारत ने पहिली बार ही बहुत अच्छा प्रभाव डाला जो नेहरू ऐसे योग्य व्यक्ति के यहां होने पर ही सम्भव हो सका था।

विश्व की शक्तियां भारत की नीति के बारे में पहले तो असमञ्जस में पड़ी रहीं। बाद में कुछ चिन्तित हो गईं, और अब तो अवस्था यह है कि एक गुट भारत की वैदेशिक नीति के बिल्कुल विरोध में हो गया है और हमें अपनी वैदेशिक नीति के फल प्राप्त होने शुरू हो गये हैं। और ये फल दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन समझौता (सीटो) अमेरिका-पाकिस्तान सैनिक समझौता, मध्य पूर्वीय रक्षा संगठन, और बगदाद समझौता इत्यादि हैं। मेरे विचार से तत्कालीन इतिहास में यह अवश्य लिखा जायगा कि हमारी वैदेशिक नीति के कारण ही हमें ऐसे विरोध का सामना करना पड़ रहा है जिसके परिणामों का अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता है। अभी हाल में श्री वी० के० कृष्णमेनन ने निर्देश किया था कि देश को चारों ओर से घेरने का प्रयत्न हो रहा है और प्रधान मंत्री ने भी स्वयं लोक-सभा में कहा है कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में देश को घेरने की आपात-कालीन स्थिति पैदा हो सकती है। किन्तु मैं यहां पर प्रधान मंत्री की वैदेशिक नीति का बहिष्कार नहीं कर रहा हूं। मैंने सदैव उसका समर्थन किया है किन्तु अब समय आ गया है कि हम इसके नतीजों का सामना करें। प्रधान मंत्री ने अपने पिछले सप्ताह के भाषण में कई राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर प्रकाश डाला था। मैं सभी बातों की चर्चा तो नहीं कर सकूंगा; हां, राष्ट्रमंडली में भारत की स्थिति और गोआ के सम्बन्ध में कुछ कहने का प्रयत्न करूंगा।

यह सच है कि भारत सरकार ने राष्ट्रमंडल के उन देशों का ध्यान जिन्होंने सीटो (दक्षिणी पूर्वी एशिया संधि संगठन) के काश्मीर सम्बन्धी संकल्प पर हस्ताक्षर किये थे, आकर्षित किया है। क्या हमने ब्रिटेन तथा राष्ट्रमंडल के अन्य देशों से यह पूछा है कि क्या हमें इन नौ वर्ष में राष्ट्र-मंडल के किसी भी देश से मैत्री का कोई भी 'उपहार' मिला है। राष्ट्रमंडल के दो सदस्यों, मैं केवल दो का ही नाम उल्लेख करूंगा–ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया ने– बगदाद शक्तियों के काश्मीर सम्बन्धी संकल्प का समर्थन किया है।

दक्षिण अफ्रीका भी राष्ट्रमंडल का सदस्य है, किन्तु इन दस वर्षों के निरन्तर संघर्ष के पश्चात् भी वहां क्या हुआ। अब भी वहां संघर्ष चल रहा है।

राष्ट्रमंडल के सम्बन्धों की सीमा में हम लंका से भी अपना मामला नहीं ठीक तरह सुलझा सके हैं।

अब पाकिस्तान का मामला है जिससे इस बा की और भी अधिक आवश्यकता प्रतीत होती है कि हम इस प्रश्न पर फिर से विचार करें कि क्या हमें अभी राष्ट्रमंडल में ही बने रहना चाहिये। जब राष्ट्रमंडल का प्रत्येक सदस्य राष्ट्र हमारा शत्रु बनता जा रहा है तब हमारा राष्ट्रमंडल के सदस्य बने रहने में क्या लाभ है?

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० लंका सुन्दरम्]

प्रधान मंत्री जी, राष्ट्रमंडलीय देशों के प्रधान मंत्री सम्मेलन में भाग लेने बहुत शीघ्र लन्दन जा रहे हैं। हमने यह प्रश्न कई बार प्रधान मंत्री जी से सभा में, तथा सभा के बाहर भी, वैदेशिक कार्य की परामर्शदात्री समिति की अनौपचारिक बैठकों में पूछा है। हम प्रधान मंत्री सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के प्रश्न की चर्चा नहीं कर सकते हैं। स्पष्ट है कि हम किसी विशेष बात की चर्चा नहीं कर सकते हैं और तब भला राष्ट्रमंडल के सदस्य बने रहने से क्या लाभ है जब कि हम सभी संयुक्त राष्ट्र संघ क सदस्य हैं ही। मैं आशा करता हूं कि प्रधान मंत्री इस बात पर विचार करेंगे कि हम राष्ट्रमंडल में अपने अधिकारों को स्पष्ट करें इस समय हम वहां कोई कार्यक्रम भी प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, अपने सहयोगी सदस्यों के साथ मतभेदों पर चर्चा भी नहीं कर सकते हैं तब भला इन दस वर्षों में सदस्य राष्ट्रों के अमैत्रीपूर्ण व्यवहार को देखते हुए राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहने से क्या लाभ है।

इस प्रश्न पर दूसरे दृष्टिकोण से विचार करते हुए मैं कह सकता हूं कि पंचशिला और पूर्ण प्रतिरक्षा का सिद्धांत साथ-साथ चल सकता है। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि जब एक ओर से अमेरिका और ब्रिटेन हमारे पड़ौसी देश की सहायता कर रहे हैं, हम संशोधित बजट के अनुसार प्रतिरक्षा के लिये केवल १८ करोड़ भी व्यय नहीं कर सके। विभाजन के समय हमारी स्थल सेना पाकिस्तान से उत्तम थी और हमारी वायुसेना तो निश्चय ही उनसे बहुत उत्कृष्ट थी लेकिन आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है। आज हम अपनी प्रतिरक्षा के लिये १८ करोड़ रुपये भी व्यय नहीं कर सकते हैं, भारत में कदाचित ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि प्रतिरक्षा बलों को सुदृढ़ बनाने में प्रधान मंत्री से सहमत नहीं है।

क्या यह सच है कि रूस हमें बड़ी संख्या में जैट विमान दे रहा था किन्तु हम उन्हें इसलिये स्वीकार नहीं कर सके कि हम उन्हें मास्को से यहां लाने के लिये आदमी नहीं भेज सके।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम आगे बढ़ने में इसलिये असमर्थ हैं कि हमारी सारी सैनिक सामग्री पश्चिम के विशेष देशों से आती रही है और हम उन्हें छोड़ कर किसी अन्य देश से अभी तक सामान मंगाने में और अपनी पुरानी युद्ध प्रणाली को नया बनाने में समर्थ नहीं हुए हैं; किन्तु आज दस वर्ष बाद हमें इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये और यह प्रयत्न करना चाहिये कि हमारी प्रतिरक्षा सेनायें हमारी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के अनुरूप ही हों।

अब मैं गोआ के प्रश्न पर कुछ शब्द कहूंगा। मुझे यह कहते हुए दुःख होता कि है कि गोआ का मामला बिल्कुल खटाई में पड़ गया है। डलेस-कुन्हा वक्तव्य देश के सामने है। उसके सम्बन्ध में भारत सरकार का विरोध-पत्र तथा उसका प्रति उत्तर भी हमारे समक्ष है। इन सबसे यही ज्ञात होता है कि हम वहीं पर पड़े हुए हैं जहाँ हम पिछले वर्ष पन्द्रह अगस्त को थे।

दादरा और नगर हवेली का प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाया जा रहा है। मैं प्रधान मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या नई दिल्ली में, उनकी डलैस से हुई बातचीत में गोआ के विषय पर भी बातचीत हुई। और क्या वह अपनी आगामी अमेरिका यात्रा में राष्ट्रपति आइजन-हावर से गोआ के प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे।

गोआ के प्रश्न पर समस्त पश्चिमी देशों से हमारी बातचीत असफल रही है। यहां फ्रांस सरकार के प्रमुख अभिवक्ता श्री सेलविन लायड आये थे, श्री डलेस आये थे। क्या इनमें से किसी ने भी गोआ के प्रश्न पर हमारी कुछ सहायता की ? कम से कम गोआ के प्रश्न पर हमारी नीति बिल्कुल असफल रही है।

प्रधान मंत्री के अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति पिछले वर्ष १७ अगस्त के जनता के रोष और क्षोभ में विचलित हो जाता। वह केवल प्रधान मंत्री थे जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के बल पर सारी जनता के

सामूहिक रोष का ऐसे समय सामना किया जब कि समस्त जनता पुर्तगालियों की बर्बरता और सरकार अकर्मण्यता पर क्रुद्ध हो गई थी ।

प्रधान मंत्री ने कई बार कहा है कि अन्य साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। ये अन्य साधन कौन से हैं? मैं यह प्रश्न इस विशेष कारण से भी पूछना चाहता हूं कि १८ अप्रैल को गदरे गुरु जी गोआ में सत्याग्रह करना चाहते हैं वह स्वयं हमारी सेना का, जिसने सारी गोआ सीमा घेरी हुई है; विरोध करेंगे। इसलिये प्रधान मंत्री ने वे दूसरे साधन अवश्य बताने चाहियें जिनका वह प्रयोग कर रहे हैं। आप कहते हैं कि आपने गोआ की घेरा बन्दी की हुई है लेकिन अभी परसों मुझे गोआ से एक पत्र मिला। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यदि हमने सीमा की घेरा बन्दी की हुई है तो यह पत्र कहां से आ गया है। यह है आपकी घेरा बन्दी। सीमा के एक ओर से दूसरी ओर निषिद्ध माल ले जाया जा रहा है। हमारी व्यवस्था पूरी नहीं है। मैं सभा का ध्यान एक विशेष प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं वह है, खाद्य सम्भरण। गोआ में पाकिस्तान अदन तथा अन्य स्थानों से खाद्यान्न आता है और पाकिस्तान तो गोआ, दमन, दीव के लिये एक अड्डा बन गया है। ब्रिटेन इन्हें विमान दे रहा है। और कराची से गोआ, दमन और दीव को सीधी उड़ाने होती हैं और इन पुर्तगाली बस्तियों में हवाई अड्डे खूब बढ़ाये जा रहे हैं।

इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिल रहे हैं कि गोआ में स्वतंत्रता आन्दोलन खूब जोर पकड़ रहा है और वे पुर्तगाली औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति कर रहे हैं। दूसरी ओर हम चुप-चाप बैठे हैं। हम कब तक इन देशसेवकों का दमन देखते रहेंगे ?

अभी कुछ देर पहिले श्री टी० के० चौधरी का जिक्र किया गया था ऐसे ही दर्जनों लोग गोआ की जेलों में सड़ रहे हैं। सरकार इनकी मुक्ति के लिये कौन से उपाय कर रही है।

गोआ का प्रश्न दलगत प्रश्न नहीं है। यह हमारे स्वातन्त्र्य संग्राम का अंतिम दौर है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यदि गोआ के मामले में हमारी नीति को कोई सफलता नहीं मिली तो हमें अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिये और ऐसी नीति अपनानी चाहिये जो सफल हो सके ।

†**श्री बी० के० दास** (कंटाई) : पूर्वी बंगाल से हिन्दुओं के सामूहिक निष्क्रमण ने आज अत्यन्त गम्भीर रूप धारण कर लिया है। आज की स्थिति तो १९५० की स्थिति से भी अधिक गम्भीर है। अतः यह हमारे लिये चिन्ता का विषय है ।

१९५० में जब स्थिति बिगड़ती जा रही थी तो दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों ने एक करार किया था और स्थिति को सम्भालने का प्रयत्न किया था। उस करार का काफी अच्छा प्रभाव रहा। परन्तु आज पांच साल के बाद स्थिति फिर बिगड़ गयी है। हिन्दू लोग धड़ाधड भागे चले आ रहे हैं। अतः इस स्थिति को सम्भालने के लिये भारत को कोई ठोस कार्यवाही करनी ही पड़ेगी। नहीं तो इस प्रकार का सामूहिक निष्क्रमण हमारे देश के लिये अत्यन्त हानिकारक सिद्ध होगा'।

इस समस्या का हल सोचने के लिये कुछ समय पूर्व पूर्वी पाकिस्तान के मुख्य मंत्री ने अल्प संख्यकों के नेताओं को आमंत्रित किया था ताकि स्थिति सुधारने के लिये कोई उपाय निकाले जा सकें। कुछ समय पूर्व पाकिस्तान के एक मंत्री तथा भारत के एक मंत्री ने संयुक्त रूप से उस क्षेत्र का दौरा किया था और अल्प संख्यकों को सुरक्षा का आश्वासन दिया था। परन्तु हम देखते हैं कि उन आश्वासनों के उपरान्त भी लोगों के मन में विश्वास नहीं रहा, उनके मन में पाकिस्तान सरकार के प्रति कोई विश्वास नहीं है। इसका वास्तविक कारण यही है कि उन्हें वहां पर अन्य नागरिकों के समान जीने नहीं दिया जाता। बड़ों की बात तो क्या कहें, निर्धन किसानों को भी सुखपूर्वक जीने नहीं दिया जाता, उनकी खेती काट ली जाती है और फिर उसकी पुकार को भी कोई सुनता नहीं। इसीलिये हिन्दू जनता निराश होकर वहां से भाग रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बी० के० दास]

आज पाकिस्तानी समाचार पत्रों में जिस प्रकार से हमारे विरुद्ध ज़हर उगला जा रहा है उसका वर्णन हमारे प्रधान मंत्री ने आज ही किया है। चिटागांव से प्रकाशित होने वाले एक दैनिक पत्र 'अजान' की ८ फरवरी की एक प्रति मेरे पास है जिसमें पूर्वी पाकिस्तान मुस्लिम कर्मचारी संघ के मंत्री ने पाकिस्तानी भाइयों से हिन्दुओं के विरुद्ध संगठित हो जाने की प्रार्थना की है। उसमें उसने हिन्दुओं पर यह आरोप लगाया है कि वे पाकिस्तान के दुश्मन हैं और वे पाकिस्तान को नष्ट-भ्रष्ट करना चाहते हैं, वे पाकिस्तान का शोषण करके सारी धन सम्पत्ति हिन्दुस्तान को भेजना चाहते हैं। इस प्रकार वहां पर मुसलमानों को हिन्दुओं के विरुद्ध भड़काया जा रहा है, तो इसके परिणामस्वरूप हिन्दुओं के विरुद्ध जोश भड़कना स्वाभाविक ही है।

और हम भारतवासी तो दोनों प्रधान मंत्रियों के करार का आदर करते हैं, उसमें श्रद्धा रखते हैं। उसे अपने देश में कार्यान्वित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। परन्तु पाकिस्तान की ओर से निरन्तर शरारतें होती रही हैं। हम सब कुछ सहन करते रहे। परन्तु आज तो स्थिति अत्यन्त गम्भीर और असहनीय हो गयी है। कल ही 'आनन्द बाजार पत्रिका' में एक समाचार आया है कि पाकिस्तान म हिन्दुओं के जिन पूजा के स्थानों को घेर लिया गया था वे स्थान अभी तक हिन्दुओं को वापिस नहीं किये गये हैं। इस प्रकार से वहां पर धार्मिक स्थानों की बड़ी ही दुर्दशा हो रही है। उस पत्र में आगे यह लिखा हुआ है कि वहां पर प्रत्येक स्थान पर हिन्दुओं की लाखों की सम्पत्ति को बिना किसी प्रकार का कोई प्रतिकर दिये, लिया जा रहा है। हिन्दुओं के लाखों मकानों का अधिग्रहण किया जा रहा है। हिन्दुओं के मकानों पर मुसलमान बलात अधिकार जमा रहे हैं। इस भयंकर स्थिति को सम्भालने के लिये हमने कई सुझाव पेश किये थे परन्तु उसका कोई परिणाम न हुआ। संसद् सदस्यों के एक सम्मेलन में कई बातों पर चर्चा करने के उपरान्त कई बातों को निश्चित किया कि यदि पाकिस्तान यह बातें मान ले तो वहां के अल्प संख्यक वहां पर विश्वासपूर्वक रह सकते हैं। हमने तो अपनी ओर से यही प्रयत्न किया कि हमारे सम्बन्ध पाकिस्तान से मैत्रीपूर्ण रहें और हमारी प्रत्येक कार्यवाही मैत्रीपूर्ण हो। परन्तु पाकिस्तान ने इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः इसके सम्बन्ध में हमें अच्छी प्रकार से विचार करना है। इसका केवल एक ही उपाय है और वह है मैत्रीपूर्ण व्यवहार। यदि पाकिस्तान उन हिन्दुओं के साथ और विशेष कर किसानों और गरीब लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करे, उन्हें फिर से नौकरी में लगा दिया जाये, उनके मकान उन्हें वापिस कर दिये जायें, तो निश्चय ही उनके मन में विश्वास पैदा होगा और वे वहां पर रहने के लिये तैयार होंगे। पाकिस्तान को बता दिया जाये कि यदि वह चाहता है कि अल्प संख्यक वहां पर रहें तो उसका यही एक मात्र उपाय है। केवल सीमाओं को रोक देने से कुछ न बनेगा। अन्त में मेरी यही प्रार्थना है कि यहां पर जिन सुझावों पर विचार किया गया है उन्हें सुचारु रूप से कार्यरूप में परिणत किया जाये।

†**सरदार ए० एस० सहगल** (बिलासपुर): मैं इस अवसर पर प्रधान मंत्री को अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना के सिद्धान्त के प्रति एक गतिशील विदेश नीति समर्पण करने पर बधाई देता हूं। यह एक प्रसन्नता की बात है कि इस नीति के स्तम्भ, पंचशील, को हाल में अन्य देशों ने अपनाया है और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के पालन के लिये इसके पांच सिद्धातों को आधार रूप में स्वीकार किया है। इससे शांतिमय तथा सक्रिय सह अस्तित्व की भावना बढ़ी है। आज संसार के समक्ष दो बातें हैं– सह विनाश और सह अस्तित्व और इसमें से किसी एक को संसार को चुनना होगा। मैं संसार के नेताओं और प्रजातन्त्रवाद के रक्षकों से मानवता के नाम पर मांग करता हूं कि वे दुखी तथा पीड़ित मानव को अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और मित्रता के पथ पर चलने दें। जिस अणु युग में हम रह रहे हैं इसमें युद्ध का कोई अर्थ नहीं रहा है क्योंकि ऐसे युद्ध में न किसी की विजय होगी न पराजय होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को चाहिये कि उन्होंने अपने भाषण के सम्बन्ध में जो नोट लिख रखे हैं उन्हें कम बार ही देखें ।

†**सरदार ए० एस० सहगल** : फिर भी युद्ध की, युद्ध के भय की और युद्ध की तैयारियों की बात की जाती है । संसार न्यूनाधिक दो विरोधी खण्डों में बंट गया है । वे एक दूसरे की ओर आपसी भय और सन्देह की दृष्टि से देखते हैं और शास्त्रास्त्रों की होड़ जारी है । भय से भय उत्पन्न होता है और संधियों से संधियां बढ़ती हैं । संसार पर आज भी सैनिक संधियां और गठजोड़ हावी हैं । बगदाद संधि और दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन इनके अन्तिम उदाहरण हैं इनसे संसार के इस भाग की शांति एवं स्थिरता को खतरा है और हम इन घटनाओं से चिन्तित हुये बिना नहीं रह सकते ।

हम से कहा गया है कि बगदाद संधि कम्यूनिस्ट आक्रमण और भीतरी गड़बड़ी के विरुद्ध अरब राज्यों की स्वतन्त्रता और स्थिरता को बनाये रखने के लिये है । परन्तु जिस प्रयोजन के हेतु इसकी स्थापना की गई थी इसने उसके बिल्कुल ही विपरीत कार्य किया है । इस प्रदेश की एकता छिन्न-भिन्न हो गई है और शास्त्रों की होड़ जोर पकड़ गई है ।

'सीटो' भी एक ऐसा ही शांति के क्षेत्र पर आक्रमण है और इसने शीत युद्ध को भारतीय सीमाओं के निकट ला दिया है । कराची में हुई हाल की ही एक बैठक में काश्मीर विवाद के समाधान की 'सीटो' परिषद ने चर्चा की थी । यह एक दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्रमंडल के कुछ देशों का भी इस वक्तव्य में हाथ है । तथापि यह एक सन्तोष की बात है कि भारत सरकार ने इस वक्तव्य के सम्बन्ध में सम्बन्धित देशों से विरोध प्रकट किया है । मैं न केवल अपनी ओर से बल्कि समूची भारतीय जनता की ओर से कह सकता हूं कि देश इन प्रतिरक्षात्मक संधियां कहलाने वाली संधियों के विरुद्ध प्रधान मंत्री के पूर्णतः साथ है ।

पश्चिमी संसार ने प्रायः भारत पर तटस्थवाद का आरोप लगाया है । यह एक अजीब-सी बात लगती है और एक निराधार आरोप है । भारत की विदेश नीति तटस्थता की नीति नहीं है बल्कि शक्ति गुटों में शामिल होने की नीति है । मुझे विश्वास है कि भारत अफ्रीका में उपनिवेशवाद तथा जातीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष में बहुत से पश्चिमी देशों की तुलना में कम तटस्थ है ।

पिछले कुछ महीनों में भारत में बहुत से विदेशीय अतिथि आये हैं । इन यात्राओं से एक दूसरे को भलीपूर्वक समझा जाने लगा है और पारस्परिक हितों के मामलों को उचित दृष्टिकोण से देखा जाने लगा है । हम इस सम्बन्ध में भारत सरकार के प्रयत्नों का समर्थन करते हैं और उसे बधाई देते हैं । श्री बुल्गानिन और श्री ख्रुश्चेव की इन सार्वजनिक घोषणाओं से कि वे पंचशील के सिद्धान्तों को पूर्णतः स्वीकार करते हैं, यह प्रकट होता है कि हमारे एक ऐसे देश से कैसे सम्बन्ध हैं जिसकी विचार धारा हमसे भिन्न है । पश्चिमी देशों को यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिये कि भारत-रूस मैत्री का अर्थ यह नहीं है कि उनके प्रति हमारे दिल में अमैत्रीपूर्ण भावनायें हैं ।

कुछ दिन हुये पाकिस्तान ने अपने को एक गणराज्य घोषित किया है । पाकिस्तान में गणराज्य के उदय के साथ साथ ही भारतीय प्रदेश का प्रतिक्रमण किये जाने और बिना किसी उकसाहट के गोली चलाये जाने की घटनायें हुई हैं । नेकोवाल घटना और इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों का निर्णय अभी हम भूले नहीं हैं । परन्तु पाकिस्तान सरकार इन तथ्यों से इन्कार कर रही है और अपनी सशस्त्र सेना को घटना का दोषी नहीं मान रही है । अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को जो हथियार दिये गये हैं उन हथियारों से पाकिस्तान ने कितनी ही बार भारतीय प्रदेश पर आक्रमण किया है । इस

†मूल अंग्रेजी में

[सरदार ए० एस० सहगल]

सम्बन्ध में श्री डलेस के इस आश्वासन का क्या महत्व शेष रह जाता है कि पाकिस्तान अमरीकी शस्त्रों का भारत के विरुद्ध प्रयोग नहीं करेगा ? श्री डलेस ने भारत-अमेरिका मित्रता के नाम पर हाल की ही नई दिल्ली यात्रा में जो वचन दिया है अब उसकी परीक्षा का समय है ।

दूसरी ओर पूर्वी पाकिस्तान से भारी संख्या में शरणार्थी भारत आ रहे हैं । समाचार पत्रों के अनुसार पिछले महीने के दौरान में २००० शरणार्थी हर रोज सीमा पार करके भारत आते रहे हैं । स्थिति अग्रेतर न बिगड़े इसके लिये कोई न कोई ठोस कार्यवाही की जानी चाहिये ।

यह एक प्रसन्नता की बात है कि फ्रांस, मराको तथा ट्यूनिसिया को स्वतन्त्रता प्रदान कर रहा है और उत्तर अफ्रीका में अपने साम्राज्य को छोड़ रहा है । आशा है कि फ्रांस शीघ्र ही अल्जीरिया की जनता के विचारों को भी समझेगा और उसकी इच्छाओं को स्वीकार कर लेगा । मलाया और सिंगापुर स्वतन्त्र देशों के परिवार में शीघ्र ही शामिल हो जायेंगे और इनकी वैधानिक प्रगति को देखकर प्रसन्नता होती है । इन सब परिवर्तनों से हम देखते हैं कि महान बांडुग सम्मेलन के परिणामस्वरूप अफ्रीकी और एशियाई जनता के स्वप्न सच हो रहे हैं । यह एक गर्व की बात है कि हमारी सरकार सारे संसार की राष्ट्रवादी आन्दोलनों के प्रति सहानुभूति रखती है ।

हमारी सरकार चीनी लोक-गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र संगठन में उसका उचित और युक्तियुक्त स्थान दिलवाने के लिये बराबर प्रयत्न कर रही है । इस मामले पर अमेरिका का रवैया बहुत ही अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण है । विश्व संस्था में संसार की कुल संख्या के एक प्रमुख भाग का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है । चीन को जितनी जल्दी संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाया जाय उतना ही अच्छा है ।

गोआ में पुर्तगाली उपनिवेशवाद, बीसवीं शताब्दी के आधी से अधिक बीत जाने पर कायम है । गोआ भारत के बदन पर एक नासूर है । हमारी सरकार ने इस समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिये जो सहनशीलता दिखाई है उसकी मैं प्रशंसा करता हूं । डलेस-कुन्हा वक्तव्य के कारण यह समस्या और भी जटिल हो गई है । परन्तु मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी वक्तव्य गोआ की जनता के अटल भाग्य को और इतिहास की रौ को नहीं बदल सकता है । गोआ की जनता, भारतीय जनता का एक अभिन्न अंग है ।

सोवियत संघ की कम्यूनिस्ट पार्टी की बीसवीं कांग्रेस में जो कुछ कहा गया है उसकी सारे संसार में आलोचना की गई है । यद्यपि किसी देश के भीतरी मामलों में और राजनीति में हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते तथापि, जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री ने पिछले दिनों कहा था, अन्तर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास की दिशा में उठाये गये प्रत्येक कदम पर ध्यान दिया जाना चाहिये ।

संसार के राजनीतिज्ञों के लिये जर्मनी के एकीकरण की समस्या अभी तक एक अड़चन बनी हुई है । स्थायी तथा शांतिमय यूरोप के लिये जर्मनी का एकीकरण आवश्यक है और उसकी स्वतन्त्रता अनिवार्य है ।

अणुबम तथा उद्जन बम जैसे बड़े पैमाने पर तबाही करने वाले शस्त्रास्त्रों से मानवता की सुरक्षा के लिये भारत सरकार के प्रयत्नों की मैं प्रशंसा करता हूं । प्रेसीडेंट आइजनहावर और प्रधान मंत्री बुल्गानिन के बीच पत्र व्यवहार के कारण स्थितियों में सुधार हुआ है और इस वातावरण में लन्दन में निशस्त्रीकरण वार्तायें हो रही हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य को अब अपना भाषण समाप्त करना चाहिये ।

†**सरदार ए० एस० सहगल :** मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

परन्तु अभी भी बहुत कुछ बड़े राष्ट्रों के रवैये पर निर्भर है। मैं यह अनुरोध करता हूं कि अगले वर्ष जनवरी में जब नई दिल्ली में १९वां अन्तर्राष्ट्रीय रेड-क्रास सम्मेलन हो तब भारत सरकार को उन सभी देशों का समर्थन करना चाहिये जो राष्ट्रों से ट्रस्ट क्षेत्र में नाभिकीय शस्त्रास्त्रों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने की मांग करते हैं।

बहुत से विदेशी उच्च पदधारियों, सम्राटों, राजनीतिज्ञों के हाल में भारत आने से भारत अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना की पुण्य भूमि बन गया है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति, माननीय सदस्य को अब अपने स्थान पर बैठ जाना चाहिये।

†**श्रीमती सुचेता कृपालानी** (नई दिल्ली) : मैं अपने भाषण को पूर्वी बंगाल से आये विस्थापितों की समस्या तक ही सीमित रखना चाहती हूं। पूर्वी बंगाल से हिन्दुओं के सामूहिक निष्क्रमण की स्थिति आज अत्यन्त गम्भीर हो गयी है। वैसे तो पिछले ८ वर्षों से हिन्दू जनता निरन्तर पाकिस्तान को छोड़ कर यहां आ रही है, परन्तु अब तो स्थिति अत्यन्त शोचनीय हो गयी है।

देश के विभाजन के समय जब यह समस्या उत्पन्न हुई थी तब तो इसे एक राष्ट्रीय आपातकालीन समस्या समझ कर इसके हल के लिये सारे राष्ट्र ने प्रयत्न किया था, परन्तु अब तो इसका सारा भार पश्चिमी बंगाल पर छोड़ दिया गया है। मुझे आश्चर्य है कि आज केन्द्रीय सरकार इसके लिये कोई प्रयत्न नहीं कर रही। सरकार इस भयंकर समस्या को हल करने में असमर्थता प्रकट कर रही है। मैं पूछना चाहती हूं कि इस समस्या को कब तक सहन किया जायेगा ?

इस समस्या का वास्तविक कारण देश का विभाजन है। वैसे तो हम दो जातियों के सिद्धान्त के आधार पर देश विभाजन के विरुद्ध थे, परन्तु हमने फिर भी उसे इसी आशा पर स्वीकार किया था कि सम्भवतः इससे दोनों क्षेत्रों में शांति स्थापित हो सकेगी। परन्तु उस देश विभाजन का उल्टा ही प्रभाव हुआ। पिछले आठ वर्षों से हम अशान्ति तथा दुःखों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पाकिस्तान सदा कुछ न कुछ शरारत करता रहता है। वह काश्मीर समस्या को सदा भड़काता रहता है, समय-समय पर सीमाओं पर हमले करता रहता है, अन्तर्राष्ट्रीय जगत में सदा भारत के विरोधियों का समर्थन करता रहता है, और फिर पूर्वी बंगाल से हिन्दुओं को सामूहिक रूप से भगा रहा है।

पिछले दिनों ही पाकिस्तान ने सीटो की परिषद् के द्वारा काश्मीर समस्या को भड़का कर भारत के हित पर आघात किया है। सीमा दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में मैं आपको सचेत कर देना चाहती हूं कि ये दुर्घटनायें आज सारे के सारे सीमान्त पर हो रही हैं, और इन दुर्घटनाओं के पीछे एक भयंकर रहस्य छिपा हुआ है।

१९४७ से लेकर आज तक पूर्वी बंगाल से ३७ लाख से अधिक शरणार्थी आ चुके हैं। १९५३ में शरणार्थियों की संख्या ७६,००० थी, १९५४ में १,२१,००० थी, १९५५ में यह संख्या २,४०,००० थी, और १९५६ में तो यह संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार से यह समस्या गम्भीर रूप धारण करती जा रही है।

पिछले दो मास में यह निष्क्रमण अधिक बढ़ गया है—इसका कारण है पाकिस्तान में इस्लामिक गणराज्य की घोषणा जिसमें हिन्दुओं को वहां का उच्च नागरिक नहीं समझा गया है और उनको नागरिक अधिकारों से वंचित रखा गया है।

---

†भूल अंग्रेजी में

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

विभाजन के बाद नेहरू-लियाकत समझौता हुआ । इस समझौते का उद्देश्य ही यह था कि दोनों देशों में अल्प-संख्यकों के हितों की रक्षा की जाये । भारत ने तो उक्त समझौते पर हर तरह से अमल करने की कोशिश की लेकिन पाकिस्तान सदा इसका उल्लंघन ही करता रहा । इस समझौते के अनुसार हमें तथा पाकिस्तान को उन निष्क्रमणार्थियों को सम्पत्तियां लौटानी थीं जो बाद में अपने देशों को वापस लौटे हों । मंत्रालय के प्रतिवेदन से मालूम होता है कि हम ३३ लाख रुपये के मूल्य की सम्पत्ति लौटा चुके हैं और १·१२ करोड़ रुपये के मूल्य की सम्पत्ति के लौटाये जाने के प्रमाणपत्र दिये जा चुके हैं । इतना ही नहीं, मुसलमान निष्क्रमणार्थियों को, जो फिर भारत वापस लौट आये हैं, आर्थिक सहायता भी दी गई है ।

जहां तक निष्क्रान्त सम्पत्ति विधि के प्रशासन का प्रश्न है, हम ने तो अधिनियम का निराकरण कर दिया, परन्तु पाकिस्तान ने अभी तक ऐसा नहीं किया । इसका परिणाम क्या होगा ? पाकिस्तान अब मनमानी करेगा । खबर मिली है कि जो हिन्दू निष्क्रमणार्थी नहीं थे—जो पाकिस्तान छोड़ कर नहीं गये थे—उन्हें भी निष्क्रमणार्थी घोषित कर दिया गया और उनकी सम्पत्ति ले ली गई । एक ओर तो हज़ारों मुसलमान निष्क्रमणार्थी भारत वापस आ रहे हैं और उनकी सम्पत्तियां उन्हें लौटाई जा रही हैं और दूसरी ओर लाखों हिन्दू अपनी सम्पत्ति पाकिस्तान में छोड़ कर भारत आ रहे हैं । यह सामूहिक निष्क्रमण पाकिस्तान की जानबूझ कर बनाई गई नीति के कारण ही हो रहा है । पाकिस्तान की सरकार हिन्दुओं को पाकिस्तान से निकालना चाहती है । जब हमने विभाजन किया जाना स्वीकार किया था तब हम ने यह बात कभी स्वीकार नहीं की थी कि पूर्वी बंगाल के समस्त हिन्दू भारत आ जायेंगे । यदि हमें यह पता होता तो हम अधिक क्षेत्र की मांग करते क्योंकि क्षेत्र का बंटवारा जन संख्या के आधार पर नहीं किया गया था । अब हम देखते हैं कि बहुत से हिन्दू भारत आये हैं । आम-तौर पर तो यही होता है कि अल्प-संख्यक ही पृथक् निर्वाचन प्रणाली की मांग करते हैं और बहु-संख्यक संयुक्त निर्वाचन प्रणाली चाहते हैं । लेकिन, आश्चर्य की बात तो यह है अल्प-संख्यकों के चाहने पर भी, उनकी स्थिति को नीचा गिराने के लिये, पाकिस्तान सरकार उन्हें संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की स्वीकृति नहीं देती है । इस सम्बन्ध में, पाकिस्तान के ही मुसलमानों के विचार क्या हैं ? पाकिस्तान के संसद् सदस्य श्री दिलदार खाँ ने संसद् में कहा था कि पूर्वी बंगाल के निरन्तर सामूहिक निष्क्रमण का कारण वहां के कुछ अधिकारियों की विभेदपूर्ण नीति ही है । उन्होंने कहा था कि इस सम्बन्ध में सरकारी नीति विनष्टकारी है और उससे देश के विभिन्न समुदायों में फूट पड़ती है । पाकिस्तान के एक दायित्वपूर्ण राजनीतिक दल, पाकिस्तान राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस आशय का वक्तव्य दिया है कि इस्लामी संविधान के उपबन्धों की गैर-मुस्लिम जनता के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शिक्षणिक अधिकारों पर एक बहुत बुरी प्रतिक्रिया होगी; उससे सामूहिक निष्क्रमण बढ़ेगा; वह अप्रैल १९५० के उस नेहरू-लियाकत समझौते के बिल्कुल प्रतिकूल है जिसमें अल्प-संख्यकों को नागरिकता के पूर्ण अधिकार दिये जाने का करार हुआ था; और अधिकारियों की अल्प-संख्यकों के प्रति उपेक्षा नीति से उनका विश्वास डिग चुका है । पाकिस्तान सरकार ने इसी तरह नेहरू-लियाकत समझौते को कार्यान्वित किया है ।

भारतीय अर्थ व्यवस्था कब तक इस भार को सम्भालती रहेगी ? इसका हल किस प्रकार होगा ? हम आठ वर्षों से ढाका और कराची द्वारा इसका हल निकाले जाने की राह देखते रहे हैं । मैं प्रधान मंत्री से पूछती हूं कि इस समस्या के समाधान का क्या सम्भावित मार्ग है ?

पाकिस्तान के उच्चायुक्त श्री गज़नफर अली खां ने सुझाव दिया था कि सीमा को बिल्कुल ही बन्द कर दिया जाये । इससे तो और भी भय फैला है और सामूहिक निष्क्रमण पहले से भी अधिक हो गया है । क्या सामूहिक निष्क्रमण की पूर्ण अनुमति देदी जानी चाहिये ? पाकिस्तान के हमारे उच्चा-

युक्त श्री देसाई ने कहा है कि हम अपनी सामर्थ्य से अधिक शरणार्थियों को स्वीकार नहीं करेंगे । समस्या बड़ी टेढ़ी है--हम अपनी सामर्थ्य से अधिक कर भी नहीं सकते, पर साथ ही हम शरणार्थियों को वहां सड़ने भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पूर्वी बंगाल के ये शरणार्थी वे ही हैं जिन्होंने भारत की स्वतन्त्रता के लिये सबसे अधिक संघर्ष किया है । हाल ही में, भारत सरकार ने प्रव्रजन-प्रमाण पत्रों को जारी करने की गति में शिथिलता लाने की नीति अपनाई है । क्या यही इस समस्या का हल है ? वहां उन लोगों की फिर क्या दशा होगी, जो प्रव्रजन करना चाहते हैं ?

क्या प्रधान मंत्री इस प्रश्न को अपने स्तर पर उठाने का विचार कर रहे हैं ? माननीय पुनर्वास मंत्री तो अपने प्रयास में असफल रहे हैं । हां, उन्हें चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में अवश्य थोड़ी-सी सफलता मिली है । पुनर्वास मंत्री का कार्य तो शरणार्थियों को फिर से बसाने तक ही सीमित है । इसका समझौता करने का कार्य तो प्रधान मंत्री को ही करना पड़ेगा ।

एक दूसरा प्रश्न भी मुझे चिन्तित कर रहा है । यह तो बिल्कुल उचित है कि हमारे उन राष्ट्रजनों को, जो पाकिस्तान जाकर निष्क्रमणार्थी बन गये थे, वहां से लौटने पर पूर्ण नागरिकता के अधिकार दिये जायें । लेकिन, पाकिस्तान के राष्ट्रजनों को रोज़गार देने का हमारा दायित्व कहां तक उचित है ? पाकिस्तान के हज़ारों राष्ट्रजनों को पश्चिम बंगाल गोदियों और जूट मिलों में काम दिया जाता है, हमें उन्हें 'फ' नामक दृष्टांकों की सुविधा भी देते हैं, जबकि हमारे ही देश में हज़ारों बेरोजगार व्यक्ति मौजूद हैं । त्रिपुरा के छोटे से राज्य में शरणार्थियों की बहुतायत है । अभी पिछले माह ही वहां ९,००० शरणार्थी पहुंचे हैं । ये सभी पाकिस्तानी राष्ट्रजन हैं, और वे वहां जेराठी किसानों के रूप में मजदूरी पर काम करते हैं । हम उन्हें अपने यहां रहनें की अनुमति क्यों देते हैं ? हमारे यहां भी तो लाखों बेरोजगार हैं । इसके लिये मेरा सुझाव है कि हम ढाका से जितने भी प्रव्रजन-प्रमाण-पत्र जारी करें, अपने यहां के उतने ही 'फ' नामक दृष्टांक रद्द कर दें । हमें पाकिस्तान को बता देना चाहिये कि हम हमेशा ही यह सहन नहीं करेंगे कि केवल वहीं से लोग हमारे यहां आकर रोज़गार पाते रहें ।

समस्या बहुत गम्भीर है, और मुझे इसके हल के सम्बन्ध में अब पाकिस्तान से कोई भी आशा नहीं रही है । पूर्वी बंगाल के मुख्य मंत्री श्री अबू हुसैन सरकार ने इसी सम्बन्ध में एक सम्मेलन बुलाया था, जिसमें अल्प-संख्यक भी सम्मिलित हुए थे । उन्होंने बड़े-बड़े आश्वासन दिये थे । पर हुआ क्या ? कल ही के समाचारपत्रों में छपा था कि पाकिस्तान सरकार ने वाणिज्यिक संस्थाओं को एक परिपत्र भेजा है कि वे 'जाली नागरिकों' को काम पर न रखें । पहले भी ऐसा ही एक परिपत्र निकाला जा चुका है कि केवल पाकिस्तानी व्यक्तियों को ही काम पर रखा जाये, जिसका प्रभाव यह हुआ था कि हिन्दुओं को निकाल दिया गया था । अब तो यह और भी स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तानी नागरिक से उनका अर्थ है मुस्लिम पाकिस्तानी, हिन्दू नहीं, जिन्हें कि वे 'जाली नागरिक' कहते हैं ।

यह समस्या बहुत विराट रूप धारण कर चुकी है और इसे केवल पश्चिम बंगाल पर ही नहीं छोड़ दिया जाना चाहिये। इसे समूचे राष्ट्र के आधार पर ही हल किया जा सकता है । इसके लिये सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही अभिकरणों को एक साथ प्रयास करना चाहिये । प्रधान मंत्री ही यह बता सकते हैं कि हमारे इस असहयोगी और अपराध करने के आदि इस पड़ोसी पर किस प्रकार इस समस्या के हल के लिये दबाव डाला जाये ।

श्री भागवत झा आजाद (पूर्निया व संथाल परगना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अब तक इस वैदेशिक नीति पर न केवल इस तरफ के सदस्यों ने ही बल्कि दूसरी ओर के सदस्यों ने भी प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दिया है । इसलिये, मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देकर उनका बोझ बढ़ाना नहीं चाहता ।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस हाउस (सभा) के सभी सदस्य, चाहे वे किसी भी पार्टी से सम्बन्ध रखते हों, इस बात से पूर्णतया सहमत हैं कि हमारी वैदेशिक नीति ने संसार में हमारा सिर ऊंचा उठा

[श्री भागवत झा आज़ाद]

दिया है। हमने पंचशील के सिद्धान्त को संसार के सामने रखा है। यदि हम उसके आधारभूत सिद्धान्त पर दृष्टिपात करें, तो हमको पता चलता है कि हमने संसार में एक जो सबसे बड़ा काम किया है वह यह है कि हमने तनाव को कम करने की कोशिश की है।

जिस समय हमने नई-नई स्वतन्त्रता प्राप्त की, तो हमारे सामने बहुत से प्रश्न थे। उनके साथ ही हमारे सामने दो बड़े-बड़े ब्लाक (गुट) थे, जो कि एटम बम और हाइड्रोजन बम लिये हुए हमको चुनौती दे रहे थे कि अगर हमने उनमें से किसी एक ब्लाक को ज्वाइन (सम्मिलित) नहीं किया तो हमको बड़ी कठिनाई होगी। उस समय भी, हमारे प्रधान मंत्री जी ने हमारे देश की वैदेशिक नीति को इसी स्तर पर रखा, जिसके कारण आज हम संसार में अपना सिर ऊंचा उठा सकते हैं। हमने जो संसार के सामने पंचशील के सिद्धान्त को रखा उसका सब से बड़ा फल यह हुआ कि बांडुंग सम्मेलन हुआ, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस सम्मेलन में गत वर्ष अप्रैल महीने में संसार के २९ राष्ट्रों ने, जो कि एशिया और अफ्रीका से सम्बन्ध रखते थे, यह घोषणा की कि हम संसार में तनाव कम करना चाहते हैं और साथ ही हम यह चाहते हैं कि संसार में जो विभिन्न सामाजिक और आर्थिक पद्धतियां हैं वे साथ-साथ रह सकें। हमारी वैदेशिक नीति में जो सब से महत्वपूर्ण चीज है, वह है सह-अस्तित्व की भावना। उसी भावना के फलस्वरूप, हम देखते हैं कि आज कोरिया का युद्ध बन्द है जो कि एक तीसरे विश्व युद्ध के रूप में परिणत हो सकता था। हमारी इस नीति के कारण, हमारे अमरीकी मित्र हम से कुछ अप्रसन्न भी हो गये, लकिन आज यह मानना होगा कि अगर हम उस नीति को न अपनाते तो आज संसार को तीसरा महायुद्ध देखना पड़ता।

कुछ लोग कहते हैं कि हमारी पालिसी न्यूट्रल (तटस्थ) है, लेकिन मैं न्यूट्रेलिटी (तटस्थता) का अर्थ नहीं समझता। न्यूट्रेलिटी का तो अर्थ यह है कि एक आदमी किसी भी काम को नहीं करना चाहता। मैं समझता हूं हिन्दुस्तान की वैदेशिक नीति न्यूट्रेलिटी (तटस्थता) की नहीं है, बल्कि वह सक्रिय सहयोग की नीति है। लेकिन, इस नीति का यह अर्थ नहीं है कि हम अपने यहां अधिक से अधिक अस्त्र शस्त्र बनावें, या हम किसी और देश की ओर देखें और उम्मीद करें कि वह हमें हथियार दे और उनस हम अपने पड़ोसी से या किसी दूसरे देश से युद्ध करें। लेकिन, हमने अपनी नीति के द्वारा संसार को एक बड़ी चीज दी है। संसार ने दो बड़ी लड़ाइयां देखी हैं, और आज जब कि संसार तीसरे युद्ध की ओर जा रहा था, तो हमने अपनी नीति को यूनाइटेड नेशन्स (संयुक्त राष्ट्र संघ) के सामने रखा और कोरिया के मामले में उस पर जोर दिया, और इस प्रकार संसार को एक बड़े युद्ध से बचा लिया। महाभारत के समय श्रीकृष्ण ने, जो कि उस समय के सबसे बड़े डिप्लोमैट (कूटनीतिज्ञ) थे, दुर्योधन के दरबार में कहा था कि हमको युद्ध को बचाने का हर प्रयत्न करना चाहिये ताकि आने वाली पीढ़ी हमारे बारे में यह न कहे कि हमने युद्ध को बचाने का कोई उपाय छोड़ दिया। आज हम भी उसी नीति के अनुसार संसार में तनाव को कम करने के लिये प्रत्येक सम्भव उपाय को काम में ले आना चाहते हैं।

आज संसार में दो बड़े-बड़े ब्लाक हैं, जिनमें से हर ब्लाक दूसरे राष्ट्रों को अपने पक्ष में करने की चेष्टा कर रहा है। हमने बड़ी हिम्मत के साथ इस प्रवृत्ति को रोकने का प्रयत्न किया। इसी नीति के फलस्वरूप, हमने यूनाइटेड नेशन्स में २१ नये राष्ट्रों, को शामिल करने का प्रस्ताव पेश किया और उनमें से १६ राष्ट्र यूनाइटेड नेशन्स के सदस्य हो गये। यह हमारे प्रधान मंत्री जी की दूरदर्शिता का ही परिणाम था कि हमारी नीति का यह फल हुआ। यह दूसरी बात है कि पुर्तगाल जैसे राष्ट्र यूनाइटेड नेशन्स के सदस्य होने के साथ ही हमारे खिलाफ़ हो गये। लेकिन हमको इस की परवा नहीं। आज संसार मुख्यतः दो भागों में विभक्त है। एक भाग को फ्री वर्ल्ड (स्वतन्त्र संसार) कहा जाता है और दूसरे के बारे में कहा जाता है कि उसके चारों ओर लोहे की दीवार खड़ी है, जिसके पार हम कुछ नहीं देख

सकते । लेकिन आज जब मास्को में साम्यवादी पार्टी का बीसवां सम्मेलन हुआ तो उन्होंने संसार के सामने यह घोषणा की कि वे भी सक्रिय सहयोग में भाग लेना चाहते हैं, अमरीका की तरह अस्त्र शस्त्र देकर नहीं, बल्कि एशिया के पिछड़े हुए देशों को आर्थिक सहायता दे कर । हमारे मित्र अमरीका की नीति अस्त्र शस्त्रों द्वारा सहायता देने की है । लेकिन हमारे सामने आज जो प्रश्न है उनको हल करने के लिये हम अमन चाहते हैं । हम अपने किसी पड़ोसी से या किसी और देश से युद्ध नहीं करना चाहते ।

हमारी नीति इन संधियों और पैक्टों में शामिल न होने की रही है । हमने सीटो पैक्ट का विरोध किया, और हम बगदाद पैक्ट के भी विरुद्ध हैं, और हम इस तरह की सामरिक संधियों और पैक्टों में इसलिये सम्मिलित नहीं होते और इसलिये उनका विरोध करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इनसे संसार के महत्वपूर्ण प्रश्न हल नहीं होंगे, इनसे संसार की समस्यायें हल नहीं होंगी, बल्कि संसार क्रमशः एक युद्ध के बाद दूसरे युद्ध में से बाहर निकल कर तीसरे महायुद्ध के दरवाजे पर खड़ा है । हम, विश्व में युद्ध इन संधियों से नहीं रोक सकते हैं । इन संधियों के बजाय हम अमरीका, रूस आदि देशों के साथ जिनके कि पास काफी फौज और आर्म्स (शस्त्रास्त्र) हैं और जिनकी कि अर्थ-व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है और वे इस परिस्थिति में हैं कि दूसरों की आर्थिक सहायता कर सकें; आर्थिक सहायता हमें देने के लिये हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमें आर्थिक सहायता देने के बजाय हमारे चारों ओर एक ऐसा रिंग (घेरा) एक ऐसा षड्यन्त्र किया जा रहा है जो कि हमारे लिये काफी चिन्ता का विषय बन गया है । वैसे हम इन सामरिक संधियों से डरते नहीं, लेकिन उनसे हमें आशंका जरूर पैदा हो गई है । अभी हमने देखा कि पिछले दिनों कराची में सीटो सम्मेलन हुआ, और यद्यपि इस सम्मेलन के सम्बन्ध में बार-बार ढोल पीट कर यह कहा गया की इस सम्मेलन का और इन संधियों का अर्थ किसी देश पर चढ़ाई करना नहीं है, इन सामरिक संधियों का तो उद्देश्य संसार में अपने लिये और अपने पड़ोसी मित्र देशों के बाहरी हमले से बचाव करने के लिये व्यवस्था करना है, लेकिन जब सीटो सम्मेलन में काश्मीर के सम्बन्ध में प्रश्न उठा और जो विचार कुछ विदेशी राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने उसके सम्बन्ध में वहां पर व्यक्त किये, तो हमारी आशंका सत्य साबित हुई कि यह सामरिक संधियां सिर्फ अपने बचाव के लिये नहीं की जा रही हैं बल्कि अपने पड़ोसी राष्ट्रों पर हमला करने के लिये की जा रही हैं । यह जो पिछले कुछ समय से हमारी सरहद पर पाकिस्तान की ओर से वारदातें हो रही हैं, वे हमारी इस आशंका को और पुष्ट करती हैं कि पाकिस्तान को अमरीका से जो हथियार वगैरह मिल रहे हैं, उनका प्रयोग वह इन मौकों पर कर रहा है । और इसी कारण हम समझते हैं कि इन सामरिक संधियों से संसार में शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है । हिन्दुस्तान ने इस विषय में सारे संसार को शांति के साथ मिल कर रहने और सह-अस्तित्व के आधार पर चलने का संदेश दिया है और यह बड़े गर्व का विषय है कि हमने संसार के राष्ट्रों को पंचशील का नारा दिया है, लेकिन यह सब होते हुए भी हमारे चारों ओर जो एक षडयन्त्र रचा जा रहा है और सामरिक संधियां की जा रही हैं, हम उसके प्रति उदासीन नहीं रह सकते; और इस कारण हमारे प्रधान मंत्री महोदय को भी यह आशंका है कि अमरीका ने अपनी इन सामरिक संधियों द्वारा यहां के शक्ति-सन्तुलन को जरूर गड़बड़ कर दिया है और ऐसा होना हमारे लिये चिन्ता का विषय है और हमें उसके लिये सदैव सतर्क रहना है, लेकिन उन्होंने फिर एक बार दुहराया है कि हम इस आर्मामेंट की रेस (शस्त्रों की होड़) में नहीं शामिल होना चाहते ।

काश्मीर के सम्बन्ध में, हमने यू० एन० ओ० (संयुक्त राष्ट्र संगठन) के आगे जो निष्पक्ष जनमत कराने और काश्मीरियों की इच्छा जानने की प्रतिज्ञा की थी, उसको लेकर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान और कुछ पश्चिमी राष्ट्र उस प्रतिज्ञा की हमको हमेशा याद दिलाते रहते हैं और जतलाते रहते हैं कि भारत को अपना वह वचन अभी पूरा करना शेष है, लेकिन मैं अपने उन मित्र देशों को बतलाना चाहता हूं कि तब की परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में बहुत फर्क है । यह ठीक

[श्री भागवत झा आज़ाद]

है कि हमने उस समय काश्मीर के सम्बन्ध में जनमत कराने के लिये इन्टरनेशनल कमिटमेंट (अन्तर्राष्ट्रीय वाक्बद्धता) किया था और जिसको कि लेकर हमसे कहा जाता है कि उसको पूरा करें, तो मैं अपने दोस्तों को बतलाना चाहता हूं कि आज की परिस्थिति बिल्कुल बदली हुई है। आज तो हम पर विभिन्न तरीकों से दबाव डाला जा रहा है कि हम इन प्रश्नों को उनकी इच्छा के अनुसार सुलझायें। जहां तक काश्मीर का आज सवाल है, वहां के लोगों ने अपनी विधान परिषद् के द्वारा भारत में विलय का प्रस्ताव पास कर दिया है और आज काश्मीर पूर्णतः भारत का अविभाज्य अंग बन गया है और उसने अपना भाग्य सदा के लिये हिन्दुस्तान के साथ जोड़ लिया है। आज भारत ने, जैसा कि उसका कर्त्तव्य था, काश्मीर को आर्थिक सहायता और अन्य जरूरी सहयोग प्रदान करके काश्मीर के निवासियों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया है और उनके हृदयों में यह विश्वास हो गया है कि वह हिन्दुस्तान के साथ सुखी रहेंगे और इसलिये काश्मीरियों ने अपनी विधान परिषद् के द्वारा इस प्रश्न को बिल्कुल साफ तौर पर हल कर दिया है कि हम हिन्दुस्तान के साथ रहेंगे और यहां यह भी याद रखने की बात है कि उन्होंने उसी पार्टी को चुनावों में वोट देकर बहुमत में भेजा, जिन्होंने कि यह फैसला किया था कि हम हिन्दुस्तान के साथ रहेंगे। इसलिये, जहां तक उस इन्टरनेशनल कमिटमेंट (अन्तर्राष्ट्रीय वचन) का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि वह प्रश्न आज नहीं उठता। मैं यह बात अवश्य कहूंगा कि अपने देश की वैदेशिक नीति के ऊपर गम्भीरतापूर्वक विचार करने का समय आ गया है।

गत वर्ष हमारे देश को बड़े-बड़े महान् अतिथियों का अपने यहां स्वागत करने का सुयोग मिला और यहां पर विदेशी मेहमानों का शानदार स्वागत हुआ। मैं समझता हूं कि इसके पहले रूस और उसके साथ रहने वाले साम्यवादी राष्ट्र यह समझते थे कि उनकी दोस्ती किसी साम्यवादी राष्ट्र के साथ ही हो सकती है, ऐसे राष्ट्र के साथ उनकी दोस्ती हो सकती है जिसके कि यहां कम्युनिस्ट सरकार हो, साम्यवादी सरकार हो और जहां की जनता को साम्यवाद का घूंट पिला दिया गया हो, या उन्हें उसका नश्तर लगा दिया गया हो। लेकिन मैं समझता हूं कि हाल ही में जो हमारे रूसी अतिथि श्री बुलगानिन और ख्रुश्चेव यहां भारत आये और जिस प्रकार यहां की जनता ने दिल खोलकर उनका स्वागत-सत्कार किया, उसने जरूर उनकी उस भावना में परिवर्तन कर दिया होगा कि एक राष्ट्र जो कि साम्यवादी न भी हो तब भी वह रूस का मित्र बन सकता है और रूस आदि साम्यवादी देशों ने अब समझ लिया होगा कि एक ऐसा देश, हालांकि वह साम्यवादी नहीं है, जहां की आर्थिक स्थिति भी उनके समान दृढ़ नहीं है, वहां के लोग भी उनके दोस्त बन सकते हैं।

दूसरा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन मैं और देखता हूं, और वह है अरब देश के बादशाह का भारत-आगमन और उनका यहां पर हार्दिक स्वागत-सत्कार होना। जिस तरह की कम्युनिस्ट देशों के मन में आशंका थी कि कोई भी देश जो कम्युनिस्ट नहीं है, वह उनका दोस्त नहीं बन सकता, उसी तरह की एक आशंका अरब लोगों के मन में भारत के प्रति थी, और उनका यह ख्याल था और वह समझते थे कि जो देश मुस्लिम न हो वह उनका दोस्त नहीं बन सकता, लेकिन जब वहां के शाह यहां पर आये और जब यहां पर उन्होंने लोगों को स्वतन्त्रतापूर्वक अपने-अपने धर्म के अनुसार चलते देखा और सरकार को बिना किसी धार्मिक भेद-भाव के प्रजा के साथ समान रूप से व्यवहार करते हुए देखा, तो वे बड़े प्रभावित हुए और जहां भी वे गये जनता ने दिल खोल कर उनका स्वागत किया, और यही कारण है कि जब वे बम्बई से अपने देश को रवाना होने लगे तो उन्होंने हिन्दुस्तान के मुसलमानों के नाम जो सन्देश दिया उससे यह चीज साफ प्रकट हो जाती है कि ऐसा भी देश संसार में हो सकता है जहां पर कि मुसलमान धर्म के मानने वालों का शासन न हो और वहां चाहे मुसलमान बहुत थोड़ी ही तादाद में क्यों न हों, लेकिन तब भी वह देश हमारा मित्र बन सकता है। मैं इन बातों को बहुत महत्वपूर्ण समझता हूं। हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने रूस आदि देशों के प्रधान मंत्रियों को बुला कर और अरब आदि देशों

के बादशाहों को बुलाकर उनका जो यहां पर स्वागत किया और उन्हें हिन्दुस्तान को नज़दीक से देखने और अध्ययन करने का अवसर दिया, मैं समझता हूं कि उससे बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है; और जो गलत धारणायें हमारे भारतवासियों के प्रति विदेशी राष्ट्रों ने बना रखी थीं, बहुत हद तक दूर हो गयी हैं और मैं जानता हूं कि विदेशों में वहां के लोगों में हमारे प्रति कितनी गलत धारणायें पहले फैली हुई थीं । जब पिछली बार मुझ को और मेरे कई मित्रों को मिडिल ईस्ट (मध्य-पूर्व) जाने का मौका मिला था, तो हमने देखा था कि वहां पर किस तरीके से हिन्दुस्तान के खिलाफ इस बात का प्रचार किया जा रहा था कि क्या हिन्दुस्तान में मुसलमान भी हैं ? क्या हिन्दुस्तान में मसजिदें भी हैं और क्या मुसलमानों को उन मसिजदों में पूजा करने की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त है ? लेकिन, मैं समझता हूं कि शाह सऊद की अभी हाल की भारत यात्रा ने इस तरह की गलत धारणाओं को बड़ी हद तक दूर कर दिया है । बम्बई से रवाना होते वक्त शाह सऊद ने यह फरमान निकाला कि हिन्दुस्तान में मुसलमान बड़ी शांति से रह रहे हैं और उन्हें अपने धर्म का पालन करने की पूरी स्वतन्त्रता हासिल है और धार्मिक मामलों में राज्य द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता, मैं समझता हूं कि इस फरमान के बाद मिडिल ईस्ट में हिन्दुस्तान के खिलाफ जो पड़ोसी देशों के द्वारा जहरीला प्रचार किया जा रहा था वह सारा पानी के बुलबुले के समान फूट गया है ।

म आशा करता हूं कि जिस प्रकार हमारे प्रधान मंत्री ने मास्को में जाकर भारत के प्रति वहां के लोगों में एक दोस्ती और श्रद्धा की भावना पैदा की, उसी प्रकार हमें इस बार भी वही आशा कर ी चाहिये कि जब आगामी जून मास में वह एक बहुत बड़े देश और शक्तिशाली देश के बुलावे पर जायेंगे वे एक ऐसे देश में जायेंगे जहां की नीति हिन्दुस्तान की नीति से बहुत बातों में नहीं मिल ी है क्योंकि उनके सोचने का एक अलग तरीका है, हर प्रश्न पर चाहे वह दक्षिण अफ्रीका का प्रश्न हो, कोरिया का प्रश्न हो और चाहे वह उपनिवेशवाद का प्रश्न हो, इन तमाम प्रश्नों पर हमारी नीति अमरीका से बिलकुल भिन्न रही है । साउथ अफ्रीका में जिस तरह से उन्होंने डा० मलान की रंगभेद नीति का साथ दिया, मैं समझता हूं कि उससे हमारे देश के हर एक आदमी को बहुत दुःख हुआ होगा और जिस तरीके से उन्होंने कोरिया के सम्बन्ध में हमारे उचित सुझाव को नहीं माना, उससे भी हर एक भारतवासी को दुःख ही हुआ होगा; और जिस तरह से काश्मीर के प्रश्न को यू० एन० ओ० में उन्होंने लटका रखा है वह भी खेदजनक है। हिन्दुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ शिकायत लेकर यू० एन० ओ० में गया और मांग की कि यू० एन० ओ० पाकिस्तान को हमलावर घोषित करे, लेकिन हमने देखा कि किस तरह से वहां असली प्रश्न को तोड़ मरोड़ कर रखा गया और समस्या को उलझाया गया । उससे हिन्दुस्तान के लोगों के दिलों में बहुत ठेस लगी है । मुझे आशा है कि हमारे प्रधान मंत्री आगामी ग्रीष्मकाल में जब अमरीका जायेंगे, तो हमारी नीति और उनकी नीति अपेक्षाकृत कुछ नजदीक आ सकेगी और आज के दिन जो एक विरोधी धारणा बनी हुई है, वह बहुत हद तक दूर हो सकेगी ।

अभी हाल ही में, हमारे यहां तीन देशों के जो प्रमुख व्यक्ति आये, सीटो सम्मेलन में भाग लेने के बाद यहां आये, उनसे हमारी महत्वपूर्ण वार्ता हुई और विचारों का आदान-प्रदान हुआ और यह ठीक है कि उन्होंने हमारी नीति को ठीक समझा, लेकिन हमें तत्काल निकट भविष्य में उनकी वैदेशिक नीति में कोई परिवर्तन की सम्भावना नहीं दिखाई पड़ती । लेकिन हम विश्वास करते हैं कि फ्रांस की नीति आज जिस तरीके से परिवर्तित हो रही है, वहां के प्रधान मंत्री श्री पिनो ने जिस नीति की घोषणा की है, मैं समझता हूं कि उसके कारण हमारी नीति उनकी नीति के बहुत नजदीक आयेगी । वैसे डलेस साहब ने यह आश्वासन तो दिया है कि अगर कभी पाकिस्तान अमरीका द्वारा दिये हुए अस्त्रों की सहायता से भारत पर आक्रमण करेगा, तो हम उस दशा में हिन्दुस्तान का साथ देंगे । हम समझते हैं, इस आश्वासन में कोई तथ्य नहीं है । जिन कारणों की वजह से पश्चिमी यूरोप को अमरीका ने पहले सहायता दी और जब जर्मनी ने अपनी तमाम शक्ति के साथ यूरोप के देशों पर चढ़ाई की, उस

[श्री भागवत झा आज़ाद]

समय उसने अमरीका से नहीं पूछा। जिसने उसे शस्त्रास्त्र दिये थे जिससे सामरिक संधि की थी, उससे उसने नहीं पूछा कि चढ़ाई की जाये या न की जाये। इसलिये, मैं इस आश्वासन को कोई महत्व नहीं देता। उन्होंने हिन्दुस्तान आकर यह बयान इसलिये दिया कि वह हमारे देश का कुछ समर्थन प्राप्त कर सकें और अपने उद्देश्य में सफल हो सकें।

एक दुःख की बात और है। काश्मीर का प्रश्न सीटो में उठाया गया। काश्मीर के प्रश्न पर इंग्लैंड के वैदेशिक मामलों के मंत्री ने भारत में और कराची में भी यह घोषणा की थी कि सीटो में इस प्रश्न को नहीं उठाया जायेगा। इसके बावजूद भी जब यह प्रश्न वहां पर उठाया गया तो कामनवैल्थ (राष्ट्र मंडल) के एक सबसे बड़े पार्टनर (भागीदार) ने इसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठाई। यद्यपि मैं समझता हूं कि कामनवैल्थ में रहने से हमें काफी लाभ हुआ है लेकिन विरोधी दल के कुछ सदस्यों ने इसकी बड़ी आलोचना की है। लेकिन मेरे विचार में हमारा कामनवैल्थ में रहना हमारे ही हित में है और हम भविष्य में भी कुछ फायदा उठाने की आशा कर सकते हैं। लेकिन, फिर भी, मैं समझता हूं कि ऐसे प्रश्नों पर जोकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जैसे कि गोआ का प्रश्न है, उपनिवेश-वाद का प्रश्न है जिसका कि हम नंगा नाच गोआ में देख रहे हैं, उनके बारे में हमारे कामनवैल्थ के जो बड़े पार्टनर्ज हैं उनको अपनी नीति साफ-साफ शब्दों में घोषित करनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ, इस वैदेशिक नीति के बारे में मैं अपनी सरकार का पूर्ण समर्थन करता हूं और जो मांगें इस सदन में पेश की गई हैं उनके हक में अपना मत प्रकट करता हूं।

†**डा० सुरेश चन्द्र** (औरंगाबाद) : किसी भी देश की वैदेशिक नीति की सफलता उसकी आंतरिक शक्ति और उसके राजनीतिक स्थायित्व पर निर्भर रहती है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी भारत अपनी स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व निर्धारित की गई इंडियन नेशनल कांग्रेस की नीति का ही अनुसरण करता आ रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी, अन्तरिम सरकार में सम्मिलित होते समय, कांग्रेसी मंत्रियों को यही सलाह दी थी कि वे संघर्ष के दौरान में दिये गये अपने सभी वचनों को निभायें। स्वतन्त्रता प्रांप्ति से पहले, हमने कुछ सिद्धान्त निरुपित किये थे, जैसे जातिवाद का विरोध, उपनिवेशवाद का विरोध, अहिंसा तथा विश्व शान्ति की स्थापना। मैं समझता हूं कि हमने स्वतन्त्र भारत में इन्हें पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया है।

अब प्रश्न आता है हमारे पड़ोसी राज्य पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्धों का। हम सभी इस समस्या पर ध्यान देते रहे हैं। शायद हमारी वैदेशिक नीति की कसौटी यही है कि हम पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्ध कैसे रखते हैं। हमारे प्रधान मंत्री ने इस लोक-सभा में कहा था कि हम उसके साथ सर्वा-धिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखना चाहते हैं। उन्होंने पाकिस्तान को पंचशील में सम्मिलित होने का निमंत्रण भी दिया था। लेकिन, फिर भी यह विषय चिन्ता का कारण है। आज ही के समाचार पत्रों में पाकिस्तान के वैदेशिक-कार्य मंत्री का इस आशय का वक्तव्य प्रकाशित हुआ है कि भारतीय बल ने पधाना पर आक्रमण किया है। उन्होंने भारत-पाकिस्तान सीमा के सीमांकन का सुझाव दिया है। लेकिन, संसद के उसी वाद-विवाद के दौरान में मुस्लिम लीग के सदस्यों ने कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछे थे कि पाकिस्तान किस के विरुद्ध अमरीकी सैनिक सहायता चाहता है। किसी ने यह भी कहा था कि यह सैनिक सहायता काश्मीर के मामले को निबटाने के लिये ही दी गई है।

इसलिये, हमारी वैदेशिक नीति के निर्धारण के लिये यह सीटो पैक्ट और पाकिस्तान को मिलने वाली यह सैनिक सहायता बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जब से अमरीका ने पाकिस्तान को काफी सैनिक सहायता देनी शुरू की है, तब से इस देश में पाकिस्तान के प्रति भय और सन्देह उत्पन्न होने लगे हैं। पाकिस्तान ने भी सीमा पर झगड़े-फिसाद शुरू कर दिये हैं। इसलिये, हमारा 'सीटो' के विरुद्ध और

†मूल अंग्रेजी में

उन देशों के भी विरुद्ध होना स्वाभाविक ही है जो अमरीकी सैनिक सहायता का समर्थन करते हैं। उनमें कुछ राष्ट्रमंडलीय राष्ट्र भी हैं।

हमारी वैदेशिक नीति की सफलता का सारा श्रेय हमारे प्रधान मंत्री को ही है। हमने वैदेशिक मामलों में ही नहीं, आर्थिक स्थायित्व स्थापित करने में भी पिछले तीन वर्षों में सफलता प्राप्त की है। इस पर हमें गर्व है।

सारे संसार में हमारे मित्र फैले हुए हैं। सोवियट रूस में, मध्य पूर्व के देशों में, और पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने वाले देश अमरीका में भी हमारे मित्र हैं। हमारे प्रधान मंत्री को अमरीका जाने का निमन्त्रण भी मिला है। कुछ भ्रान्तियां दूर होते ही, हमारे और अमरीका के सम्बन्ध और भी मैत्रीपूर्ण बन जायेंगे, इसमें मुझे सन्देह नहीं है। तब, भारत इन सभी देशों की सहायता से और एक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकेगा।

पिछले वर्ष अप्रैल में एक महान् ऐतिहासिक घटना घटी थी—बांडुंग सम्मेलन। इसमें सबसे पहली बार एशिया और अफ्रीका के देश एक साथ बैठे थे और उन्होंने आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से अपने-अपने देशों के विकास के सम्बन्ध में विचार किया था।

विश्व की वर्तमान परिस्थिति में, युद्ध का खतरा दूर करने और भय तथा विद्वेष को उखाड़ फेंकने का एक मात्र मार्ग पंचशील ही है, अहस्तक्षेप, अनाक्रमण और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर आधारित पंचशील ही एक मात्र साधन है। इसी के द्वारा संसार में शांति स्थापित की जा सकती है।

इतना सब कहने के बाद मैं वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मेरा विचार है कि हमारे वैदेशिक प्रचार में काफी सुधार होना चाहिये। अभी वैदेशिक प्रचार का कार्य हो तो ठीक तरह से ही रहा है, पर हमने इस की ओर अभी समुचित ध्यान नहीं दिया है। हमें उस पर और अधिक धन व्यय करना चाहिये विदेशों में इसके लिये रखे गये कर्मचारियों के पास सभी आवश्यक सामग्री भी भेजनी चाहिये। यह केवल इसीलिये नहीं कि विदेशों के लोग भारत के सम्बन्ध में जानना चाहते हैं, बल्कि इसलिये भी कि वे हमारे प्रधान मंत्री से संसार में शान्ति स्थापित करने की भी आशा लगाये बैठे हैं। इसीलिये, मेरा सुझाव है कि सरकार अपने वैदेशिक प्रचार को अधिक विस्तृत बनाये और उसके कर्मचारियों को अधिक सुविधायें दे तथा पदावधि की सुरक्षा भी प्रदान करें।

इसके बाद, मैं विदेशी मिशनों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। मुझे अपने देश के कुछ मिशनों का अनुभव है। मुझे खेद है कि विदेशों को भेजे जाने वाले हमारे निरीक्षकगण न तो सूझबूझ रखते हैं और न वे अपने काम को ही समझते हैं। उनका काम है विदेशों में भारत, उसकी जनता और सरकार की व्याख्या करना। उनमें से अधिकांश तो अपने इतिहास और अपनी संस्कृति के बारे में भी कोरे होते हैं। इसलिये, मेरा सुझाव है कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय इन मिशनों में ऐसे ही व्यक्तियों को भेजे जो भारत के सभी क्षेत्रों से अच्छी तरह परिचित हों, और जो अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण रीति से तथा लाभ-प्रद ढंग से विदेशों की जनता को हमारे सम्बन्ध में बता सकें। कर्मचारियों को भर्ती करने के विषय में मैं अनुभव करता हूं कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय को यह जांच करनी चाहिये कि उसमें कितने मैनन और बाजपेयी हैं और अन्य पदाधिकारियों के कितने परिवार वाले और सम्बन्धी हैं। मंत्रालय को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि हमारी विदेश नीति और हमारे प्रधान मंत्री के वक्तव्यों और सिद्धान्तों की व्याख्या करने के लिये विदेश को भेजे जाने वाले शिष्ट मंडलों में जो लोग नियुक्त किये जाते हैं उनमें इस कार्य को उपयुक्त रूप से करने की योग्यता होनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं वैदेशिक-कार्य मंत्रालय सम्बन्धी मांगों के अनुदानों का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगले माननीय सदस्य का नाम पुकारने से पहले मैं वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की विविध मांगों सम्बन्धी निम्न कटौती प्रस्तावों के प्रस्तुत होने की घोषणा करना चाहता हूं :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या
२२	३५५,४७७, ४७८, ४७९
२३	३५८, ३५९, ३६०, ३६१, ३६४, ४२५, ४२६, ४२७, ४८०, ४८१, ४८२, ८६६, ८६७, ८६८, ८६९

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

माँग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
२२	श्री एच० एन० मुकर्जी	नागा समस्या हल करने में असफलता	१०० रुपये
२२	श्री रिशांग किशिंग (बाह्य मनीपुर रक्षित अनुसूचित आदिमजातियां)	उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण में सरकार की प्रशासन नीति	१०० रुपये
२२	श्री रिशांग किशिंग	ट्यूनसांग डिवीज़न और अन्य आस-पास के क्षेत्रों में साधारण स्थिति लाये जाने की तुरन्त आवश्यकता	१०० रुपये
२२	श्री रिशांग किशिंग	उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण में भारत सकार की विकास नीति	१०० रुपये
२३	श्री एच० एन० मुकर्जी	राष्ट्र मण्डल के साथ सम्पर्क बनाये रखने के परिणाम तथा उपलक्षण	१०० रुपये
२३	श्री एच० एन० मुकर्जी	जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य को सम्पूर्ण राजनयिक मान्यता प्रदान करने में असफलता	१०० रुपये
२३	श्री एच० एन० मुकर्जी	पाकिस्तान के साथ हमारे वर्तमान सम्बन्धों से उत्पन्न हुई समस्यायें	१०० रुपये
२३	श्री एच० एन० मुकर्जी	संयुक्त राष्ट्र संघ को यह सूचित करने की वांछनीयता कि उसका काश्मीर के मामले से कोई सम्बन्ध नहीं	१०० रुपये
२३	श्री एच० एन० मुकर्जी	एशियाई देशों के लिये सामूहिक शांति का कार्यक्रम	१०० रुपये
२३	श्री एस० एल० सक्सेना (जिला गोरखपुर उत्तर)	नेपाल, भूटान, सिक्किम और तिब्बत के सीमान्त साम्राज्यों के साथ हमारे सम्बन्ध ...	१०० रुपय

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
२३	श्री एस० एल० सक्सेना	श्रीलंका में भारतीय उद्भव के राज्य-विहीन नागरिकों की समस्या	१०० रुपये
२३	श्री एस० एल० सक्सेना	गोआ सम्बन्धी स्थिति	१०० रुपये
२३	श्री एस० एल० सक्सेना	पाकिस्तान का भारत के प्रति व्यवहार और इसका प्रत्युत्त देने के तरीके	१०० रुपये
२३	श्री एस० एल० सक्सेना	सीटो और मीडो की स्थापना के कारण भारत में पैदा हुई स्थिति	१०० रुपये
२३	श्री एस० एल० सक्सेना	पाकिस्तान के सीटो और मीडो में सम्मिलित होने पर काश्मीर में जनमत-संग्रह का प्रश्न ...	१०० रुपये
२३	श्री शिवमूर्त्ति स्वामी (कुष्टगी)	देश के राजनैतिक नेताओं और सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं में से विदेश सेवा कर्मचारियों को नियुक्त किये जाने की वांछनीयता ...	१०० रुपये
२३	श्री रिशांग किशिंग	भारतीय सीमा प्रशासन सेवा में आदिम जातियों के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता	१०० रुपये
२३	श्री एच० एन० मुकर्जी	न्यूयार्क स्थित हमारे महा वाणिज्य-दूतालय के कार्य के बारे में प्रसारित किये गये आरोपों पर चर्चा	१०० रुपये
२३	श्री एच० एन० मुकर्जी	हमारे लोगों द्वारा स्थित कई भूतपूर्व बस्तियों की समाप्ति के सम्बन्ध में विश्व न्यायालय के समक्ष पुर्तगाल के कथित निर्देश पर चर्चा	१०० रुपये

†**पंडित एस० सी० मिश्र** (मुंगेर—उत्तर-पश्चिम) : आज से दो वर्ष पूर्व अमरीका के प्रैसीडैंट ने इस महाद्वीप को सैनिक सहायता देने का प्रस्ताव किया था परन्तु हमारे प्रधान मंत्री ने उसे अस्वीकार कर दिया था ।

मैं समाजवादी दल का सदस्य हूं जिस पर अमरीका का पक्षपाती होने का आरोप लगाया जाता है । हम यह चाहते हैं कि भारत की नीति रूस की नीति से भी उतनी ही पृथक् होनी चाहिए जितनी कि अमरीका की नीति से । हमारी सरकार की नीति इस प्रकार की होनी चाहिये कि जिससे अमरीका और रूस दोनों हमारे मित्र बने रहें । बहुत से लोग अपने नेता की बातों की आलोचना करके उसे अप्रसन्न नहीं करना चाहते और वे उनकी हां में हां मिला देते हैं । मेरा निवेदन है कि इसका परिणाम देश के लिये हितकर नहीं होगा ।

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : माननीय सदस्य श्री लोहिया के बारे में कह रहे हैं या कि प्रधान मंत्री के बारे में ?

†**पंडित एस० सी० मिश्र** : मैं प्रधान मंत्री के बारे में कह रहा हूं, इसमें कोई सन्देह नहीं है । मैं यह कहना चाहता हूँ कि अमरीका के साथ हमारा जो बर्ताव रहा है उसमें सुधार करने का प्रयत्न करना चाहिये । अब भी संमय है । हमें किसी गुट में शामिल नहीं होना चाहिए परन्तु इस समय आवश्यकता इस बात की है कि हम अमरीका को अपना विश्वासपात्र मित्र बनाने का प्रयत्न करें । श्री डलैस ने कहा था कि अमरीका ने पाकिस्तान को हथियार इसलिये नहीं दिये हैं कि वह भारत के खिलाफ उनको काम में लाये । खैर, यह तो कहने की बातें हैं । मेरा अभिप्राय यह भी नहीं है कि हम रूस और अन्य साम्यवादी देशों के साथ शत्रुता मोल लें । हमें दोनों के साथ मित्रता बनाये रखनी चाहिये अन्यथा भारत की सारी प्रगति रुक जायेगी और हमें युद्ध की तैयारी करनी पड़ जायेगी । इस समय वैदेशिक-कार्य मंत्रालय और हमारे नेता भारत की बजाये विश्व के बारे में अधिक सोचते हैं और इसी कारण बड़ी शक्तियों से, जो ईर्ष्या के कारण हमारा ध्यान किसी और दिशा में लगाना चाहती हैं, हमारा संघर्ष होता है । हमारे सीमान्तों पर झगड़े आरम्भ करवा दिये गये हैं ताकि हम उन्हीं में व्यस्त रहें और अन्य बातों के सम्बन्ध में सोचने का हमें समय ही न मिले । सुनते हैं कि पाकिस्तान सीमान्त पर अणु-शक्ति चालित राइफलें और बन्दूकें पहुँच जायेंगी । ऐसी हालत में सम्भव है कि हमें रूस से हथियार मांगने पड़ें । इसीलिये मैं कहता हूं कि हमें बिगड़ी को संवारने का प्रयत्न करना चाहिये ।

रूस के उदाहरण को सामने रखते हुए हम भी इस प्रकार का प्रयत्न कर सकते हैं कि नेपाल, भूटान और सिक्किम को भारत के साथ मिला कर एक शासन स्थापित किया जाये । नेपाल के महाराजा को स्थायी तौर पर भारत का उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है या इसी प्रकार की कोई पदवी दी जा सकती थी । यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की तरह इन छोटे-छोटे देशों को भी महान शक्तियां सैनिक सहायता देकर हमारे लिये नई समस्यायें खड़ी कर देंगी । हमें इन राज्यों को मिला कर एक नवीन राष्ट्रमंडल बनाना चाहिए ।

हम और हमारी सरकार गांधीजी की अनुयायी होने का दावा करती है परन्तु हम अहिंसा को केवल बाहर के लोगों पर ही लागू करते हैं और देश के भीतर जो कुछ हो रहा है उसका प्रमाण आसाम के सीमान्तों पर नागा जाति को दबाने के लिये उन पर चलाई जाने वाली गोलियों से मिलेगा । यदि हम इसी प्रकार उनको दबाने का प्रयत्न करते रहे तो वे हमारे हाथ से निकल जायेंगे । वह भारत-विरोधी हो जायेंगे । इन क्षेत्रों हमें अपनी नीति बदलनी पड़ेगी ।

काश्मीर के बारे में आप सभी जानत हैं कि संसद् में एक सदस्य वहां गये थे और उनका फिर कोई पता नहीं चला । काश्मीर के प्रति हमारी नीति बड़ी नम्र रही है ।

मुझे आशा है कि इन मामलों पर विचार किया जायेगा और लोग अपने नेता पर अंधविश्वास न रखते हुए अपने स्वविवेक से भी काम लेंगे ।

†**श्री के० पी० त्रिपाठी** (दरांग) : हमारी विदेश नीति के बारे में बहुत से लोगों के मन में कई प्रकार के सन्देह हैं । उनका कहना है कि गत महायुद्ध के बाद से हम इतने अलग-अलग होते जा रहे हैं कि एक समय ऐसा आयेगा जब हमारा कोई मित्र नहीं होगा । परन्तु मैं इसे ठीक नहीं समझता । पिछले महायुद्ध के पश्चात ऐसी परिस्थिति हो गई है कि सारा विश्व एक सूत्र में बंध गया है और विश्व शक्तियों का सन्तुलन योरूप के कुछ एक देशों पर निर्भर नहीं करता है । यदि विश्व के किसी भाग में युद्ध आरम्भ होता है तो वह विश्व की सभी शक्तियों के सम्मिलित हो जाने से एक महायुद्ध का रूप धारण कर लेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बुल्गानिन और ख्रुश्चेव के भारत आने से पश्चिमी देशों में हुई प्रतिक्रियाओं को मैंने स्वयं देखा है। बांडुंग सम्मेलन के पश्चात संसार के सभी देशों में कुछ न कुछ समायोजन हुआ है और इस सम्मेलन और हमारी निरपेक्षता की नीति के परिणामस्वरूप ही रूस का वह लौह आवरण टूटा जो १९१७ से आज तक उसे आच्छादित किये हुये था। इस लौह आवरण को तोड़ना ही आधुनिक विश्व का सब से महान कार्य है।

न्यूयार्क में लोग इसकी बड़ी आलोचना कर रहे थे और उनका मत था कि लोक-तन्त्रात्मक देशों के लोगों को तानाशाही राज्यों का दौरा नहीं करना चाहिये। इसका अर्थ है कि वे इन दोनों प्रकार के देशों को अलग-अलग रखने के पक्ष में हैं। इसी भावना को लेकर श्री डलैस ने गोआ के बारे में अपना वक्तव्य दिया था। हार्स्ट एजंसी के एक समाचार में कहा गया है कि यदि प्रधान मंत्री नेहरू निरपेक्षता का संदेश लेकर अमरीका जा रहे हैं तो उनका वहां न जाना ही ठीक होगा। उसमें यह भी संकेत दिया गया है कि पाकिस्तान अमरीका का मित्र और साथी है और भारत नहीं है। परन्तु यह सोचना गलत होगा कि अमरीका के सभी लोगों का यह मत है।

वहां कई लोग हमारे विचारों का समर्थन करते हैं और जार्ज मैन और डलैस से असहमत हैं। आपने समाचार पत्रों में देखा होगा कि श्री डबल्यू-रुथर ने अपने वक्तव्य में पाक-अमरीकन सैनिक सन्धि और गोआ सम्बन्धी श्री डलैस के वक्तव्य की निन्दा की है। अमरीका की नीति सदा उपनिवेश-वाद के विरुद्ध रही है परन्तु डलैस ने अपने वक्तव्य द्वारा इस नीति का खंडन किया है और उपनिवेशवाद का समर्थन किया है तथा उसे प्रोत्साहन दिया है। इससे स्पष्ट है कि कुछ अमरीकी भी सरकारी मत्त का समर्थन नहीं करते हैं, इसका प्रमाण आगामी निर्वाचनों से मिल जायेगा।

ऐसा प्रतीत होता है कि अमरीका या योरूप में अभी कोई स्थायी नीति नहीं बन पाई है। हम तटस्थ हैं अतः सभी के मित्र हैं। मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि इस निरपेक्षता की नीति पर चलने से हमारी शक्ति दिन प्रति दिन बढ़ती जायेगी और हमें किसी प्रकार का भय नहीं है।

हमारी इस नीति का सारे विश्व पर प्रभाव पड़ा है और इसके कारण सीटो और मीडो जो साम्यवादी देशों को घेरे में लेने के लिये बनाये गये थे प्रभावहीन हो गये हैं, क्योंकि मध्य में अरब देश, भारत, श्रीलंका, बर्मा और इंडोनेशिया तटस्थ देश आ गये हैं। अतः हमारी नीति से केवल हमें ही नहीं बल्कि विश्व भर को लाभ पहुँचा है इसी कारण अमरीका हमसे नाराज़ है और यह दो सन्धियां की गई हैं। फिर भी यह सन्धियां सफल नहीं हुई हैं। हमने यह सब उन्हें नाराज करने के लिये नहीं बल्कि विश्व में शान्ति स्थापित करने के लिये किया है।

अमरीका की नीति सशस्त्र तटस्थता की है। परन्तु यह बहुत खतरनाक है। किसी गलतफहमी के कारण यह ज्वालामुखी की तरह फट कर विश्व भर की शान्ति को नष्ट करने के लिये एक ऐसे युद्ध का कारण बन सकती है जिसमें अणु बम और उद्जन बमों का प्रयोग किया जाये। हम निशस्त्रीकरण द्वारा इन सम्भावनाओं को समाप्त करना चाहते हैं।

विश्व को इस समय निशस्त्रीकरण की नीति की आवश्यकता है जिसे पंचशील के सिद्धांतों को स्वीकार करने से ही अपनाया जा सकता है। इन पांच सिद्धांतों में से एक सह-अस्तित्व का सिद्धांत है जिसे स्वी-कार करने में पश्चिमी देशों को बड़ी कठिनाई हो रही है। अब तक विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। एक साम्यवादी गुट और एक अन्य गुट। दोनों एक दूसरे को नष्ट करने का प्रयत्न कर रहे थे और सभी की यही धारणा थी दोनों गुट एक साथ नहीं रह सकते हैं। एक को नष्ट करना ही होगा परन्तु हम कहते हैं कि दोनों का अस्तित्व बना रह सकता है। परन्तु पश्चिमी देश इसे स्वीकार नहीं करते बल्कि नाराज होते हैं। इसी नाराज़गी के कारण उन्होंने पाकिस्तान को सैनिक सहायता दी है। जब एक व्यवस्था दूसरी को नष्ट नहीं कर सकती है तो सह-अस्तित्व के सिद्धांत को स्वीकार करना ही

[श्री के० पी० त्रिपाठी]

एकमात्र साधन है । ऐसा प्रतीत होता है कि रूस ने इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है परन्तु अमरीका ने इसकी सचाई का अनुभव नहीं किया है । उसका इसमें विश्वास नहीं है और जब तक हम उसे विश्वास नहीं दिलाते हैं तब तक यही हालत रहेगी ।

कुछ समय हुआ हमारे प्रधान मंत्री ने कहा था कि साम्यवादी गुट के गुप्त रूप से कार्य करने के कारण सह-अस्तित्व के सिद्धांत का पालन करने में बड़ी कठिनाई हो रही है । मैंने चीन और यूगोस्लेविया में इस प्रश्न पर चर्चा की थी और उनका कहना है कि जब पश्चिमी देश गुप्त रूप से कार्य करते हैं तो हम ऐसा क्यों न करें । दोनों गुट एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते और गुप्त रूप से कार्य करते हैं । यदि सोवियत गुट इस प्रकार कार्य करना बन्द कर दे तो सम्भव है कि पश्चिमी गुट का भय कम हो जाये । यदि हमारे प्रधान मंत्री पश्चिमी और पूर्वी देशों का दौरा करते समय दोनों पक्षों को इस बात के लिये राजी कर लें कि गुप्त रूप से कोई काम न किया जाये तो सह अस्तित्व के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया जायेगा ।

श्री डलेस ने जो आश्वासन दिया था कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ अमरीकी हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा, इस सम्बन्ध में मैं फ्रांस का एक उदारण बताऊंगा । उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के एक खंड में यह उपबन्धित था कि, फ्रांस शस्त्रों और अन्य संसाधनों को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिये प्रयोग नहीं करेगा, परन्तु उसने अल्जीरिया में उसका प्रयोग किया और विरोध करने पर भी सेनाओं को वापस नहीं बुलाया । अभी तक वैसी ही हालत है । अतः कहना सरल है परन्तु करना बहुत कठिन है । इसी प्रकार श्री डलैस का आश्वासन भी कार्यान्वित नहीं होगा । वह कोरा आश्वासन ही है । माननीय प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा है कि श्री डलैस से जो बातचीत हो रही है वह अधिक सन्तोषजनक नहीं है और पाकिस्तान के साथ हुए सैनिक समझौते के कारण हम बहुत चिन्तित हैं । यह ठीक है कि हम अपनी नीति नहीं बदलना चाहते और हम युद्ध नहीं चाहते परन्तु यदि पाकिस्तान शस्त्र एकत्र करता रहा तो हमें भी शस्त्र प्राप्त करने पड़ेंगे । परन्तु हमारी हालत कुछ विचित्र सी हो जायेगी क्योंकि अन्य देश हमारी तटस्थता की नीति पर सन्देह करने लगेंगे ।

†**विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री विश्वास)** : अपनी विदेश नीति पर सामान्यतः बोलने का मेरा विचार नहीं है । मैं पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं के सामूहिक निष्क्रमण के सम्बन्ध में कुछ बातों पर जिन पर कि इस सदन में चर्चा हुई है, प्रकाश डालूंगा ।

मैं कुछ तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत करने का विचार करता हूं जिनसे कि यह स्पष्ट होगा कि सुझाव देकर और अन्य तरीकों से स्थिति को बदलने के लिये किये गये हमारी सरकार के प्रयासों के बावजूद स्थिति और कैसे बिगड़ी है ।

सन् १९४१ की जनगणना के अनुसार उस क्षेत्र में, जिसे अब पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है, लगभग १२० लाख हिन्दू थे । १९५१ की जनगणना के अनुसार पूर्वी बंगाल में लगभग ९२ लाख हिन्दू थे । यदि हम जनसंख्या की वृद्धि पर ध्यान न दें तो भी १९४१ और १९५१ के आंकड़ों में २८ लाख का अन्तर है ।

सन् १९४७ से, जब कि देश का विभाजन हुआ था, आज तक पूर्वी बंगाल से हिन्दुओं का प्रव्रजन जारी है । १९५६ के फरवरी के अंत तक प्रव्रजकों की कुल संख्या लगभग ३७ लाख है । ऐसा समझा जाता है । मुझे विश्वास है कि यह अनुमान कुछ कम ही है किन्तु फिलहाल इसे ही स्वीकार किया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

फरवरी के महीने में प्रव्रजकों की संख्या बढ़कर पचास हजार हो गई। अक्तूबर १९५२ से पारपत्र व्यवस्था लागू की गई थी। इस व्यवस्था के लागू किये जाने की तिथि के बाद से प्रव्रजकों की संख्या के सही आंकड़े हमारे पास हैं। अब हमारी सीमा चौकियां (चेक-पोस्ट) भी हैं। १९५२ में पूर्वी बंगाल से पश्चिमी बंगाल, आसाम और त्रिपुरा के पूर्वी राज्यों में लगभग ७६,००० प्रव्रजक आये हैं। प्रति मास औसत ६,००० से कुछ अधिक ही रहा है। किन्तु १९५४ में भारत में आये प्रव्रजकों की संख्या १,१८,००० थी। जनवरी १९५४ से मई तक प्रति मास औसत ६,००० था जो कि उससे पिछले वर्ष के बराबर ही है। किन्तु १९५४ के उत्तरार्द्ध में प्रव्रजन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई थी जिसके परिणामस्वरूप वर्ष १९५४ का प्रति मास औसत १०,००० हो गया था।

१९५५ में प्रव्रजकों की कुल संख्या २,३८,७३७ थी और १९५५ में प्रति मास औसत बढ़ कर २०,००० हो गया था। १९५६ में स्थिति और भी बिगड़ी है, और जनवरी और फरवरी में लगभग सत्तर हजार व्यक्तियों ने भारत में प्रव्रजन किया है। पूर्वी बंगाल से भारत में हिन्दुओं के निरंतर प्रव्रजन ने भारतीय अधिकारियों के लिये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी है। हाल ही में स्थिति और भी बिगड़ गई है।

१९४७ में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो मध्यम वर्ग के हिन्दुओं ने जो राजनीतिक दृष्टि से सचेत थे और जो भारत में जीविकोपार्जन करने का आत्मविश्वास रखते थे, भारत में प्रव्रजन किया था, किन्तु भूमि पर अवलंबित वर्ग जैसे नामशूद्र और व्यापारी वर्ग का एक बड़ा भाग वहीं रहा। यह वर्ग भी अब सीमा को पारकर भारत में प्रवेश कर रहे हैं।

प्रव्रजन की प्रारम्भिक अवस्थाओं में उसके संभाव्य कारण यह थे :

(१) हिन्दुओं के शरीर और सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों में, विशेष कर हिन्दू महिलाओं के अपहरण और बलात्कार जैसे घृणित अपराधों के आपात में वृद्धि।

(२) हिन्दुओं के लिये उपायों का उपबन्ध करने के प्रति पूर्वी बंगाल के सरकारी अधिकारियों की अनिच्छा।

(३) सरकारी और गैर-सरकारी उपक्रमों में हिन्दुओं के सेवायुक्त होने की संभावनाओं का धीरे-धीरे कम होना;

(४) व्यापार और उद्योग से सम्बन्धित मामलों में विभेद करने के उद्देश्य से एक विशिष्ट नीति का सरकार द्वारा अनुसरण किया जाना;

(५) हिन्दुओं के मकानों और सम्पत्ति का, विशेषकर पूर्वी बंगाल के शहरों में अधिग्रहण किया जाना;

(६) पाकिस्तान का निर्माण केवल मुसलमानों के लिये ही किया गया है इस आशय का मुसलमानों द्वारा प्रचार;

(७) इस्लामी संविधान लागू कर दिये जाने के सम्बन्ध में बार-बार दी गई धमकी यद्यपि उसका अर्थ वास्तव में क्या था यह ज्ञात नहीं था।

१९५४ में अपराधों की संख्या में अतिशय वृद्धि हुई। उक्त वर्ष में डकैती की, जिनके साथ हिंसा भी की गई थी, लगभग ५०० घटनायें, बलात्कार की १४२ घटनायें और बड़े पैमाने के साम्प्रदायिक दंगों की नौ घटनायें हुई थीं। इनमें से तीन दंगे फरीदपुर जिले में, तीन खुलना जिले में और सिलहट बारीसाल और ढाका जिलों में से प्रत्येक में एक हुए थे। अधिकांश दंगों में जो लोग प्रभावित हुए वह नामशूद्र थे जो जीविका उपार्जन के लिये भूमि पर अवलंबित थे। जिन क्षेत्रों में दंगा हुआ उन क्षेत्रों से और नामशूद्र जाति से हिन्दुओं का प्रव्रजन बहुत बड़े परिमाण में हुआ है। नामशूद्र प्रव्रजकों में से कई

[श्री विश्वास]

व्यक्तियों ने अपने प्रव्रजन के मुख्य कारण पुलिस की उपेक्षा और उसकी बर्बरता बताये हैं। १९५४ में और भी कई बातें ऐसी हुईं जिन्होंने प्रव्रजन की गति को बढ़ाने में योगदान दिया। ३० मई, १९५४ को पूर्वी बंगाल में संयुक्त मोर्चा मंत्रिमंडल का विघटन होने और राज्यपाल का शासन जारी होने से हिन्दुओं को यह बात स्पष्ट हो गई कि चुनावों में करारी मात खाने के बावजूद भी पूर्वी बंगाल की राजनीति में लीग फिर से एक बार सबसे अधिक शक्तिशाली रहेगी।

हिन्दुओं के स्मृति पटल पर, मुस्लिम लीग द्वारा १९५० में पूर्वी बंगाल में हिन्दुओं के व्यापक संहार और १९४६ में कलकत्ता में हुए भीषण नरसंहार में लिये गये भाग अभी भी स्पष्ट हैं। उन्हें यह आशंका हुई कि अतीत में मुस्लिम लीग की गतिविधियों के पीछे जो भावना निहित थी वह हिन्दुओं के नाश के लिये पुनः प्रेरणा देगी। इस प्रकार विभाजन के बाद उन्हें जो कुछ विश्वास हुआ था वह भी समाप्त हो गया। बहुप्रचारित इस्लामी संविधान का, जिसके अनुसार प्रशासन शरिआती प्रथाओं के अनुसार चलाया जायेगा, इस्लाम का प्रचार राज्य द्वारा किया जायेगा और अल्पसंख्यकों के साथ द्वितीय श्रेणी के नागरिकों जैसा व्यवहार किया जायेगा, भय भी हिन्दुओं के मन में था। अल्पसंख्यकों को उनके दिन प्रति दिन की गतिविधियों में भी प्रशासन द्वारा हस्तक्षेप किये जाने की आशंका होने लगी।

अल्पसंख्यक जिन थोड़े से नेताओं से सहायता और मार्ग-प्रदर्शन की आशा रखते थे उन्हें प्रांत में राज्यपाल का शासन कायम होते ही गिरफ्तार कर लिया गया। इन नेताओं में से श्री सतीन सेन का, जो प्रांत में सर्वाधिक प्रभाव रखते थे, बाद में ढाका के केन्द्रीय कारावास में निधन हो गया। अल्पसंख्यक जातियों के बहुत थोड़े सदस्यों को सरकारी अथवा गैरसरकारी उपक्रमों में नौकरी दी जाती थी और जब हिन्दुओं के व्यापार लाइसेंस रद्द कर दिये गये तो सरकार ने जमींदारियों को अपने हाथों में ले लेना प्रारम्भ किया और इनमें से अधिकांश के स्वामी हिन्दू थे। इसके फलस्वरूप हिन्दू जमींदार और उनके अधिकांश कर्मचारी रोजगार की तलाश में पूर्वी बंगाल से भारत में प्रव्रजन करने पर बाध्य हुए थे।

दिल्ली में १० जुलाई, १९५४ को भारत और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री की बैठक हुई थी, जिसमें भारत के मंत्री ने पाकिस्तान के मंत्री का ध्यान पूर्वी बंगाल से होनेवाले प्रव्रजन की वृद्धि की ओर आकर्षित किया था। लगभग उसी समय पूर्वी बंगाल के नेताओं ने एक अभ्यावेदन में प्रव्रजन के जिन कारणों का उल्लेख किया था उनका निर्देश भी उक्त बैठक में किया गया था।

पाक अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने शीघ्र ही पूर्वी बंगाल का दौरा करने और उस प्रान्त की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने का वायदा किया। किन्तु पाकिस्तान की सरकार द्वारा भारत के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री को बाद में भेजे गये पत्र में कहा गया कि पाकिस्तान के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने पूर्वी बंगाल के कई जिलों का दौरा किया था किन्तु उन जिलों से भारत में कोई प्रव्रजन होता उन्हें दिखाई नहीं दिया था।

भारत सरकार ने उत्तर देते हुए भारतीय चौकियों के आंकड़ों का पूर्वी बंगाल की चौकियों के आंकड़ों से विनिमय किये जाने के लिये कहा था, किन्तु पाकिस्तान ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया।

कुछ महीने बाद पूर्वी बंगाल की सरकार ने पहली बार, और स्पष्ट अनिच्छा के साथ, यह स्वीकार किया कि पूर्वी बंगाल से भारत में हिन्दुओं का नियमित प्रव्रजन हो रहा था और संभवतः वह बड़े पैमाने पर हो रहा था। इस पत्र में कहा गया था कि प्रव्रजन के परिमाण में जो वृद्धि हुई थी वह पूर्वी बंगाल में आई बाढ़ों के फलस्वरूप उत्पन्न कठिन परिस्थितियों के कारण कतई नहीं थी। पत्र में आगे कहा गया था कि प्रव्रजन के कारण कहीं अन्यत्र याने भारत में, उत्पन्न हुए थे और पूर्वी

बंगाल सरकार के अनुसार यह थे : प्रथम, भारत आने वाले अल्पसंख्यक जाति के सदस्यों को शरणार्थियों के लाभ दिये जाने का वचन, और दूसरे भारतीय समाचारपत्रों द्वारा पाकिस्तान सरकार के विरुद्ध किया गया अनवरत प्रचार जिसके कारण हिन्दुओं का पाकिस्तान सरकार में जो विश्वास था वह कम हो गया ।

पाकिस्तान सरकार को यह बताया गया था कि भारत द्वारा शरणार्थियों को जो लाभ प्रदान किये जाते थे वह अत्यन्त स्वल्प थे और उनसे किसी प्रकार की सुख सुविधायें प्राप्त होने की संभावना नहीं थी । इसलिये ऐसे लाभ हिन्दुओं को, और विशेषकर नामशूद्रों को, भारत जाकर शरणार्थी बनने और पूर्वी बंगाल में प्राप्त सभी सुविधाओं का त्याग करने के लिये पर्याप्त प्रलोभन नहीं थे । पश्चिम बंगाल के समाचारपत्रों में जैसे **आनंद बाजार पत्रिका, युगान्तर, हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड, अमृत बाजार पत्रिका** आदि के जरिये किये गये प्रचार के बारे में एक महत्वपूर्ण बात जो ध्यान में रखी जानी चाहिये वह यह है कि पूर्वी बंगाल सरकार ने उक्त पत्रों के प्रवेश पर बहुत समय पहले से प्रतिबन्ध लगा दिया था । यदि इन पत्रों ने कोई प्रचार किया भी था तो वह पूर्वी बंगाल की जनता और विशेषकर प्रांत के अशिक्षित नामशूद्र कृषकों तक पहुंच ही नहीं सकता था ।

किन्तु पाकिस्तान सरकार ने इन सब बातों को न मनाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था ।

इसके बाद उसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि पाकिस्तान से जो हिन्दू चले आ रहे हैं वह इसलिये आ रहे हैं क्योंकि वह इस विचाराधीन से सहमत नहीं हो पा रहे हैं कि पाकिस्तान भारत से पृथक् और उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व है । कोई भी निष्पक्ष पर्यवेक्षक यह देखेगा कि उक्त सिद्धांत उन व्यक्तियों के प्रव्रजन का स्पष्टीकरण सही ढंग से नहीं दे पा रहा है जिन्होंने भारत के विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल में ही रहने का निर्णय किया था और बावजूद प्रत्येक कठिनाई के वास्तव में सात वर्ष तक वहां रहते रहे थे । एक अशिक्षित कृषक , जो जीविका के लिये सर्वथा भूमि पर अवलम्बित है, हिन्दू राज अथवा मुस्लिम राज के भावनात्मक विचारों से प्रभावित नहीं होता है और न वह पूर्वी बंगाल स्थित अपनी सम्पत्ति का त्याग बिना किसी उद्देश्य के करेगा ।

भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और पुनर्वास मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विभिन्न कार्यवाहियों का सुझाव दिया गया है । जिन कार्यवाहियों पर अधिक बल दिया गया है वह इस प्रकार है : (१) अल्पसंख्यकों के विशेषकर पूर्वी बंगाल स्थित अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न को रोका जाये; (२) राज्य के अधीन सेवाओं और औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों में अल्पसंख्यक जाति के सदस्यों को सेवायुक्त किया जाये जिससे कि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो सके और वह जीविका उपार्जित कर सकें; जमींदारी के उन्मूलन के परिणामस्वरूप जो हिन्दू बेकार हुए हैं उन्हें सरकारी सम्पदाओं में सेवायुक्त किया जाये; (३) अल्पसंख्यकों को कपड़ा, तेल आदि के व्यापार के लिये पुनः लाइसेंस दिये जायें; (४) अल्पसंख्यकों की सम्पत्ति और मकानों को, जिनका अधिग्रहण किया गया था, उन्हें वापिस दिया जाये; (५) एक देश से दूसरे देश में धन भेजने के लिये सुविधायें दी जायें; (६) अल्पसंख्यकों को शस्त्र रखने के लिये पुनः लाइसेंस दिये जायें; (७) प्रवास पर लगाये गये निबन्धों को शिथिल किया जाये; और (८) पूर्वी बंगाल और समीपस्थ भारतीय राज्यों के बीच सरल संचार साधनों की स्थापना की जाये ।

भारत सरकार द्वारा भेजे गये एक पत्र का पाकिस्तान ने जो विक्षिप्त सा उत्तर दिया है उससे भारत सरकार को यह जानकारी प्राप्त हुई है कि पाकिस्तान के अधिकारियों ने जो कुछ वह कर सकते थे किया और उनके मतानुसार मौजूदा प्रव्रजन केवल भावनात्मक कारणों के फलस्वरूप हो रहा था । इस पत्र में पाकिस्तान का जो रुख अभिलक्षित हुआ है यदि वही रूख अन्य पत्रों में

[श्री विश्वास]

भी, जिनके उत्तर अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं, पाकिस्तान द्वारा अपनाया गया तो प्रव्रजन के प्रश्न के हल किये जाने में उनसे कोई सहायता प्राप्त होना संभव नहीं है, और प्रव्रजन का प्रश्न, सभी भारत-पाक प्रश्नों में, सब से अधिक गंभीर है ।

मैंने आज जो स्थिति है उसको आपके समक्ष प्रस्तुत किया है । आप पूछ सकते हैं कि इसका उपाय क्या है ? इसका उपाय हमारे हाथों में नहीं है । इससे जो कुछ संभव था हमने किया, सुझाव भी दिये हैं और पाकिस्तान सरकार को क्या करना चाहिये यह भी हमने बतलाया है । किन्तु उसका उत्तर यह है कि जो कुछ हम कर सकते थे हमने कर दिया और इससे अधिक कुछ नहीं किया जा सकता है, इसलिये आपको इसी में संतोष कर लेना चाहिये ।

†**श्रीमती खोंगमेन** (स्वायत्त जिले---रक्षित---अनुसूचित जातियां) : सूचना के प्रश्न पर, क्या मैं जान सकती हूं कि क्या माननीय मंत्री यह बताने की स्थिति में हैं कि क्या हिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य अल्प संख्यक जातियों के सदस्यों ने भी भारत में प्रव्रजन किया है ?

†**श्री विश्वास** : अधिक नहीं । उनमें से कुछ त्रिपुरा गये हैं और कुछ भारत के अन्य भागों में आये हैं । किन्तु पश्चिम बंगाल को जिन लोगों ने प्रव्रजन किया है उनके बारे में मैं अधिकतर बोल रहा हूं ।

†**श्री गाडगील** (पूना मध्य) : सदन को पूर्वी बंगाल से भारत में हिन्दुओं के प्रव्रजन की बातें सुनकर अत्यन्त दुःख हुआ है । लगभग चालीस लाख व्यक्तियों ने पूर्वी बंगाल का त्याग कर दिया है और यदि यही गति जारी रही तो अगले पांच वर्षों में और तीस लाख व्यक्ति भारत में आ जायेंगे । अन्य बातों के अतिरिक्त क्या हमारी अर्थव्यवस्था इस भार को वहन करेगी यह एक गंभीर प्रश्न है ।

पिछले वर्ष और एक अन्य अवसर पर मैंने इस बात का उल्लेख किया था और कहा था कि यह बात नहीं है कि इस मामले में हम लाचार हैं किन्तु हम किन्हीं विशिष्ट बातों को निस्सन्देह कर सकते हैं । यहां आये हिन्दुओं का पाकिस्तान लौटना और वहां फिर से बसना मुझे एक कठिन समस्या प्रतीत होती है ।

पूर्वी बंगाल के मुसलमान पाकिस्तान का संविधान बनने तक हिन्दुओं को बाहर निकालने के लिये अधिक उत्सुक नहीं थे क्योंकि जहां तक केन्द्रीय विधानमंडल में प्रतिनिधित्व का सम्बन्ध है वह पूर्वी बंगाल के अल्पसंख्यकों का पूरा लाभ उठाना चाहते थे ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

उनका उद्देश्य पूरा हो गया है और जहां तक मेरा ख्याल है मामला अब साफ है । हम चाहे जो कुछ भी क्यों न करें एक बात निश्चित है कि जो व्यक्ति यहां आ गया है वह वापिस जाने के लिये कदापि तैयार नहीं होगा । तब हमारे पास क्या उपाय हैं । जनसंख्या के नियमित और विनियोजित विनियम का सुझाव कुछ वर्षों पूर्व दिया गया था । उस पर विचार किया गया था और नैतिक आधारों पर उस सुझाव को अस्वीकृत कर दिया गया था क्योंकि जो मुसलमान इस देश के प्रति राजनिष्ठ थे उन्हें वहां जाने के लिये हम बाध्य नहीं कर सकते थे । जो तैयार हैं उनके लिये व्यवस्था की जा सकती है, किन्तु मेरा ख्याल है कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या थोड़ी ही होगी क्योंकि इस देश की आर्थिक स्थिति सुधर रही है ।

सामूहिक निष्क्रमण की प्रारम्भिक अवस्थाओं में स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक और उपाय का सुझाव दिया था---अतिरिक्त स्थान मांगना, जिससे कि जहां तक देश की जन संख्या का सम्बन्ध है उसके साथ न्याय किया जा सके । मैं यह नहीं जानता हूं कि उक्त उपाय कहां तक

†मूल अंग्रेजी में

व्यवहार्य है किन्तु उस पर विचार अवश्य किया जा सकता है। यदि आप पूर्वी बंगाल से हो रहे हिन्दुओं के सामूहिक निष्क्रमण के आंकड़ों को देखें तो ज्ञात होगा कि यह कार्य एक आयोजित प्रणाली के अनुसार हो रहा है । यह स्पष्ट है कि यह पाकिस्तान सरकार की कोई स्थानीय नीति नहीं है वरन् उसकी व्यापक नीति का एक भाग है। इसके पीछे एक समन्वित योजना है। जहां तक सीमान्त आक्रमणों का सम्बन्ध है उसकी यदि कोई समन्वित योजना नहीं है तो भी ऐसी घटनाओं से आंखें चुराने की एक समन्वित योजना अवश्य है। यह सभी कार्य एक योजना के अनुसार किया जा रहा है। परन्तु हमें इससे आतंकित नहीं होना चाहिये । घटनाओं को उनके वास्तविक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिये । सड़कों पर किये गये किसी प्रदर्शन को विद्रोह और किसी नारे को ब्रेनगन की चटख नहीं समझा जाना चाहिये। जो कुछ कराची में हुआ है उसी की प्रतिक्रिया यहां हुई है। हमने जिस स्वतन्त्रता को इतने बलिदानों के पश्चात् प्राप्त किया है उसे हमें अपनी भावी सन्तति के लिये अक्षुण्ण छोड़ जाना है ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं माननीय वित्त मंत्री से त्रावनकोर-कोचीन सम्बन्धी आय-व्ययक को प्रस्तुत करने के लिये कहूंगा ।

त्रावनकोर-कोचीन आय-व्ययक १९५६-५७

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं त्रावनकोर-कोचीन राज्य का वर्ष १९५६-५७ की प्राक्कलित आय तथा व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं। त्रावनकोर-कोचीन राज्य का १९५६-५७ का आय-व्ययक ९ मार्च, १९५६ को राज्य की विधान-सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था परन्तु इसके शीघ्र पश्चात् ही मंत्रिमंडल के त्यागपत्र दे देने के कारण, वहां इस पर अग्रेतर चर्चा नहीं की जा सकी थी और अब संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा २३ मार्च, १९५६ को जारी की गई उद्घोषणा के परिणामस्वरूप इस संसद् को इसके सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही करनी है। राज्य की आय-व्ययक सम्बन्धी स्थिति की व्याख्या आय-व्ययक को राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करते समय राज्य वित्त मंत्री द्वारा दिये गये भाषण में की गई है। आय-व्ययक सम्बन्धी अन्य पत्रों के साथ सदस्यों को वह भेजा जा रहा है। अतएव मैं संक्षेप में प्राक्कलन की मुख्य बातों के बारे में ही कहूंगा ।

मूल अनुमान था कि राजस्व में ४३८ लाख की कमी रहेगी परन्तु संभावना है कि इस वर्ष कमी केवल १४१ लाख रहे। स्थिति में सुधार इसलिये हुआ है कि २०९ लाख का खर्च बच गया है तथा ८८ लाख राजस्व बढ़ गया है। अगले वर्ष के आय-व्ययक में १८·९ करोड़ रुपये के राजस्व तथा २१·९८ रुपये के व्यय का उपबन्ध है। इससे ३०८ लाख रुपये की कमी रहेगी। चालू वर्ष के पुनरीक्षित प्राक्कलनों की तुलना में राजस्व ८४ लाख रुपये और व्यय २५१ लाख बढ़ गया है। राज्य विधान मंडल के विघटन से पूर्व उसमें विचाराधीन सुधार शुल्क से १५ लाख का उधार लेने के अतिरिक्त राजस्व प्राक्कलनों ने करारोपण के अन्य किसी विधान के लिये उधार नहीं लिया है। व्यय के प्राक्कलनों में २२५ लाख के पूंजी व्यय के स्वरूप के कुछ मदों को राजस्व लेखे से पूंजी लेखे में स्थानान्तरित किया गया है। यह स्थानान्तरण उसी सामान्य वर्गीकरण के अनुसरण में है जिसे अपनाने का सुझाव केन्द्रीय सरकार ने नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के अनुमोदन से भारत के विभिन्न सरकारों को दिया था। यदि यह स्थानान्तरण नहीं किया जाता तो राजस्व में ५३३ लाख रुपये की कमी हो जाती । व्यय में वृद्धि इस कारण हुई है कि शिक्षा चिकित्सा, स्वास्थ्य और सामुदायिक परियोजनाओं जैसे लाभदायक विभागों के लिये अधिक व्यय का उपबन्ध किया गया है ।

[श्री सी० डी० देशमुख]

पूंजी व्यय के लिये अगले वर्ष के प्राक्कलनों में ९४० लाख रुपये का उपबन्ध किया गया था। यह राशि चालू वर्ष के पुनरीक्षित प्राक्कलनों से ५१४ लाख रुपये अधिक है। यह वृद्धि द्वितीय योजना में सम्मिलित सिंचाई, औद्योगिक विकास, असैनिक निर्माण कार्य और बिजली की योजनाओं के कारण है। अनुमान है कि राज्य को राजस्व और पूंजी लेखों के लिये १२·४८ करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इसे जुटाने के लिये प्राक्कलनों में यह मान लिया गया है कि २ करोड़ का ऋण लिया जायेगा, १ करोड़ तक के विनियोजन बेचे जायेंगे और केन्द्र से ९ करोड़ का ऋण लिया जायेगा। इन ९ करोड़ रुपयों में, अगली योजना में मिलाई गई योजनाओं के लिये, जिनकी सहायता का ढंग तय किया जाना है, ७ करोड़ के तदर्थ ऋण भी सम्मिलित हैं। राज्य की द्वितीय योजना में अनुमानतः ७१·२ करोड़ रुपया खर्च होगा। इसमें शहरी पानी के इंतजाम, जल निस्सारण, बाढ़ नियंत्रण, स्थानीय विकास निर्माण कार्य और कुछ छोटी मदें सम्मिलित नहीं हैं। इस ७१·२ करोड़ रुपयों में से १९५६-५७ के आय-व्ययक में १४·४ करोड़ रुपयों का उपबन्ध किया गया है। यह राशि १९५५-५६ के पुनरीक्षित प्राक्कलनों की अपेक्षा ६·७ करोड़ रुपया अधिक है। योजना आयोग और केन्द्रीय सरकार ने सब राज्य सरकारों को सलाह दी थी कि वे १९५६-५७ के राजस्व आय-व्ययकों को संतुलित रखें और द्वितीय योजना के प्रथम वर्ष का समस्त व्यय उतना होना चाहिये जितना कि प्रथम योजना के अंतिम वर्ष का वास्तविक अनुमानित व्यय था। इसलिये यद्यपि आय-व्ययक उस रूप में उपस्थित किया जा रहा है जिस रूप में राज्य सरकार ने उसे तैयार किया था, यह अंतिम रूप से निश्चित नहीं किया गया है कि उतना व्यय किया जायेगा जितने का उपबन्ध आय-व्ययक में किया गया है। जो सहायता केन्द्रीय सरकार दे सकेगी उसको ध्यान में रखकर उसे विनियमित किया जायेगा। अभी मैं सभा से कहूंगा कि वे अगले वर्ष के पहले तीन मासों के लिये राशि मंजूर करें। मुख्य अनुदानों की मांगों पर बाद में चर्चा की जायेगी।

सभा का कार्य

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : त्रावनकोर-कोचीन बजट के कारण केन्द्रीय बजट की संशोधित समय-सूची कल या परसों तक निश्चित कर दी जाये ताकि हम अपने निजी कार्यक्रमों को उसके अनुसार बना सकें।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : क्या आप इस बात की घोषणा कर सकेंगे कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा पर चर्चा के लिये और त्रावनकोर-कोचीन राज्य के लेखानुदान तथा आय-व्ययक के विचार के लिये कितना-कितना समय तय किया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : वैदेशिक कार्य मंत्रालय की मांगों सम्बन्धी चर्चा ढाई-तीन बजे तक समाप्त हो जायेगी। फिर हम इस उद्घोषणा पर विचार करेंगे और एक घण्टा अधिक बैठेंगे।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : उद्घोषणा की चर्चा के लिये यह समय कम है इसलिये इसके लिये चार छः घण्टे आवंटित किये जाने चाहियें।

†**श्री कामत** : कल प्रातः ही इसके लिये समय बांटने के लिये कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई जाय।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : आप पहले ही कह चुके हैं कि इस मामले पर दो अवसरों पर अच्छी तरह विचार किया जायेगा, एक जबकि राष्ट्रपति का उद्घोषणा सभा के सामने प्रस्तुत की जायेगी और दूसरे आय-व्ययक के समय। वित्त मंत्री का वर्तमान प्रस्ताव लेखानुदान के लिये है। कुछ करना होगा और काम चलाना होगा। इस समय भी

†मूल अंग्रेजी में

सरकार की चर्चा का मर्यादित करने की इच्छा नहीं है। हम आप और सभा के साथ हैं। आपने अभी कहा था कि कल इसके लिये तीन या चार घंटे लिये जा सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कार्य मंत्रणा समिति का क्यों उल्लेख किया गया है। इस मामले में आप और सरकार क्या संभव अधिक समय दे सकते हैं।

†**श्री एच० एन० मुकर्जी** (कलकता—उत्तर-पूर्व) : त्रावनकोर-कोचीन में जो बातें पहले हो चुकी हैं उनकी चर्चा राष्ट्रपति की उदघोषणा सम्बन्धी संकल्प की चर्चा में ही किया जा सकता है। बजट के समय ऐसा करना संभव नहीं है। इसलिये इस चर्चा को बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है। कल सभा को ढ़ाई घंटे में इसकी अच्छी तरह चर्चा करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं हो सकेगा।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : माननीय सदस्य ने राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी चर्चा का उल्लेख किया है। निश्चय ही आप इसके लिये कार्य मंत्रणा समिति के परामर्श के साथ समय नियत कर सकते हैं। आपने कल के लिये ४ घंटों का सुझाव दिया है।

†**श्री कामत** : हम ६ घण्टे चाहते हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यदि कल ५ घंटे भी लगें तो भी कोई चिंता की बात नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि कल वैदेशिक कार्य मंत्रालय की मांगों सम्बन्धी चर्चा ढाई बजे समाप्त हुई तो हम एक घंटा देर तक बैठेंगे और यदि ३ बजे समाप्त हुई तो आध घण्टा देर तक बैठकर राष्ट्रपति के प्रख्यापन सम्बन्धी चर्चा को समाप्त करेंगे। लेखानुदान सम्बन्धी चर्चा अत्यन्त संक्षिप्त होगी, क्योंकि धन की मंजूरी दिये बिना काम रुक जायेगा। समस्त मामले पर आय-व्ययक की मांगों के समय विस्तार के साथ विचार किया जायेगा।

अब साढ़े पांच बज गये हैं, सभा कल तक के लिये स्थगित होती है। आय-व्ययक पत्र सभा कक्ष में उपलब्ध हैं।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, २९ मार्च १९५६ के साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, २८ मार्च, १९५६]

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव १५१७–२०

(१) २३ मार्च, १९५६ को कराची में पाकिस्तान गणराज्य दिवस समारोह पर भारत के विशेष दूत के कथित अपमान के बारे में श्रीमती सुचेता कृपालानी और श्री एन० सी० चटर्जी ने जिन स्थगन-प्रस्तावों की पूर्व सूचना दी थी, अध्यक्ष ने उनके प्रस्तुत किये जाने की अनुमति इसलिये नहीं दी कि प्रधान मंत्री ने सभी तथ्य सभा के समक्ष रखे थे ।

(२) अध्यक्ष ने एक और स्थगन-प्रस्ताव के रखे जाने की अनुमति नहीं दी जिसकी पूर्व सूचना श्री के० एम० वल्लाथरास ने दी थी । उक्त पूर्व सूचना इस बारे में थी कि धनुषकोडी के निकट कच्छ तिवू द्वीप पर लंका सरकार का अधिकार बताया जाता है ।

सदस्य का बन्दीकरण १५२०

अध्यक्ष ने लोक-सभा को बताया कि उन्हें पुलिस आयुक्त, बम्बई से इस आशय का एक पत्र मिला है कि बम्बई पुलिस अधिनियम १९५१ की धारा ३७ (१) और (३) के अनुसरण में उसकी धारा १३५ (१) (३) के अधीन सम्मेलनों और नारेबाजी के सम्बन्ध में बम्बई के पुलिस आयुक्त के आदेशों की अवज्ञा के लिये लोक-सभा के सदस्य श्री बी० जी० देशपांडे को २७ मार्च, १९५६ को बम्बई में गिरफ्तार किया गया है ।

सदस्य की जमानत पर रिहाई १५२०–२१

अध्यक्ष ने लोक-सभा को बताया कि उन्हें प्रेसीडेंसी मैजिस्ट्रेट, १४वीं कोर्ट गिरगांव, बम्बई से इस आशय का एक पत्र मिला है कि पंडित भगवतीचरण शुक्ल, संसद्-सदस्य, को इसलिये जमानत पर रिहा कर दिया गया कि वह अपराधी ठहराये जाने के विरुद्ध बम्बई के उच्च-न्यायालय में अपील कर सकें ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १५२१

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :

(१) संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अधीन राष्ट्रपति द्वारा २३ मार्च, १९५६ को जारी की गई उद्घोषणा, जिसके अनुसार उन्होंने संविधान के अनुच्छेद ३५६ के खण्ड (३) के अधीन त्रावन-कोर-कोचीन सरकार के सभी कृत्य अपने हाथ में लिये, की एक प्रति ।

पृष्ठ

(२) चाय अधिनियम, १९५३ की धारा ४९ की उपधारा (३) के अधीन चाय नियम, १९५४ में कतिपय अग्रेतर संशोधन करने वाली अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ५८०, दिनांक १० मार्च, १९५६ की एक प्रति ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति १५२२

सचिव ने लोक-सभा को बताया कि संसद् के सदनों द्वारा चाल सत्र में पारित निम्नलिखित विधेयकों पर राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति दी है :—

(१) विनियोग विधेयक, १९५६
(२) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५६
(३) विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९५६
(४) विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९५६
(५) विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक, १९५६
(६) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९५६
(७) विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक, १९५६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित १५२२

अड़तालिसवां प्रतिवेदन उपस्थापित ।

तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि १५२२

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) ने ३० नवम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २७६ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि के लिये वक्तव्य दिया ।

अनुदानों की मांगें ... १५२४–६७

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

त्रावनकोर-कोचीन आय-व्ययक, १९५६-५७ १५६७–६८

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) ने वर्ष १९५६-५७ क लिये त्रावनकोर-कोचीन राज्य के अनुमित आय और व्यय का विवरण उपस्थापित किया ।

गुरुवार, २९ मार्च, १९५६ के लिये कार्यावलि

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर और आगे चर्चा तथा त्रावनकोर-कोचीन के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा पर चर्चा ।

M103LSD—190—25-10-57—GIPF.